भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *152

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पानी की उपलब्धता

***152. श्री संदिपनराव आसाराम भुमरेः**
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना खेतों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता बढ़ाने, सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने, खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करने और सतत जल संरक्षण पद्धतियों को लागू करने के उद्देश्य से शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों और अब तक हुई प्रगति का महाराष्ट्र के संभाजी नगर (औरंगाबाद), मध्य प्रदेश तथा दादरा और नागर हवेली सहित राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा पानी की कमी का सामना कर रहे राज्यों में खेतों में पर्याप्त पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कोई उपाय या योजना प्रस्तावित है; और

(घ) यदि हां, तो संभाजी नगर (औरंगाबाद) सहित महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा दादरा और नागर हवेली में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटील

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पानी की उपलब्धता' के संबंध में दिनांक 05.12.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *152 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): जी, हाँ। प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) एक अम्ब्रेला योजना है, जिसमें जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे दो प्रमुख घटक शामिल हैं, नामतः - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी (एचकेकेपी)। जबकि एचकेकेपी में चार उप-घटक होते हैं: (i) कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट (सीएडी एवं डबल्यूएम); (ii) सतही लघु सिंचाई (एसएमआई); (iii) जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धार (आरआरआर); और (iv) भूजल (जीडब्ल्यू) विकास। वर्ष 2016 में, संशोधित एआईबीपी प्रारूप के शुभारंभ के साथ, एचकेकेपी के सीएडी और डब्ल्यूएम उप-घटक को एआईबीपी के साथ समरूप पारी-पासू कार्यान्वयन किया गया।

इसके अलावा, दिसंबर 2021 में, वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। हालांकि, पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत भूजल घटक की मंजूरी केवल प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए वर्ष 2021-22 तक अनंतिम रूप से दी गई है, जिसे बाद में चल रहे कार्यों के पूरा किए जाने तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, पर ड्रॉप मोर क्रॉप घटक पहले पीएमकेएसवाई का हिस्सा था, अब इसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीओए एंड एफडब्ल्यू) द्वारा अलग से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, वॉटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) का कार्यान्वयन भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) द्वारा किया जा रहा है।

एआईबीपी घटक देश में नई सिंचाई क्षमता के सृजन/सिंचाई क्षमता की बहाली के लिए वृहद एवं मध्यम तथा विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण (ईआरएम) परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर देता है। सीएडी एंड डब्ल्यूएम सृजित सिंचाई क्षमता और इसके उपयोग के बीच के अंतर को कम करने और जल की बरबादी को कम करने के लिए खेत पर जल उपयोग दक्षता में सुधार करने के लिए कमान क्षेत्र विकास के कार्यों के लिए समर्पित है। एचकेकेपी-एसएमआई और आरआरआर सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेत पर पानी की पहुंच बढ़ाने और खेती योग्य क्षेत्र के विस्तार के लिए लघु सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित हैं। पीडीएमसी ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी प्रिसिजन-सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों को अपनाने से संबंधित है। डब्ल्यूडीसी, मृदा और जल संरक्षण, भूजल के उत्थान, रन-ऑफ को रोकने और जल संचयन, जल प्रबंधन और किसानों के लिए फसल संरेखण आदि से संबंधित विस्तार कार्यकलापों को बढ़ावा देने की दिशा में वर्षा सिंचित क्षेत्रों के एकीकृत विकास की दिशा में कार्य करता है।

(ख): वर्ष 2016-17 के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत 18 राज्यों में फैली 99 चल रही वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (एमएमआई) (और 7 चरणों) की पहचान की गई थी, जिसमें राज्यों के परामर्श से 88 परियोजनाओं में सीएडी और डब्ल्यूएम के कार्यान्वयन के पारी-पासू चरणों में पूरा किया जाना था। पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत 62 एमएमआई परियोजनाओं के पूरा होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें वर्ष 2016-24 के दौरान इन परियोजनाओं के माध्यम से 25.80 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है, जबकि शेष सिंचाई क्षमता 34.64 लाख हेक्टेयर है। वर्ष 2016-24 के दौरान 19.28 लाख हेक्टेयर का कमान क्षेत्र विकास हासिल किया गया है।

वर्ष 2021-22 से योजना में नौ (09) नई एमएमआई/ईआरएम परियोजनाओं को शामिल किया गया है। इन परियोजनाओं द्वारा सृजित की जाने वाली लक्षित क्षमता 4.01 लाख हेक्टेयर है। वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत नई शामिल परियोजनाओं से सृजित सिंचाई क्षमता 0.31 लाख हेक्टेयर है।

एचकेकेपी-एसएमआई और आरआरआर के तहत वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 के दौरान सिंचाई क्षमता सृजन का लक्ष्य 3.50 लाख हेक्टेयर था, जबकि 3.89 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता हासिल की गई थी। इसके अलावा, पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-एसएमआई और आरआरआर के तहत वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के दौरान सिंचाई क्षमता सृजन का लक्ष्य 4.5 लाख हेक्टेयर रखा गया है। वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 के दौरान एचकेकेपी-एसएमआई और आरआरआर के तहत 75.32 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

इसके अलावा, वर्ष 2016-24 के दौरान, कृषि एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीडीएमसी स्कीम के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 84.11 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। पीएमकेएसवाई के वाटरशेड विकास घटक के तहत भूमि विभाग द्वारा 89.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कुल 9,364 परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं।

पीएमकेएसवाई के विभिन्न घटकों के तहत अब तक हुई वास्तविक प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दर्शाया गया है।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी, सीएडीडब्ल्यूएम और पीएमकेएसवाई के अन्य घटकों के तहत महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में अब तक की गई वास्तविक प्रगति नीचे दी गई है:

पीएमकेएसवाई के घटक	**महाराष्ट्र में अब तक हुई वास्तविक प्रगति**	**मध्य प्रदेश में अब तक हुई वास्तविक प्रगति**
पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम	पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत, महाराष्ट्र राज्य से 28 परियोजनाएं शामिल की गई हैं	पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत, 21 परियोजनाओं (14 परियोजनाओं और 7 चरणों) को

पीएमकेएसवाई के घटक	**महाराष्ट्र में अब तक हुई वास्तविक प्रगति**	**मध्य प्रदेश में अब तक हुई वास्तविक प्रगति**
	और शेष सिंचाई क्षमता 5.56 लाख हेक्टेयर सृजित की जानी है। सीएडी एवं डब्ल्यूएम के तहत 2.19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कमान क्षेत्र विकास के साथ एआईबीपी घटक के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से वर्ष 2023-24 के दौरान 16 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और 3.77 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। **महाराष्ट्र राज्य से पीएमकेएसवाई-एआईबीपी की एक परियोजना अर्थात् नादुर मधमेश्वर चरण-II (प्रमुख) सिंचाई परियोजना संभाजी नगर (औरंगाबाद जिला) को लाभ प्रदान कर रही है, जो वर्ष 2018-19 में पूरी हुई थी।**	शामिल किया गया है और शेष सिंचाई क्षमता 2.54 लाख हेक्टेयर के रूप में सृजित की जाएगी। इनमें से अब तक 17 परियोजनाएं (12 परियोजनाएं और 5 चरण) पूरी हो चुकी हैं। एआईबीपी के अंतर्गत 1.83 लाख हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की गई है जिसमें सीएडी एवं डब्ल्यूएम के अंतर्गत 2.89 लाख हेक्टेयर में कमान क्षेत्र विकास का कार्य किया गया है।
पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी	पीएमकेएसवाई 1.0 के तहत महाराष्ट्र में मार्च, 2022 तक 5.128 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की कुल 1,186 परियोजनाएं पूरी हुईं। पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत महाराष्ट्र में 5.26 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 140 और परियोजनाएं शुरू की गई हैं।	पीएमकेएसवाई 1.0 के तहत मध्य प्रदेश में 2.937 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए कुल 517 परियोजनाएं पूरी की गईं। पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत मध्य प्रदेश में 5.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली 85 और परियोजनाएं शुरू की गई हैं।
पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी	वर्ष 2016-17 से वर्ष 2023-24 के दौरान महाराष्ट्र में सूक्ष्म सिंचाई-पीडीएमसी योजना के तहत 9.90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।	मध्य प्रदेश में वर्ष 2016-17 से वर्ष 2023-24 के दौरान सूक्ष्म सिंचाई-पीडीएमसी योजना के तहत 3.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है।

दादरा और नगर हवेली में पीएमकेएसवाई के तहत कोई परियोजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

(ग) और (घ): भारत सरकार द्वारा 93,068.56 करोड़ रुपये (37,454 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता, नाबार्ड की 20,434.56 करोड़ रुपये की डेट सर्विसिंग और हिस्सेदारी के लिए राज्य के शेयर हेतु राज्य सरकारों द्वारा 35,180 करोड़ रुपये का परिव्यय) के साथ वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए पीएमकेएसवाई को बढ़ाने का अनुमोदन दिया गया है। पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में क्रमशः रेणुकाजी बांध और लखवाड़ बहुउद्देशीय (राष्ट्रीय) परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता भी अनुमोदित की गई है। इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएमकेएसवाई के कुछ घटकों में देश में कृषि की समस्या वाले क्षेत्रों के समावेशन और वित्त पोषण अनुपात के लिए विशेष प्रावधान रखे गए हैं।

इसके अलावा, विदर्भ और मराठवाड़ा तथा शेष महाराष्ट्र के सूखा प्रवण जिलों में चरणबद्ध तरीके से 13,651.61 करोड़ रुपये की शेष लागत के साथ 83 सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) परियोजनाओं और 8 वृहद/मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जुलाई, 2018 में भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के लिए एक विशेष पैकेज शुरू किया गया है। इनमें से अब तक 53 एसएमआई परियोजनाओं और 2 एमएमआई परियोजनाओं के पूरा होने की सूचना मिली है। इस योजना के तहत अब तक 3.77 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से मार्च, 2024 तक 1.66 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

महाराष्ट्र की पांच लघु उद्योग परियोजनाओं के विशेष पैकेज से महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले को लाभ प्राप्त होता है। कुल 1040 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता वाली तीन परियोजनाएं बनोटी, वानगांव पोहरी और सावलादबारा एसटी पूरी हो चुकी हैं, जबकि 1,267 हेक्टेयर की कुल सिंचाई क्षमता वाली तितवी और देवगांव रंगारी नामक दो परियोजनाएं चल रही हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार ने दिसंबर, 2021 में 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में केन-बेतवा लिंक परियोजना को अनुमोदन प्रदान किया है।

वर्ष 2018 में, भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर और पंजाब को लाभान्वित करने वाली शाहपुरकंडी बांध (राष्ट्रीय) परियोजना और पंजाब और राजस्थान को लाभान्वित करने वाले राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर की रिलाइनिंग को वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अलावा, बिहार और झारखंड की उत्तरी कोयल परियोजना को पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित किया गया है।

*****

<u>अनुलग्नक</u>

'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पानी की उपलब्धता' के संबंध में दिनांक 05.12.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *152 भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क. <u>पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से वर्ष 2023-24 के दौरान राज्यवार सृजित सिंचाई क्षमता/विकसित कमान क्षेत्र</u>

हजार हेक्टेयर में क्षेत्रफल

क्र.सं.	राज्यों का नाम	पीएमकेएसवाई - एआईबीपी के तहत सृजित सिंचाई क्षमता (आईपी)	सीएडी और डब्ल्यूएम के तहत विकसित कमान क्षेत्र	पीएमकेएसवाई -एचकेकेपी- एसएमआई के तहत सृजित आईपी	पीएमकेएसवाई - एचकेकेपी- आरआरआर के तहत सृजित आईपी	जीडब्ल्यू के तहत सृजित आईपी
1	आंध्र प्रदेश	24.33	0.93	0.00	0.00	-
2	अरुणाचल प्रदेश	--	--	17.86	--	3.742
3	असम	36.55	25.40	116.44	--	38.648
4	बिहार	19.69	19.13	33.8	21.79	-
5	छत्तीसगढ़	16.76	8.78	4.87	0.00	-
6	गोवा	4.24	6.70	--	--	-
7	गुजरात	610.90	1,030.54	--	3.90	1.866
8	हिमाचल प्रदेश	0.66	--	22.57	--	-
9	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	6.52	2.28	33.1	--	-
10	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	0.00	--			-
11	झारखंड	79.80	0.00	6.09	--	-
12	कर्नाटक	115.86	42.08	3.48	--	-
13	केरल	2.59	1.50	--		-

14	मध्य प्रदेश	182.94	289.11	31.83	8.00	-
15	महाराष्ट्र	385.96	218.78	--	--	-
16	मणिपुर	24.46	8.67	17.93	0.62	2.057
17	मेघालय	--	--	26.47	0.88	-
18	मिजोरम	--	--	1.93	--	0.553
19	नागालैंड	--	--	12.84	--	0.667
20	ओडिशा	87.44	85.49	--	27.92	-
21	पंजाब	34.99	73.53	--	--	-
22	राजस्थान	16.38	82.47	--	15.33	-
23	सिक्किम	--	--	4.18	--	-
24	तमिलनाडु	5.23	--	--	12.27	0.610
25	तेलंगाना	189.52	10.68	--	16.31	-
26	त्रिपुरा	0.00	--	0.00	--	3.009
27	उत्तर प्रदेश	766.93	21.71	--	2.35	36.365
28	उत्तराखंड	0.00	--	21.27		1.030
	कुल	**2611.75**	**1927.77**	**354.66**	**109.37**	**88.547**

ख. **<u>पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी और डब्ल्यूडीसी के तहत राज्यवार प्रगति</u>**

(हेक्टेयर लाख में)

क्र.सं.	**राज्य**	**पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी के माध्यम से प्रिसिशन सिंचाई के तहत लाया गया क्षेत्र**	**पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी के तहत कवर किए गए परियोजना का क्षेत्र**
1	आंध्र प्रदेश	8.37	4.25
2	अरुणाचल प्रदेश	0.13	1.98
3	असम	0.45	2.94
4	बिहार	0.25	2.33

5	छत्तीसगढ़	1.40	3.70
6	गोवा	0.008	0.20
7	गुजरात	9.74	6.03
8	हरियाणा	1.75	0.67
9	हिमाचल प्रदेश	0.076	1.38
10	झारखंड	0.36	2.39
11	जम्मू और कश्मीर	0.01	1.30
12	कर्नाटक	19.41	5.47
13	केरल	0.05	0.68
14	मध्य प्रदेश	3.31	8.03
15	महाराष्ट्र	9.90	10.39
16	ओडिशा	1.24	4.64
17	पंजाब	0.14	0.60
18	राजस्थान	7.67	13.27
19	तमिलनाडु	11.03	2.72
20	तेलंगाना	2.88	2.87
21	उत्तराखंड	0.32	1.05
22	उत्तर प्रदेश	3.92	5.69
23	पश्चिम बंगाल	1.05	1.98
24	मणिपुर	0.15	1.08
25	मेघालय	0.00	0.86
26	मिजोरम	0.046	0.87
27	नागालैंड	0.25	0.80
28	सिक्किम	0.15	0.27
29	त्रिपुरा	0.045	0.53
30	लद्दाख	0.00	0.26
	कुल योग	**84.11**	**89.23**

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *158

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना

***158. श्री डग्गुमल्ला प्रसादा रावः**
श्री केसिनेनी शिवनाथः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषतः आंध्र प्रदेश में भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना के तहत हुई कुल प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा विशेषतः आंध्र प्रदेश में भूजल विकास के विनियमन के लिए अधिसूचित क्षेत्रों की कुल संख्या का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान अधिसूचित क्षेत्रों के तहत उल्लंघन की शिकायतों के संबंध में कोई आंकड़े विद्यमान हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान कृत्रिम पुनर्भरण घटक के तहत चिह्नित, प्रगतिशील और पूर्ण परियोजनाओं की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार की इस योजना के विस्तार पर विचार कर इसके तहत नए घटकों को शामिल करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री **श्री सी. आर. पाटील**

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना' के संबंध में दिनांक 05.12.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *158 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): भूजल प्रबंधन एवं विनियमन (जीडब्ल्यूएमआर) योजना एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा वर्ष 2007-08 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत किए जा रहे प्रमुख कार्यकलाप पूरे देश में नियमित भूजल स्तर और गुणवत्ता निगरानी सहित वार्षिक गुणवत्ता और संसाधन मूल्यांकन के साथ राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन (एनएक्यूयूआईएम) कार्यक्रम; राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भूजल निकासी का विनियमन और नियंत्रण; चुनिंदा जल की कमी वाले क्षेत्रों में कतिपय पथ-दर्शक पुनर्भरण परियोजनाएं शुरू करना और प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए वैज्ञानिक अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण शामिल है।

इस योजना के अंतर्गत प्रमुख कार्यकलाप राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (एनएक्यूआईएम) है जिसे जलभृतों की रूपरेखा और विशिष्टता को चित्रित करने तथा भूजल प्रबंधन के लिए योजनाएं विकसित करने के उद्देश्यों के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। इस घटक के तहत, अब तक आंध्र प्रदेश के 1.41 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के साथ-साथ देश के लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर मानचित्रण करने योग्य क्षेत्र को कवर किया गया है। इसके अतिरिक्त, उपयुक्त मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष के कार्यकलापों के लिए सभी राज्य और जिला प्राधिकारियों के साथ जलभृत्त मानचित्रों और प्रबंधन योजनाओं को साझा किया गया है।

(ख): केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) द्वारा अपने दिनांक 24.09.2020 के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, देश में भूजल के निष्कर्षण सह उपयोग को विनियमित किया जाता है। दिनांक 24.09.2020 के दिशानिर्देशों के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों की अवधारणा अब लागू नहीं होता है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जा रहे हैं और आकलन इकाइयों (जहां परियोजनाएं स्थित हैं) को सुरक्षित, गंभीर, अर्ध-गंभीर, अति दोहित और खारा श्रेणी के वर्गीकरण के आधार पर भूजल निष्कर्षण प्रभार राशि लगाई जा रही है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023 के सक्रिय भूजल संसाधन आकलन के अनुसार, देश की 6553 कुल आकलन इकाइयों (एयू) में से 736 एयू को अतिदोहित (ओई) के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।

राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य में भूजल संसाधनों का विनियमन और प्रबंधन आंध्र प्रदेश जल, भूमि और वृक्ष अधिनियम (एपीडब्ल्यूएलटीए) के तहत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, राज्य के मौजूदा भूमि जल विनियमन व्यवस्था के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में भूजल विकास के विनियमन हेतु सात जिलों में कुल 188 गांवों को अधिसूचित किया गया है। जिला-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग): सीजीडब्ल्यूए स्वतः से अथवा भूजल के अवैध निष्कर्षण के विरुद्ध शिकायतों के आधार पर और अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तों का अनुपालन न किए जाने पर तत्परता से कार्यवाही करता रहा है। इसके दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध पर्यावरण मुआवजा प्रभार और जुर्माने

लगाए जाते हैं। रिकॉर्ड के अनुसार, 5568 मामलों में जुर्माना और वसूली की गयी है और नवंबर 2024 तक 1150 मामलों में पर्यावरण मुआवजा लगाया गया और वसूली की गई है।

इसके अलावा, एपीडब्ल्यूएलटीए से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों सहित मौजूदा वर्ष में उनके द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में उल्लंघन की कोई शिकायत प्राप्त नहीं की गई है।

(घ): भूजल प्रबंधन एवं विनियमन योजना के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में सीजीडब्ल्यूबी द्वारा चलाई जाने वाली महत्वपूर्ण कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं में उस्मानाबाद, वाईएसआर कडपा और वारंगल के आकांक्षी जिलों में कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण, जल भंडारण के साथ-साथ महाराष्ट्र के वर्धा और अमरावती जिलों में कृत्रिम पुनर्भरण के साथ-साथ राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर और सीकर जिलों के चिन्हित जल की कमी वाले क्षेत्रों में कृत्रिम पुनर्भरण के लिए अन्वेषी पुल-सह-बंधारा के विनिर्माण के माध्यम से भूजल में वृद्धि शामिल है। वर्ष 2018 से, भूजल प्रबंधन एवं विनियमन योजना के अंतर्गत देश भर में 195 चेक डैम, 113 रिचार्ज शाफ्ट, 8 पेरकोलेशन टैंक, 5 पुल-सह-बंधारा, 2 सब-सर्फेस बैरियर और 2 बांधों का निर्माण किया गया है। भूजल प्रबंधन एवं विनियमन योजना के अलावा, जल शक्ति मंत्रालय देश में वर्ष 2019 से मिशन मोड में जल शक्ति अभियान को कार्यान्वित कर रहा है और इस समय जल शक्ति अभियान 2024 चल रहा है। जल शक्ति अभियान की शुरूआत से, देश में लगभग 1.57 करोड़ रूपये से जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन अवसंरचनाओं का कार्य पूरा कर लिया गया/ चल रहा है और इसके लिए 1.15 लाख करोड़ रूपये का व्यय केवल मनरेगा के साथ संयुक्त रूप से किया गया है।

(ङ): मौजूदा चरण को वर्ष 2021-2026 की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है और इस योजना के अंतर्गत नए घटकों को शामिल करने के बारे में कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

*****

<u>अनुलग्नक</u>

"भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना" के संबंध में दिनांक 05.12.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *158 भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्र.सं.	**जिला**	**अधिसूचित गांवों की संख्या**
1.	अनंतपुरम	6
2.	चित्तूर	1
3.	पालनाडु	16
4.	प्रकाशम	57
5.	श्री सत्य साईं	42
6.	श्रीकाकुलम	53
7.	वाईएसआर कडप्पा	13
	कुल	**188**

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2762

जिसका उत्तर 12 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

राजस्थान में नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने का तंत्र

2762. श्री उम्मेदा राम बेनीवालः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए क्या तंत्र है और इसकी विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या पाली, जोधपुर और बालोतरा में कारखानों से रसायन युक्त संदूषित जल छोड़े जाने से राज्स्थान की लूनी नदी में प्रदूषण होने की शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या कारखानों और सामान्य बहिस्त्राव शोधन संयंत्रों (सीईटीपी) के एचआरटीएस से रसायन युक्त जल लूनी नदी में छोड़े जाने सहित विभिन्न शिकायतें प्राप्त होने पर उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा लूनी नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे नदियों और अन्य जल निकायों में छोड़े जाने से पहले सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों का निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवश्यक उपचार सुनिश्चित करें। भारत सरकार गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के लिए नमामि गंगे, गंगा के अलावा अन्य नदी घाटियों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण), अधिनियम 1974 के प्रावधानों के अनुसार, औद्योगिक इकाइयों और स्थानीय निकायों को क्रमशः अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/सामान्य अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) और सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी)

स्थापित करने और नदी व उनके जल निकायों में निर्वहन से पहले निर्धारित पर्यावरण मानकों का अनुपालन करने के लिए अपने अपशिष्ट/सीवेज का उपचार करने की आवश्यकता होती है। तदनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियां (पीसीसी) अपशिष्ट जल निर्वहन मानकों के संबंध में उद्योगों की निगरानी करती हैं और इन अधिनियमों के प्रावधानों के तहत गैर-अनुपालन के लिए दंडात्मक कार्रवाई करती हैं।

इसके अलावा, देश में प्रदूषित नदी क्षेत्रों के पुनरुद्धार के संबंध में मूल आवेदन संख्या 673/2018 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के अनुपालन में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीपीसीबी द्वारा चिन्हित किए गए अपने अधिकार क्षेत्र में प्रदूषित क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए अनुमोदित कार्य योजनाओं को लागू करना आवश्यक है। इसके अलावा सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में केंद्रीय निगरानी समिति का गठन किया गया है।

(ख) से (ङ): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की 2022 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, यह पाया गया कि राजस्थान में लूनी नदी जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी), जो जैविक प्रदूषण का एक संकेतक है, के अनुरूप प्रदूषित थी।

सीपीसीबी के अनुसार, पाली, जोधपुर और बालोतरा में कारखानों से दूषित जल के निर्वहन के कारण राजस्थान की लूनी नदी में प्रदूषण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उक्त शिकायतों को सीपीसीबी ने उचित कार्रवाई करने के लिए राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (आरएसपीसीबी) को अग्रेषित किया था। आरपीसीबी के अनुसार, राजस्थान के पाली, जोधपुर और बालोतरा में 1831 कपड़ा इकाइयां हैं। 1831 कपड़ा इकाइयों में से 1674 सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (सीईटीपी) से जुड़ी हैं और 157 इकाइयों के पास अपने स्वयं के अपशिष्ट उपचार संयंत्र हैं। औद्योगिक अपशिष्ट के उपचार के लिए, 110 एमएलडी की कुल क्षमता वाले 9 सीईटीपी हैं: पाली में 4, जोधपुर में 2 और बालोतरा में 3। अनुपालक और गैर-अनुपालक सीईटीपी की संख्या क्रमशः 5 और 4 है।

विनियामक निकाय गैर-अनुपालन वाले सीईटीपी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करते हैं।

एनआरसीपी के तहत, राजस्थान में लूनी नदी की सहायक नदी, जोजरी के प्रदूषण उपशमन हेतु जोधपुर, राजस्थान में 40 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) क्षमता के सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित करने की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 172.60 करोड़ रुपये है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2967

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

राजस्थान में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना

2967. श्री भजन लाल जाटव:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के लिए किन राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा इसकी तिथि सहित वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त परियोजना में राज्य सरकारों और केंद्र सरकार का योगदान क्या है;

(ग) संपूर्ण परियोजना में अनुमानित कितनी राशि उपयोग में लाई जाएगी और इस संबंध में प्रस्तावित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) क्या है;

(घ) उक्त परियोजना के प्रारंभ होने की तारीख और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ङ) उक्त परियोजना में शामिल नदियों का विवरण और नाम क्या हैं और उक्त परियोजना के तहत किन जिलों को पानी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ग): जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के साथ राजस्थान और मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के साथ विधिवत एककृत संशोधित पार्बती-कालीसिंध-चंबल (एमपीकेसी) लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और ऑन बोर्ड आयोजना के लिए दिनांक 28.01.2024 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो नदियों को आपस में जोड़ने की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) का एक रूप है। इसके अलावा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इस परियोजना के विभिन्न घटकों जल बंटवारा और विस्तृत परियोजन रिपोर्ट को शीघ्रता से पूरा करने से संबंधित उनकी आशंकाओं के समाधान के लिए दोनों राज्यों के साथ विभिन्न स्तरों पर संयुक्त प्रयास किया गया है। इस परियोजना की अंतिम लागत और लागत बंटवारे पर विचार का आंकलन दोनों राज्यों द्वारा इस लिंक परियोजना की सभी घटकों की डीपीआर के अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् किया जा सकता है।

(घ): परियोजना शुरू होने की तारीख और जिस समय इसके पूरे होने की संभावना है, वह दोनों राज्यों पर निर्भर करेगा कि वे अपने संबंधित घटकों की डीपीआर को पूरा करें, आवश्यक वैधानिक मंजूरी प्राप्त करें और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अन्य प्रारंभिक आवश्यकताओं को पूरा करें।

(ङ) एमपीकेसी लिंक परियोजना में अन्य बातों के साथ-साथ प्रमुख नदियां शामिल हैं, जैसे कि चंबल और उसकी सहायक नदियां जैसे कि पार्बती, कालीसिंध, कुनो, बनास, बाणगंगा, रूपारैल, गमभीरी और मेजे। इस परियोजना के तहत झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डींग, अलवर, खैरथल- तिजारा, कोटपुतली- बहरोड़, जयपुर शहरी, जयपुर ग्रामीण, डूडू, अजमेर, ब्यावर और केकरी जिलों के 21 नव गठित जिलों और राजस्थान के टैंक और गांव, और मध्यप्रदेश के गुना, शिवपुरी, श्योपुर, सीहोर, शाजापुर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, मंदसौर, भिंड, मोरैना, अगर मालवा, रतलाम, ग्वालियर और धार के लिए पेयजल आपूर्ति, सिंचाई और औद्योगिक कार्यों के लिए जल की आपूर्ति को पूरा करने के लिए जल उपलब्ध करने की कल्पना की गई है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2966

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

सरदार सरोवर बांध से प्रभावित लोगों को भूमि का आवंटन

2966. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में सरदार सरोवर बांध से प्रभावित लोगों का पूरी तरह से पुनर्वास किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) कितने गांवों में लोगों का पुनर्वास अभी तक पूरा नहीं हुआ है;

(ग) क्या भूमि अधिग्रहण के बदले प्रभावित लोगों को प्रति लाभार्थी दो हेक्टेयर भूमि आबंटित करने का प्रावधान है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे लाभार्थियों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रभावित लोगों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया कब तक आरंभ होने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): सरदार सरोवर बांध के कारण महाराष्ट्र में नंदुरबार जिले के अक्कलकुवा और अकरानी तालुका के 33 आंशिक रूप से जलमग्न गांवों के 4189 परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) के पुनर्वास का कार्य पूरा हो चुका है। परियोजना प्रभावित परिवारों के सदस्यों का पुनर्वास उनके द्वारा दी गई सहमति के अनुसार, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य (गुजरात में 752 परियोजना प्रभावित परिवार और महाराष्ट्र में 3437) में किया गया है।

महाराष्ट्र में नंदुरबार जिले के तलोदा, शहादा और अक्कलकुवा तालुकों में सरदार सरोवर परियोजना के परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए कुल 14 पुनर्वास स्थलों की स्थापना की गई है।

(ग) से (ङ): घोषित 4192 परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) और उनके बालिग पुत्र और बालिग अविवाहित पुत्री को अधिगृहीत भूमि के बदले वैकल्पिक रूप से न्यूनतम 2 हेक्टेयर कृषि भूमि आबंटित किए जाने का प्रावधान है जिसकी निर्णायक तारीख 01-01-1987 के रूप में थी।

1470 लाभार्थियों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2955

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

विलुप्त हो चुकी/विलुप्त होने के कगार पर खड़ी नदियों का संरक्षण

2955. श्री राकेश राठौर:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विलुप्त हो चुकी/विलुप्त होने के कगार पर खड़ी नदियों का संरक्षण करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में विलुप्त होने के कगार पर खड़ी नदियों को भी बचाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से होकर बहने वाली सरायण नदी के संरक्षण की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) का प्राथमिक दायित्व है कि वे नदियों और अन्य जल निकायों में गिरने से पहले निर्धारित मानकों के अनुसार सीवेज और औद्योगिक बहिस्त्रावों का अपेक्षित उपचार सुनिश्चित करें। भारत सरकार विभिन्न कार्यक्रमों जैसे गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए नमामि गंगे, गंगा के अलावा अन्य नदी बेसिनों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) और अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के अंतर्गत राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

वर्ष 2022 में प्रकाशित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की रिपोर्ट के अनुसार, देश में कुल 603 नदियों की निगरानी की गई और यह पाया गया कि 279 नदियों के कुल 311 नदी खंड प्रदूषित थे।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) में अब तक देश के 17 राज्यों में 57 नदियों को शामिल किया गया है, जिनमें मणिपुर में नम्बुल, सिक्किम में रानी चू, गोवा में जुआरी आदि

छोटी नदियां शामिल हैं। इसके लिए 8931.49 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत निर्धारित की गई है और अन्य बातों के साथ-साथ 2941 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) सीवेज उपचार क्षमता सृजित की गई है।

गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 6,255 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की उपचार क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के निर्माण और पुनर्वास के लिए 32,513 करोड़ रुपये की लागत से कुल 203 सीवरेज अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 3327 एमएलडी की सीवेज उपचार क्षमता सृजित की गई है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पहचान किए गए प्रदूषित नदी खंडों के संरक्षण के लिए कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं और राज्य सरकार द्वारा गठित नदी संरक्षण समिति (आरआरसी) द्वारा इनकी निगरानी की जाती है। तैयार की गई कार्य योजनाओं में स्त्रोत नियंत्रण (नगरीय सीवेज प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन), नदी कैचमेंट/बेसिन प्रबंधन (अच्छी सिंचाई पद्धतियों को अपनाना, शोधित सीवेज का उपयोग, भूजल पुनर्भरण पहलू), बाढ़ मैदान क्षेत्र सुरक्षा और इसका प्रबंधन (जैव-विविधता पार्कों की स्थापना, अतिक्रमणों को हटाना, वर्षा जल संचयन, नदी के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण), पारिस्थितिक/पर्यावरणीय प्रवाह (ई-फ्लो) और वाटरशेड प्रबंधन जैसे पहलू शामिल हैं।

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 05.04.2022 के पत्र द्वारा जिला गंगा समितियों की देखरेख में जिला स्तर पर मनरेगा कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य में 50 छोटी नदियों के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए निर्देश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जिसमें 10 राज्य विभागों और एजेंसियों के सदस्य शामिल हैं जो मनरेगा के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों को अभिसरण करके छोटी नदियों के पुनरुद्धार और संरक्षण का कार्य निष्पादन करेंगे।

(ग) और (घ): सीतापुर जिले में सरायण नदी के पुनरुद्धार के लिए राज्य सरकार द्वारा कार्य योजना तैयार की गई है। इस योजना में वृक्षारोपण, तालाबों का निर्माण, नालों का पुनरुद्धार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल संचयन और अन्य संरक्षण संबंधी कार्य शामिल हैं।

राज्य सरकार द्वारा सूचित गया है कि सरायण नदी पर 05 किलोमीटर के दायरे में वर्ष 2022-23 में 1,90,700 पौधे, वर्ष 2023-24 में 1,20,500 और वर्ष 2024-25 में 27,200 पौधे लगाए गए हैं।

*****

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2954
जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

गोदावरी नदी का संरक्षण और पुनरुद्धार

2954. श्री राजभाऊ पराग प्रकाश वाजे:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नासिक शहर में और इसके आस-पास गोदावरी नदी के प्रदूषण उपशमन, संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्यक्रमों के विभिन्न खण्डों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई विशिष्ट और ठोस योजना है कि नासिक शहर में और उसके आस-पास गोदावरी नदी 2027 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले के विशाल आयोजन से पहले प्रदूषण मुक्त हो जाए; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए बजटीय प्रावधानों और आबंटनों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (घ): यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे नदियों और अन्य जल निकायों में प्रवाहित करने से पहले सीवेज और औद्योगिक बहि:स्त्रावों का निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवश्यक उपचार सुनिश्चित करें। भारत सरकार गंगा नदी के अलावा अन्य नदी घाटियों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) और अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

राज्य सरकार के अनुसार, नासिक के छह सीवरेज जोनों में 365 एमएलडी सीवेज उत्पादन के लिए 392.5 एमएलडी क्षमता के 11 एसटीपी स्थापित किए गए हैं।

एनआरसीपी के तहत, गोदावरी नदी के संरक्षण के लिए नासिक में 100 एमएलडी क्षमता के सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) स्थापित किए गए हैं। अमृत 1.0 के अंतर्गत गंगापुर में 18 एमएलडी और पिंपलगांव खंब में 32 एमएलडी की सीवेज उपचार क्षमता तैयार की गई है।

त्रिंबक नगर परिषद के अनुसार, गोदावरी नदी में प्रदूषण को रोकने के लिए, वर्तमान में 1.9 एमएलडी एसटीपी बनाया गया है। अस्थायी आबादी में वृद्धि और आगामी कुंभ मेले को ध्यान में रखते हुए, महाराष्ट्र राज्य सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना में राज्य सरकार द्वारा 34.00 करोड़ रुपये की लागत से 4.5 एमएलडी एसटीपी उपचार क्षमता को मंजूरी दी गई है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2941

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

गंगा नदी को कावेरी नदी से जोड़ना

2941. डॉ. थोल तिरुमावलवन:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का गंगा नदी को कावेरी नदी से जोड़ने की कोई योजना या प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके प्रारंभ तथा पूर्ण होने की लक्षित तिथि क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): भारत सरकार ने 1980 में अधिशेष बेसिनों से कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में जल स्थानांतरित करने के लिए नदियों को जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की थी। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) को एनपीपी के अंतर्गत नदियों को जोड़ने (आईएलआर) का कार्य सौंपा गया है।

एनपीपी के तहत 30 आईएलआर परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ मानस, संकोश, तिस्ता, गंगा, दामोदर, सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई और गुंडार नदियों को जोड़ने के प्रस्ताव शामिल हैं। मानस-संकोश-तिस्ता-गंगा-दामोदर-सुवर्णरेखा-महानदी संपर्क प्रणाली का उद्देश्य महानदी को जल उपलब्ध कराना है, तथा उसके बाद महानदी-गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-कावेरी-वैगई-गुंडर संपर्क प्रणाली का उद्देश्य कावेरी नदी तथा दक्षिण की ओर जल उपलब्ध कराना है। एनपीपी के अंतर्गत आईएलआर परियोजनाओं का विवरण तथा उनकी स्थिति **अनुलग्नक** में दी गई है।

महानदी-गोदावरी लिंक और ऊपरी लिंक पर आम सहमति बनने तक, छत्तीसगढ़ राज्य के इंद्रावती उप-बेसिन के लगभग 4189 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) अप्रयुक्त जल को गोदावरी (इंचमपल्ली)-कावेरी लिंक के माध्यम से मोड़ने की परिकल्पना की गई है, जिससे मौजूदा कमान के अनुपूरण सहित तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में लगभग 5.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई लाभ प्रदान किया जा सके। परियोजना में कर्नाटक और

पुडुचेरी में मालाप्रभा उप-बेसिन की घरेलू और औद्योगिक आवश्यकताओं सहित इन तीन राज्यों की घरेलू और औद्योगिक आवश्यकताओं की मांगों पर भी विचार किया गया है। लिंक परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और जनवरी, 2024 में प्रसारित कर दी जाएगी। आम सहमति बनाने के लिए आयोजित विभिन्न परामर्श बैठकों में पक्षकार राज्यों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, गोदावरी बेसिन से 4189 एमसीएम के हस्तांतरण के प्रस्ताव को बेदती-वरदा लिंक के माध्यम से कृष्णा बेसिन में अनुपूरण के प्रस्ताव के साथ जोड़ दिया गया है। भारत सरकार ने पक्षकार राज्यों के साथ परामर्श करके उन्हें आम सहमति पर लाने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। हालाँकि, नदी जोड़ परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आम सहमति पर पहुँचना पक्षकार राज्यों पर निर्भर है।

आईएलआर परियोजनाओं के कार्यों का प्रारंभ और उनका पूरा होना, संबंधित राज्यों द्वारा जल बंटवारे, इंटरलिंक के मार्ग आदि जैसे मुद्दों पर आम सहमति पर पहुंचने तथा संबंधित आईएलआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए परियोजना विशिष्ट समझौता ज्ञापन-पर हस्ताक्षर करने पर निर्भर करता है। (एमओए)

*****

अनुलग्नक

"गंगा नदी को कावेरी नदी से जोड़ना" के संबंध में संबंधित लोकसभा में दिनांक 12.12.2024 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2941 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

एनपीपी के तहत आईएलआर परियोजनाओं का विवरण और स्थिति

<u>प्रायद्वीपीय घटक</u>

क्रम सं.	नाम	लाभान्वित राज्य	स्थिति
1	क.महानदी (मणिभद्र) - गोदावरी (दौलैस्वरम) लिंक	आंध्र प्रदेश (एपी) और ओडिशा	एफआर पूरा हो गया है
	ख.वैकल्पिक महानदी (बारमुल) - ऋषिकुल्या - गोदावरी (दौलैस्वरम) लिंक	एपी और ओडिशा	एफआर पूरा हो गया है
2	गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक **	एपी	एफआर पूरा हो गया है
3	क.गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक	तेलंगाना	एफआर पूरा हो गया है
	ख.वैकल्पिक गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक *	तेलंगाना	डीपीआर पूरा हो गया है
4	गोदावरी (इंचमपल्ली/एसएसएमपीपी) - कृष्णा (पुलीचिंतला) लिंक	तेलंगाना और एपी	डीपीआर पूरा हो गया है
5	क.कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला) लिंक	एपी	एफआर पूरा हो गया है
	ख.वैकल्पिक कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला) लिंक *	एपी	डीपीआर पूरा हो गया है
6	कृष्णा (श्रीशैलम) - पेन्नार लिंक	एपी	ड्राफ्ट डीपीआर पूरा हो गया है
7	कृष्णा (अलमाटी) - पेन्नार लिंक	एपी और कर्नाटक	ड्राफ्ट डीपीआर पूरा हो गया है
8	क. पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक	एपी, तमिलनाडु और पुडुचेरी	एफआर पूरा हो गया है
	ख. वैकल्पिक पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक *	एपी, तमिलनाडु और पुडुचेरी	डीपीआर पूरा हो गया है
9	कावेरी (कट्टलाई) -वैगई -गुंडर लिंक	तमिलनाडु	डीपीआर पूरा हो गया है

10	क.पारबती-कालीसिंध-चंबल लिंक	मध्य प्रदेश (एमपी) और राजस्थान	एफआर पूरा हो गया है
	ख. संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक (ईआरसीपी के साथ विधिवत एकीकृत)	एमपी और राजस्थान	ड्राफ्ट पीएफआर पूरा हो गया है
11	दमनगंगा - पिंजल लिंक	महाराष्ट्र	डीपीआर पूरा हो गया है
12	पार-तापी-नर्मदा लिंक	गुजरात और महाराष्ट्र	डीपीआर पूरा हो गया है
13	केन-बेतवा लिंक	उत्तर प्रदेश (यूपी) और एमपी	डीपीआर पूरा हो गया है और परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है
14	पंबा - अचानकोविल - वैप्पर लिंक	तमिलनाडु और केरल	एफआर पूरा हो गया है
15	बड़ेती - वरदा लिंक @	कर्नाटक	डीपीआर पूरा हो गया है
16	नेत्रावती - हेमावती लिंक @@	कर्नाटक	पीएफआर पूरा हो गया है

* मणिभद्र और इंचमपल्ली बांधों पर सहमति लंबित होने के कारण, गोदावरी नदी के अप्रयुक्त पानी को मोड़ने के लिए वैकल्पिक अध्ययन किया गया और गोदावरी (इंचमपल्ली) -कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना की डीपीआर पूरी की गई।. गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना तैयार की गई है जिसमें गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (नागार्जुनसागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर) -पेन्नार (सोमासिला) और पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजनाएं शामिल हैं।

** गोदावरी (पोलावरम) - कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक - इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने हाथ में लिया है।

@ बड़ेती - वरदा लिंक - डीपीआर को इसके पीएफआर की तैयारी के बाद ही तैयार किया गया था, कोई एफआर तैयार नहीं किया गया था।

@@ कर्नाटक सरकार द्वारा येत्तिनाहोल परियोजना के कार्यान्वयन के बाद से आगे कोई अध्ययन नहीं किया गया है, क्योंकि इस लिंक के माध्यम से मोड़ने के लिए नेत्रावती बेसिन में कोई अतिरिक्त जल उपलब्ध नहीं है।

<u>हिमालयन घटक</u>

क्रम सं.	लिंक का नाम	लाभान्वित देश/राज्य	स्थिति
1.	कोसी-मेची लिंक	बिहार और नेपाल	पीएफआर पूरा हुआ
2.	कोसी-घाघरा लिंक	बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल	एफआर पूरा हुआ
3.	गंडक -गंगा लिंक	उत्तर प्रदेश और नेपाल	एफआर पूरा हुआ
4.	घाघरा-यमुना लिंक	उत्तर प्रदेश और नेपाल	ड्राफ्ट एफआर पूरा हुआ
5.	शारदा -यमुना लिंक	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	एफआर पूरा हुआ
6.	यमुना-राजस्थान लिंक	हरियाणा और राजस्थान	एफआर पूरा हुआ
7.	राजस्थान-साबरमती लिंक	राजस्थान और गुजरात	एफआर पूरा हुआ
8.	चुनार-सोन बैराज लिंक	बिहार और उत्तर प्रदेश	ड्राफ्ट एफआर पूरा हुआ
9.	सोन बांध - गंगा लिंक की दक्षिणी सहायक नदियाँ	बिहार और झारखंड	ड्राफ्ट एफआर पूरा हुआ
10.	मानस-संकोश-तिस्ता-गंगा (एम-एस-टी-जी) लिंक	असम, पश्चिम बंगाल (पश्चिम बंगाल) और बिहार	एफआर पूरा हुआ
11.	जोगीघोपा-तिस्ता-फरक्का लिंक (एम-एस-टी-जी का विकल्प)	असम, पश्चिम बंगाल और बिहार	पीएफआर पूरा हुआ
12.	फरक्का-सुंदरबन लिंक	पश्चिम बंगाल	(प्रस्ताव छोड़ दिया गया है)
13.	गंगा (फरक्का) - दामोदर-सुवर्णरेखा लिंक	पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड	एफआर पूरा हुआ
14.	सुवर्ण रेखा- महानदी लिंक	पश्चिम बंगाल और ओडिशा	एफआर पूरा हुआ

डीपीआर - विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

पीएफआर- पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट

एफआर- व्यवहार्यता रिपोर्ट

******

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2979

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

पश्चिमी बंगाल में एफएमबीएपी का कार्यान्वयन

2979. श्री ईशा खान चौधरी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एमएमबीएपी) के अंतर्गत बाढ़ और कटाव पुनर्निमाण के लिए विशेष रूप से केन्द्रीय सहायता के रूप में पश्चिमी बंगाल को ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से वर्ष-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) उक्त योजना के दौरान विशेष रूप से बाढ़ और कटाव के पश्चात पुनर्निमाण के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों को वर्ष-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) क्या एफएमबीएपी के अंतर्गत तिरपाल और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने जैसे राहत कार्य किये जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) बाढ़ और कटाव संबंधी अवसंरचना के वास्तविक पुनर्निमाण/निर्माण के साथ-साथ राहत कार्यों के लिए विशेष रूप से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): मंत्रालय ने नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटावरोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु 11वीं और 12वीं योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन (एफएमपी) कार्यान्वित किया गया था जिसे बाद में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के घटक के रूप में जारी रखा गया और इसे सीमित परिव्यय के साथ मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया। XIवीं योजना के प्रारंभ से पश्चिम बंगाल को जारी की गई केन्द्रीय सहायता (सीए) **अनुलग्नक** में दी गई है।

(ख): पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की 490.73 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली तीन बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं को एफएमबीएपी योजना के तहत वित्त पोषण के लिए शामिल किया गया है और राज्य को 159.36 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। इस समय में, सरकार के पास कोई निधियन प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ग): एफएमबीएपी के अंतर्गत, तिरपालों और खाद्य पदार्थों की व्यवस्था जैसे राहत कार्य नहीं किए जा रहे हैं।

(घ): 11वीं योजना के प्रारंभ से पश्चिम बंगाल को जारी की गई केन्द्रीय सहायता (सीए) 1282.11 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार, भारत सरकार के अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार, उनके निपटान हेतु पहले से रखी गई राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एसडीआरएफ) से राहत सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत कुल 4009.60 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत 3558.74 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।

*****

अनुलग्नक

"पश्चिमी बंगाल में एफएमबीएपी का कार्यान्वयन" विषय पर दिनांक 12.12.2024 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 2979 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुलग्नक।

11वीं योजना के प्रारंभ से पश्चिम बंगाल राज्य को जारी की गई वर्ष-वार केन्द्रीय सहायता (सीए)

राशि करोड़ रुपये में

एफएमबीएपी के तहत जारी वर्षवार निधि							
जारी की गई निधियां (12वीं योजना)	जारी की गई निधियां (12वीं योजना)	11वीं और 12वीं योजना के दौरान जारी की गई निधियां	जारी की जा चुकी केंद्रीय सहायता				स्थापना के बाद से जारी कुल केंद्रीय सहायता
			2017-18	2018-19	2019-20	2021-22	
771.75	194.75	966.5	65.03	89.312	117.12	44.15	**1282.11**

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2978

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

रायगड में जल निकायों का लवणीकरण

2978. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के रायगड जिले के कुछ क्षेत्रों में टूटे हुए बांधों के कारण तट और खाडियों के साथ लगभग 32,000 हेक्टेयर भूमि लवणयुक्त हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप फसल की पैदावार में भारी गिरावट आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त क्षेत्रों में भूजल लवणता के कारण सिंचाई के लिए अनुपयुक्त हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा जल निकायों में लवणता को कम करने के लिए रायगड जिले में टूटे हुए बांधों को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): बांधों के निर्माण और रखरखाव सहित जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण, निष्पादन और रखरखाव से संबंधित कार्य राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। भारत सरकार की भूमिका उनके लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने और कुछ मामलों में मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित है। तथापि, इस मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) अपने भू-जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम और विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के भाग के रूप में क्षेत्रीय स्तर पर महाराष्ट्र राज्य सहित देश में भूमि जल गुणवत्ता आंकडे तैयार करता है।

महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि रायगढ़ जिले में 165 लवणीय तटबंध (खरलैंड बांध) हैं। इनमें से 72 योजनाओं का 15 वर्ष पहले ही नवीकरण कर दिया गया है। रायगढ़ जिला भारी वर्षा वाले और उच्च ज्वारीय क्षेत्र में आता है। मानसून के मौसम में भारी वर्षा और उच्च वसंत ज्वार (स्प्रिंग टाइड्स) के कारण यहाँ की पुरानी योजनाएं टूट गई और क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसलिए भारी वर्षा और उच्च ज्वार के दौरान इन योजनाओं के कार्य में बार-बार विघ्न उत्पन्न

होता है। लेकिन कृषि भूमि में खारे पानी को जाने से रोकने के लिए उपलब्ध राशि का उपयोग कर इन टूटे हुए खंडों की तत्काल आपातकालीन मरम्मत की जाती है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, सीजीडब्ल्यूबी द्वारा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से कुल 50 भूजल नमूने एकत्र किए गए। इन नमूनों के रासायनिक विश्लेषण इंगित करता है कि रोहा ब्लॉक के दो नमूनों अर्थात सुकेली और दापोली, क्रमशः 3,864 और 19,200 माइक्रोसीमेंस प्रति सेंटीमीटर की उच्च विद्युत चालकता (ईसी) को दर्शाते हैं जबकि, शेष 48 नमूनों में ईसी मान 1500 माइक्रोसीमेंस प्रति सेंटीमीटर से नीचे दर्ज किया गया।

इसके अतिरिक्त, सिंचाई के लिए भूजल की उपयुक्तता न केवल ईसी पर निर्भर करती है बल्कि सोडियम की प्रतिशतता, सोडियम अवशोषण मूल्यों, अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट, मृदा के प्रकार और फसल प्रबंधन पद्धतियों पर भी निर्भर करती है।

(ग): लवणीय (खारलैंड) बांधों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अल्पकालिक उपाय के रूप में महाराष्ट्र सरकार द्वारा उन स्थानों पर कार्य किए जाते हैं जहां भारी वर्षा और वसंत ज्वार (स्प्रिंग टाइड्स) के कारण बंधों को क्षति होती है। दीर्घावधिक उपायों के रूप में महाराष्ट्र सरकार द्वारा लवणीय (खारलैंड) बांधों का नवीकरण कार्य शुरू किया गया है। इस संबंध में हाल ही में किए गए कार्यकलाप इस प्रकार हैं।

(i) महाराष्ट्र राज्य निधि के माध्यम से, वर्ष 2023-24 में 5 योजनाओं (कलाई, बुर्डी, जमरुतखर, टोकेखर और वारथी) का नवीनीकरण किया गया है जिसके परिणामस्वरूप 171 हेक्टेयर भूमि का संरक्षण हुआ है। 1,345 हेक्टेयर भूमि (वाधव बोरज़े, मनकुले सोनकोठा हशिवरे, वेव पोटेज, शेनवाई पहल, बनुमैरियम, कंडलवाड़ा, कुडगांव हार्वित और खरगांव बुद्रुक) की संरक्षा के लिए 8 योजनाएं चल रही हैं।

(ii) राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन कार्यक्रम (एनसीआरएमपी) के तहत, दो लवणीय (खरलैंड) योजनाओं (नरवेल बेनावाले और कचली पिटकरी) का नवीनीकरण कार्य मार्च, 2024 में पूरा हो गया है। इन दोनों योजनाओं के कारण कुल 1,722 हेक्टेयर क्षेत्र को संरक्षित किया गया है।

(iii) महाराष्ट्र राज्य निधि के माध्यम से, वर्ष 2023-24 के दौरान महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1,728 हेक्टेयर भूमि (शाहबाज, धकटपाड़ा शहापुर, मनोरंजन, वालके सतीर्डे, करंजवीरा और महादेवखर म्हालुंगे) की संरक्षा के लिए 6 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण आपदा शमन (कोंकण पैकेज) कार्यक्रम के तहत 1,735 हेक्टेयर क्षेत्र की संरक्षा के लिए वर्ष 2023-24 के दौरान 14 योजनाओं को मंज़ूरी दी है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2976

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

घग्घर नदी

2976. कुमारी सैलजा:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों से गुजरने वाली घग्घर नदी का जल पेयजल और सिंचाई के लिए उपयुक्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त नदी के जल का परीक्षण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका टीडीएस स्तर क्या है; और

(ग) क्या उक्त नदी प्रदूषित/संदूषित पाई गई है तथा इसका जल पीने और सिंचाई के लिए अनुपयुक्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समस्या के समाधान के लिए क्या योजना है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ग): नवंबर, 2022 में सीपीसीबी द्वारा प्रकाशित अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, घग्गर नदी पर दो प्रदूषित खंडों; पंजाब और हरियाणा राज्यों में एक-एक खंड की पहचान की गई है। वर्ष 2023 के लिए घग्गर नदी के जल गुणवत्ता निगरानी परिणामों के आधार पर, सीपीसीबी ने सूचित किया है कि हरियाणा राज्य में कुल घुलित ठोस पदार्थ (टीडीएस) 198-1068 मिलीग्राम प्रति लीटर और पंजाब में 248-2010 मिलीग्राम/लीटर की सीमा में पाए गए। इसके अलावा, घग्गर नदी को इस अवधि के दौरान वर्ग ई (सिंचाई, औद्योगिक शीतलन) के लिए नामित सर्वोत्तम उपयोग जल गुणवत्ता मानदंडों का अनुपालन करते हुए पाया गया। पानी की गुणवत्ता के आधार पर सतही जल को पीने के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त बनाने हेतु पारंपरिक उपचार और कीटाणु-शोधन की आवश्यकता होती है।

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और स्थानीय निकायों की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे सीवेज और औद्योगिक बहि:स्राव को प्राप्तकर्ता जल निकायों या भूमि में प्रवाहित करने से पहले उनमें प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए आवश्यक उपचार सुनिश्चित करें।

देश में गैर-गंगा बेसिन में नदियों के संरक्षण के लिए, यह मंत्रालय राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरा कर रहा है। इस योजना के तहत, घग्गर नदी के संरक्षण के लिए पंजाब के विभिन्न शहरों में 15 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) की सीवेज उपचार क्षमता तैयार की गई थी।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूचित किया है कि घग्गर नदी के जलग्रहण क्षेत्र में शहरों से निकलने वाले अपशिष्ट जल के उपचार के लिए कुल 291.7 एमएलडी क्षमता के 28 एसटीपी स्थापित किए गए हैं और 97 एमएलडी के 15 एसटीपी निर्माणाधीन हैं। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूचित किया है कि घग्गर कार्य योजना के तहत राज्य में नदी के जलग्रहण क्षेत्र में 588 एमएलडी की सीवेज उपचार क्षमता तैयार की गई है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2974

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

बाढ़ से विनाश

2974. डॉ. आनन्द कुमार गोंड:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास बहराईच संसदीय क्षेत्र में हर साल सरयू और घाघरा नदियों में बाढ़ के कारण होने वाले मकानों के विनाश और कृषि भूमि के कटाव को रोकने के लिए कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उन लोगों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने बाढ़ और कटाव में अपने घर और कृषि भूमि खो दी है; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसे प्रभावित लोगों के पुनर्वास और रोजगार के लिए कोई योजना लागू की है/क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): बाढ़ प्रबंधन और कटाव-रोधी योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करके और संवर्धनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को मजबूत करने के लिए, मंत्रालय ने 11वीं और 12वीं योजना के दौरान नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए एक बाढ़ प्रबंधन (एफएमपी) कार्यान्वित किया था।

जो बाद में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में चलता रहा और फिर इसे सीमित परिव्यय के साथ वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया गया।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि बहराइच जिले में बाढ़ से सुरक्षा के लिए सरयू और घाघरा नदियों के बाएं किनारे पर 95 किमी लंबाई का बेल्हा-बहरौली तटबंध और 15.50 किमी

लम्बाई का रेवाली आदमपुर तटबंध बनाया गया है जिससे 176850 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि की संरक्षा होती है।

(ख) और (ग): आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है। केन्द्र सरकार राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करती है और उसके लिए अपेक्षित लॉजीस्टिक्स और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकार वर्षा और बाढ़ सहित 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई क्षति का आकलन करती है और भारत सरकार के अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार उनके निपटारे के लिए पहले से रखी गई राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) से राहत सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर आपदा' जिसमें अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल (आईएमसीटी) के द्वारा किए गए दौरे पर आधारित आकलन भी शामिल है, के मामले में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 2024-25 में बहराइच जिले में घाघरा और सरयू नदियों के कटाव से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए कच्चे/पक्के/पूर्ण/आवासीय घरों के लिए 173 लोगों को 2,02,75,000 रुपये, आवासीय झोपड़ियों के लिए 139 लोगों को 14,28,000 रुपये और पशु शेड को क्षति के लिए 03 व्यक्तियों को 9,000 रुपये की राहत (आवास अनुदान) सहायता, आपदा राहत कोष से प्रदान की गई है। घाघरा और सरयू नदियों में कृषि योग्य भूमि के कटाव से प्रभावित कुल 1142 किसानों के लिए 98,08,541 रुपये, कृषि निवेश अनुदान आपदा राहत कोष से प्रभावित हुए लोगों के खातों में भेजे गए हैं।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2970

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

चेकडैम और नहरों का रख-रखाव

2970. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले में मौजूदा चेकडैम और नहरों के उचित रखरखाव की कमी के कारण किसानों को प्रभावित करने वाले जल संकट से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का इस क्षेत्र मे सिंचाई सुविधाओं में सुधार के लिए खेती के पानी की कमी को पूरा करने के लिए वैकल्पिक नहरों और चेकडैमों के निर्माण का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ग): जल राज्य का विषय है और जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण, निष्पादन और अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा स्वयं उनके अपने संसाधनों और प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार की भूमिका इस मंत्रालय की चल रही योजनाओं के अंतर्गत कुछ अभिज्ञात परियोजनाओं के लिए एक प्रेरक के रूप में तकनीकी सहायता प्रदान करने और आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित है। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परियोजनाओं के जल संसाधनों का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन किया जाता है।

पुरूलिया, पश्चिम बंगाल में सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने हेतु कृषि जल की कमी को पूरा करने के लिए वैकल्पिक नहरों और चैक बांधों का निर्माण अथवा मौजूदा चैक बांधों और नहरों के उचित रखरखाव में कमी के कारण जल संकट के संबंध में केन्द्रीय जल आयोग में कोई विशिष्ट सूचना अथवा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2940

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

बिहार में कोसी नदी

2940. श्री दिनेश चंद्र यादव:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिहार में कोसी नदी के दोनों किनारों पर बने नए तटबंधों से इस नदी की स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है यद्यपि इसकी क्षमता नौ लाख क्यूसेक पानी वहन करने की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नेपाल से कोसी नदी में अतिरिक्त पानी छोड़े जाने से कोसी के तटीय क्षेत्रों तथा मधेपुरा, सहरसा और खगड़िया जिलों में विनाशकारी बाढ़ आ जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि बरसात के मौसम में नेपाल से छोड़े जाने वाले पानी में रेत और गाद की मात्रा अधिक होने के कारण कोसी नदी का तल काफी ऊपर उठ जाता है जो बाढ़ का मुख्य कारण है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार हाल ही में जमा गाद को निकालने के लिए कोसी के नदी तल से गाद निकालने की किसी योजना पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): कोसी नदी बैराज और इससे संबद्ध संरचनाओं को और लेवीज़/तटबंधों को मूल रूप से 9.5 लाख क्यूसेक के अधिकतम जल-निर्वहन की दृष्टि से डिज़ाइन किया गया था। बिहार में कोसी नदी के दोनों किनारों पर तटबंधों के निर्माण से नदी की स्थिरता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

(ख): कोसी नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों जो मुख्यत नेपाल में स्थित है, में भारी वर्षा के कारण नदी का बहाव बढ़ जाता है और यह बिहार राज्य के सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार और खगड़िया जिलों में बाढ़ का एक मुख्य कारण बनता है। इस क्षेत्र को हर साल, अलग-अलग स्तर की बाढ़ का सामना करना पड़ता है।

(ग) और (घ): किसी नदी में अपरदन और तलछट का जमाव नदी के प्राकृतिक नियंत्रण कार्यों में आता है। नदियाँ अपने साथ चल रहे गाद भार और उसमें जमा गाद भार के बीच संतुलन बनाए रखती हैं, जिससे नदी की व्यवस्था बनी रहती है। बाढ़ को कम करने हेतु नदियों की गाद निकालना/तलकर्षण कोई तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्य समाधान नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे केवल आंशिक रूप से लाभ मिल सकता है और वह केवल अल्पावधि के लिए प्रभावी होता है। विशिष्ट खंडों जैसे ज्वारीय नदियों, संगम स्थलों में संकीर्ण संकुचित स्थलों आदि में चयनात्मक तलकर्षण का कार्य कभी-कभी स्थानीय स्थल स्थितियों के आधार पर करना पड़ सकता है। हालांकि, इसके लिए एक विशिष्ट वैज्ञानिक मॉडल अध्ययन होना चाहिए।

गाद निकालने के उपायों जिनमें जल निकासी अवरोधों को हटाने, चैनल क्षमता सुधार और नौचालन उद्देश्यों के लिए नदियों के विशिष्ट क्षेत्रों से गाद निकालने के कार्यकलाप शामिल है, को संबंधित राज्यों/एजेंसियों द्वारा आवश्यकतानुसार तैयार और कार्यान्वित किया जाता है। आज की तारीख तक राज्य सरकार से गाद के निकाले जाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

तलछट के व्यापक और समग्र प्रबंधन के लिए, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विस्तृत परामर्श करते हुए "तलछट प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा" (एनएफएसएम) तैयार किया है। जो गाद हटाने के बजाय गाद उत्पादन को कम करने और तकनीकी नवाचारों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस फ्रेमवर्क में पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर उचित ध्यान देते हुए एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन योजना के माध्यम से तलछट प्रबंधन पर बल दिया गया है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2930

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

नदियों के कटाव के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास

2930. श्री रमाशंकर राजभर:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नदियों के कटाव के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा नदियों के कटाव से भूमि और गांवों को बचाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार की नदियों से गाद हटाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में भू-जल स्तर के परिदृश्य का अध्ययन करने के लिए योजना आयोग के विशेषज्ञ समूह के अब तक के मुख्य निष्कर्ष क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में भू-जल के तेजी से गिरते स्तर को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के अंतर्गत कटाव से प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु नीति तैयार की है। राज्य सरकार वर्षा और बाढ़ सहित 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान का आकलन करती है और भारत सरकार के अनुमोदित मानदंडों के अनुसार पहले से ही उनके निपटान में रखे गए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से राहत सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है।

बाढ़ प्रबंधन और कटाव निरोधक योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। भारत सरकार गंभीर क्षेत्रों के लिए तकनीकी सहायता के साथ-साथ प्रोत्साहनात्मक वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। बाढ़ प्रबंधन और कटाव-रोधी संरचनात्मक उपायों को मजबूत करने के लिए, केंद्र सरकार ने ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, जल निकासी विकास, समुद्री कटाव-रोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय

सहायता प्रदान करने के लिए बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) लागू किया था, जो बाद में 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए “बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम” (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में जारी रहा और इसे वर्ष 2026 तक आगे बढ़ा दिया गया। कुल 529 एफएमपी योजनाओं को मंजूरी दी गई है और इसकी स्थापना के बाद से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एफएमपी घटक के तहत 7136.00 करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय सहायता जारी की गई है। इनमें से 427 पूर्ण योजनाओं ने लगभग 5.04 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान की है और लगभग 53.69 मिलियन की आबादी को सुरक्षा प्रदान की है।

(ख): नदी में कटाव, गति और तलछट का जमाव एक नदी के प्राकृतिक विनियमन कार्य हैं। नदियाँ ढोए गए गाद भार और जमा किए गए गाद भार के बीच संतुलन बनाए रखती हैं, जिससे नदी व्यवस्था बनी रहती है। नदियों की ड्रेजिंग/डिसिल्टिंग तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं माना जाता है क्योंकि इससे मामूली लाभ मिल सकता है और यह केवल अल्पावधि के लिए प्रभावी है। विशिष्ट खंडों जैसे ज्वारीय नदियों, संकीर्ण अवरोधों वाले संगम बिंदुओं आदि में चयनात्मक ड्रेजिंग, कभी-कभी स्थानीय स्थल स्थितियों के आधार पर की जानी पड़ सकती है। तथापि, इसके समर्थन में समुचित वैज्ञानिक मॉडल अध्ययन का सहारा लिया जाना चाहिए। जल निकासी की समस्या को दूर करने, चैनल क्षमता में सुधार और नौवहन के उद्देश्य से नदियों के विशिष्ट क्षेत्रों में ड्रेजिंग सहित गाद निकालने के उपायों को आवश्यकतानुसार संबंधित राज्यों/एजेंसियों द्वारा तैयार और कार्यान्वित किया जाता है।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने तलछट के व्यापक और समग्र प्रबंधन के लिए, केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ व्यापक परामर्श करके “तलछट प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय ढांचा” (एनएफएसएम) तैयार की है। इसका जोर गाद हटाने के बजाय गाद उत्पादन को कम करने और प्रौद्योगिकीय नवाचारों तथा सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने पर है। यह रूपरेखा पर्यावरण और पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन योजना के माध्यम से तलछट प्रबंधन पर जोर देती है।

(ग): नीति आयोग के विशेषज्ञ समूह ने माना है कि कुछ क्षेत्रों में अतिदोहन के कारण भारत के भूजल संसाधन गंभीर खतरों का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण छोटे किसानों और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव के साथ जल स्तर में काफी गिरावट आई है। विशेषज्ञ समूह ने कृत्रिम पुनर्भरण विधियों और स्थायी निष्कर्षण प्रथाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसने मजबूत कानूनी सुधारों द्वारा समर्थित समुदाय-आधारित भूजल प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके अलावा, विशेषज्ञ समूह ने पुनर्भरण दरों के साथ भूजल उपयोग को संतुलित करते हुए सतत उपज दृष्टिकोण अपनाने का समर्थन किया है। इसने भूजल स्तर की वैज्ञानिक निगरानी और सतत उपयोग के आकलन की जिम्मेदारी केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और राज्य भूजल बोर्डों (एसजीडब्ल्यूबी) को सौंपी है। यदि भूजल स्तर पुनःपूर्ति योग्य सीमा से नीचे चला जाता है, तो केंद्र सरकार पर्यावरण अधिनियम के तहत प्रभावित क्षेत्रों को "पर्यावरणीय रूप से संकटग्रस्त" घोषित करके हस्तक्षेप कर सकती है।

(घ): जल संसाधन के संरक्षण सहित जल संसाधन से संबंधित पहलुओं की आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा उनके संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करती है और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही मौजूदा योजनाओं के अनुसार अपेक्षित तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

देश भर में घटते जल स्तर के मुद्दे का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का उल्लेख निम्नानुसार है:

- केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने लगभग 25 लाख वर्ग किमी के पूरे मानचित्रण योग्य क्षेत्र में राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण (एनएक्यूआईएम) परियोजना पूरी कर ली है। जलभृत मानचित्र और प्रबंधन योजनाएं तैयार कर ली गई हैं और कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य एजेंसियों के साथ साझा की गई हैं।

- केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर योजना-2020 तैयार की है जिसमें देश की विभिन्न भू-स्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को दर्शाया गया है। मास्टर प्लान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित कर दिया गया है और इसमें 185 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) मानसून वर्षा का उपयोग करने के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है। मास्टर प्लान को राज्य की योजनाओं स्कीमों के साथ अभिसरण के माध्यम से प्रत्येक राज्य के एक जिले में कार्यान्वित किया जा रहा है।

- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय जल नीति (2012), अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण का समर्थन करती है और वर्षा के प्रत्यक्ष उपयोग के माध्यम से पानी की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक रूप से नियोजित तरीके से नदी, नदी निकायों और अवसंरचना के संरक्षण का भी समर्थन किया गया है।

- देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है।

- सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को एक मॉडल बिल परिचालित किया है ताकि वे इसके विकास के विनियमन के लिए उपयुक्त भूजल कानून बनाने में सक्षम हो सकें, जिसमें वर्षा जल संचयन का प्रावधान भी शामिल है। अब तक 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भूजल कानून को अपनाया और कार्यान्वित किया है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2916

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

बिहार में भूजल संसाधनों का कुशल उपयोग

2916. डॉ. संजय जायसवाल:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार के उन जिलों, विशेषकर पश्चिम चंपारण, जो गिरते जल स्तर का सामना कर रहे हैं, में भूजल संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए कोई योजना लागू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): जल राज्य का विषय है, अत: भूजल संसाधनों का स्थायी विकास और प्रबंधन मुख्यतः राज्य सरकारों का दायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा अपनी विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थन प्रदान किया जाता है। इस दिशा में, देश में भूजल संसाधनों के सतत विकास के लिए जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं: -

i. जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की एक स्कीम, भूजल प्रबंधन और विनियमन (जीडब्ल्यूएमआर) योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में भूजल मैपिंग, मॉनिटरिंग और विकास गतिविधियां करना है। भूजल स्तर की नियमित मॉनिटरिंग इस योजना के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों में से एक है और दशकीय औसत स्तर (नवंबर 2013-22 के औसत स्तर के साथ नवंबर 2023 के स्तर की तुलना से यह ज्ञात होता है कि, बिहार में मॉनिटर किए गए लगभग 41.7% कूपों के भूजल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है जबकि, पश्चिम चंपारण के विश्लेषण से यह पता चलता है कि 86.67% कूपों के जल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है।

ii. सरकार द्वारा वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह वर्षा संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों के लिए एक मिशन मोड और समयबद्ध कार्यक्रम है। वर्तमान में, देश में जेएसए 2024 का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें बिहार के 2 जल की कमी वाले जिलों सहित देश के 151 ऐसे जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जेएसए एक अम्ब्रेला अभियान है जिसके तहत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण द्वारा विभिन्न भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं।

iii. इसके अतिरिक्त, सीजीडब्ल्यूबी द्वारा बिहार राज्य के लगभग 90,567 वर्ग किमी क्षेत्र सहित देश भर में लगभग 25 लाख वर्ग किमी मैपिंग योग्य क्षेत्र को कवर करते हुए राष्ट्रीय जलभृत मैपिंग (नैक्यूम) परियोजना भी पूरी कर ली गई है। पश्चिम चंपारण सहित सभी जिलों के लिए जलभृत मैपिंग और प्रबंधन योजनाएं तैयार की गई हैं और इन्हें कार्यान्वयन हेतु संबंधित राज्य एजेंसियों के साथ साझा किया गया है। नैक्यूम के तहत तैयार की गई जलभृत प्रबंधन योजनाओं में आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष दोनों प्रकार के कार्यकलाप प्रस्तावित किए गए हैं।

iv. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान-2020 तैयार किया गया है और इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है, जिसमें अनुमानित लागत के साथ लगभग 185 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) जल के संचयन के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार की गई है। बिहार राज्य के मास्टर प्लान में राज्य में लगभग 91 हजार संरचनाओं के निर्माण की सिफारिश की गई है।

v. कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एवं एफडब्ल्यू), भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से बिहार सहित देश में प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जो उपलब्ध जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए सूक्ष्म सिंचाई और बेहतर ऑन-फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता में वृद्धि पर केंद्रित है।

vi. भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर का आरंभ किया गया है जिसका उद्देश्य बिहार सहित देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना था। इसके परिणामस्वरूप देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवर का निर्माण/ पुनरुद्धार किया गया है जिनमें से 2,717 बिहार में हैं।

vii. भारत सरकार द्वारा मनरेगा और पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी जैसी योजनाओं के माध्यम से बिहार सहित सभी राज्यों में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के निर्माण में सहायता प्रदान किया जा रहा है।

viii. देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है। सीजीडब्ल्यूए द्वारा अपने दिनांक 24.09.2020 के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार एनओसी जारी कर देश में भूजल की निकासी सह उपयोग को विनियमित किया जाता है। ये दिशानिर्देश अखिल भारतीय स्तर पर लागू है।

ix. मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के विकास के विनियमन के लिए उपयुक्त भूमि जल कानून अधिनियमित करने में सक्षम बनाने के लिए एक माडल बिल परिचालित किया गया है जिसमें वर्षा जल संचयन का प्रावधान भी शामिल है। अब तक बिहार सहित 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इन भूजल कानून को अपनाया है और इन्हें लागू किया है।

उपरोक्त के अलावा, राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, बिहार सरकार द्वारा बिहार में भूजल संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए जल जीवन-हरियाली मिशन का कार्यान्वयन किया गया है, इन्हें विशेष रूप से पश्चिमी चंपारण जैसे जिलों में लागू किया गया है। इसमें निम्नलिखित शामिल है:

- तालाबों / आहार / पाइन्स का पुनरुद्धार।
- कुओं का पुनरुद्धार ।
- कुओं और हैंड पंपों के निकट सोक पिट्स /पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2901

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

तीस्ता नदी में बाढ़

2901. डॉ. जयंत कुमार राय:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जलपाईगुड़ी जिले में तीस्ता नदी में बार-बार आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आवंटित निधि सहित बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ख) क्या सरकार जलपाईगुड़ी के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में स्थायी जल संरक्षण संरचनाएं स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के साथ सहयोग कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): बाढ़ प्रबंधन और कटाव-रोधी स्कीमें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करके और संवर्धनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को मजबूत करने के लिए, मंत्रालय ने नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए XIवीं और XIIवीं बाढ़ प्रबंधन योजना (एफएमपी) के दौरान कार्यान्वित किया था, जो बाद में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में चलता रहा और आगे वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया गया। जलपाईगुड़ी जिले को लाभ पहुंचाने वाले एफएमपी घटक के तहत पश्चिम बंगाल राज्य को 11.31 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता (सीए) जारी की गई है।

गैर-संरचनात्मक उपायों के लिए, केंद्रीय जल आयोग एक नोडल संगठन है जिसे देश में बाढ़ पूर्वानुमान और प्रारंभिक बाढ़ चेतावनी जारी करने का कार्य सौंपा गया है। यह नेटवर्क राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से स्थापित किया गया है। 24 घंटे के प्रतिक्रिया समय सहित लधु-अवधि के पूर्वानुमानों के अलावा, सीडब्ल्यूसी ने अपने पूर्वानुमान स्टेशनों पर 7 दिनों

की अग्रिम एडवाइजरी के लिए वर्षा-रनऑफ गणितीय मॉडलिंग के आधार पर बेसिनवार बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल भी विकसित किया है ताकि स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा लोगों से आवास स्थल खाली कराने की आयोजना बनाने और अन्य उपचारात्मक उपाय करने के लिए अधिक समय प्रदान किया जा सके। जलपाईगुड़ी जिले में दो बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्र हैं अर्थात तीस्ता नदी पर दोमोहानी और जलढाका नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग-31 है।

(ख): जल शक्ति मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले सहित देश के सभी जिलों (सभी ब्लॉकों और नगर पालिकाओं) के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान शुरू किया है। इस अभियान में पांच केंद्रित कार्यकलाप हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण का कार्य शामिल हैं। इस अभियान के अतंर्गत, दिनांक 22.03.2021 से दिनांक 10.12.2024 के दौरान पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में 7,841 जल संबंधी कार्य (जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण, पुन: उपयोग और पुनर्भरण संरचनाएं और वाटरशेड विकास) से संबंधित कार्य पूरे किए गए हैं।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2894

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

गंगा उत्सव की भूमिका

2894. श्री कंवर सिंह तंवर:

श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गंगा नदी के संरक्षण और श्रद्धा को बढ़ावा देने में गंगा उत्सव की क्या भूमिका है;

(ख) गंगा बेसिन में स्थित कितने जिलों ने गंगा उत्सव 2024 में भाग लिया; और

(ग) जल संरक्षण में जन भागीदारी का क्या महत्व है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): गंगा उत्सव का मुख्य उद्देश्य गंगा बेसिन के किनारे जीवन-यापन कर रहें लोगों में जन जागरूकता, प्रतिभागिता, सहभागिता और व्यवहारिक बदलाव लाया जाए। यह उत्सव गंगा नदी के संरक्षण में पर्णधारकों की सहभागिता और जन भागीदारी को बढ़ावा देते हुए गंगा नदी को पुनर्जीवित करने में जन भागीदारी की महत्ता को हाइलाइट करता है।

गंगा उत्सव, 2024, नदी संरक्षण की दृष्टि से तकनीकी, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और शैक्षणिक कार्यकलापों का एक सम्मिश्रण है। भारत में पहली बार, एक केंद्रीय स्तर के कार्यक्रम को गंगा नदी के तट पर एक उत्सव के रूप में मनाया गया, ताकि वह नदियो के लिए एक आदर्श उत्सव के रूप में मनाया जाए। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चे, कॉलेज स्टुडेंट, नदी व्यवसायी, शहरी स्थानिय निकायों के अधिकारी, एनएमसीजी के पार्टनर, कंपनी, आध्यात्मिक गुरू, केंद्रीय अधिकारी और उत्तराखंड राज्य सरकार और एनएमसीजी के अधिकारी और कर्मचारी द्वारा एक वैविध्यपूर्ण भागीदारी शामिल थी। यह कार्यक्रम चांदी घाट, हरिद्वार, उत्तराखंड में आयोजित किया गया था।

इस कार्यक्रम में "नागरिकों द्वारा शहरी नदी प्रबंधन", उपचारित जल पुनःउपयोग: कार्य करने की नीति और नदी संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे तकनीकी सत्रों को शामिल किया गया। इससे नदी की आध्यात्मिकता और संरक्षण से जुड़ी गहरी जड़ों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक आध्यात्मिक सत्र आयोजित किया गया। युवाओं और बच्चों को नदियों से जोड़ने के लिए कहानी सुनाने का सत्र के साथ-साथ गंगा से संबंधित फिल्में दिखायी गई। विभिन्न पणधारकों द्वारा तकनीकी, जैव-विविधता, नमामि गंगे की पहल और प्रभाव और अन्य संबंधित विषयों पर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। गंगा आरती, गंगा बेसिन में और उसके चारों ओर सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नागरिकों के साथ नदी जुडाव को सुदृढ़ बनाती है।

(ख): गंगा नदी की मुख्य धारा पर 139 जिले हैं, जिन्हें जिला गंगा समिति के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसमें से, वर्ष 2024 में 110 जिलों से अधिक में गंगा उत्सव मनाया गया।

(ग): जन भागीदारी जल संसाधन के संरक्षण और कुशल प्रबंधन की कुंजी है। समाज के सभी वर्गों से सामुहिक प्रयास सहित बड़ी संख्या में जन भागीदारी जल संरक्षण के लिए विभिन्न पहल और कार्यकलापों की एक स्थायी कुंजी है। घरेलू स्तरों पर जल के कम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जल की कटौती, पुनःचक्रण और पुनःउपयोग के सिद्धांत, वर्षा जल संचयन द्वारा जल संरक्षण, सामुदायिक स्तर पर उपचारित जल का पुनःउपयोग आदि जल संरक्षण और सतत जल कार्यकलापों पर जागरूकता लाने से जुड़े कुछ कार्यकलाप है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2887

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

ब्रह्मपुत्र बोर्ड

2887. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ब्रह्मपुत्र बोर्ड के तकनीकी कर्मचारियों की रिक्तियों की संख्या और पदों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत दस वर्षों के दौरान ब्रह्मपुत्र बोर्ड के तकनीकी कर्मचारियों, जो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के मूल निवासी थे, की प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड की भर्ती नीति की कोई समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या नवीकृत उत्तर पूर्वी जलीय एवं संबद्ध अनुसंधान संस्थान (एनई-एचएआरआई) को पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जल तथा भूमि प्रबंधन संस्थान (एनईआरआईडब्ल्यूएलएम) को हस्तांतरित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): विगत पांच वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान ब्रह्मपुत्र बोर्ड के तकनीकी स्टाफ में रिक्तियों की संख्या और पदों की कुल संख्या; तथा पिछले दस वर्षों के दौरान ब्रह्मपुत्र बोर्ड में ऐसा तकनीकी स्टाफ जो पूर्वोत्तर के मूल निवासी है, की प्रतिशतता का ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग): जी नहीं। हालांकि, ब्रह्मपुत्र बोर्ड के विभिन्न पदों से संबंधित भर्ती नियमों को आवश्यकतानुसार, अद्यतन और संशोधित किया गया है।

(घ): ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****

अनुलग्नक

"ब्रह्मपुत्र बोर्ड" के संबंध में दिनांक 12.12.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2887 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले पांच वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान ब्रह्मपुत्र बोर्ड के तकनीकी कर्मचारियों की रिक्तियों की संख्या और पदों की कुल संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:			
वर्ष	स्वीकृत संख्या	रिक्त पद	भरे हुए पद
2019	182	59	123
2020	182	66	116
2021	182	81	101
2022	182	82	100
2023	182	85	97
2024	182	65	117

ब्रह्मपुत्र बोर्ड के तकनीकी स्टाफ के प्रतिशतता का ब्यौरा जो पिछले दस वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर के मूल निवासी थे, निम्नानुसार हैं -				
वर्ष	स्वीकृत संख्या	भरे हुए पद	पूर्वोत्तर के मूल निवासी	भरे हुए पदों के संबंध में पूर्वोत्तर क्षेत्र के मूल निवासियों का प्रतिशत
2014	246	193	184	95%
2015	246	217	212	97%
2016	246	198	193	97%
2017	246	179	174	97%
2018	246	148	143	97%
2019	182	123	118	96%
2020	182	116	111	96%
2021	182	101	97	96%
2022	182	100	96	96%
2023	182	97	88	90%

****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2883

जिसका उत्तर 12 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

छत्तीसगढ़ में बाढ़ नियंत्रण के लिए कार्यक्रम

2883. श्री बृजमोहन अग्रवालः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन से संबंधित कार्यक्रम के कार्यान्वयन में चूक रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी चूक के प्रकार सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) छत्तीसगढ़ के लिए उक्त अवधि के दौरान कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई;

(घ) उक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत आवंटित निधि के दुरुपयोग से संबंधित सूचित की गई घटनाएं, जिनके परिणामस्वरूप अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके, क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार छत्तीसगढ़ में ऐसी अनियमितताओं की जांच करने के लिए केंद्रीय जांच दल भेजने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जांच का दायरा क्या है तथा इसके संभावित परिणाम क्या होंगे?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (घ): छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम के कार्यान्वयन सहित उसे आबंटित की गई धनराशि के दुरुपयोग से संबंधित घटनाओं के बारे में पिछले पांच वर्षों के दौरान कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उक्त अवधि के दौरान केन्द्र द्वारा राज्य को बाढ़ नियंत्रण के लिए कोई निधि आबंटित नहीं की गई है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) और पारी-पासू कमान क्षेत्र विकास के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की तीन परियोजनाओं को शामिल किया गया है। दो परियोजनाओं नामत मनियारी टैंक परियोजना और खारुंग परियोजना के एआईबीपी घटक का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि केलो परियोजना चल रही है। पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से वर्ष 2023-24 के दौरान छत्तीसगढ़ को 49.62 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, केलो सिंचाई परियोजना को 40.633 करोड़ रुपये, मनियारी टैंक को 43.57 करोड़ रुपये और वर्ष 2016 से पहले (वर्ष 2008-09 से वर्ष 2015-16 के दौरान) खारुंग परियोजना को 10.47 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

सभी तीनों परियोजनाओं के कमान क्षेत्र विकास-जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) घटक नामतः मनियारी टैंक परियोजना, खारुंग परियोजना और केलो परियोजना चल रहे हैं और वर्ष 2016-17 से वर्ष 2023-24 के दौरान छत्तीसगढ़ को 28.58 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

(ङ) और (च): भाग (क) से (घ) के उत्तर के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में अनियमितताओं की जांच करने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण दल भेजने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2863

जिसका उत्तर 12 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

भूजल ह्रास एवं जल संरक्षण पहल

2863. श्री के. सुधाकरनः

श्री हरीश चंद्र मीनाः

श्री मुरारी लाल मीनाः

डॉ. धर्मवीर गांधीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर टोंक-सवाई माधोपुर जिलों सहित राजस्थान में भूजल स्तर की वर्तमान स्थिति क्या है और कौन-कौन से क्षेत्रों में इसमें भारी ह्रास हुआ है;

(ख) भूजल ह्रास के मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2024 के दौरान क्या विशिष्ट उपाय लागू किए गए/लागू किए जा रहे हैं, तथा जल शक्ति अभियान और 'कैच द रेन' अभियान जैसी पहलों के परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेषकर राजस्थान सहित देश के गंभीर जल संकट वाले क्षेत्रों में, इन जल संरक्षण पहलों को लागू करने में क्या प्रमुख चुनौतियां हैं;

(घ) इसमें सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने और भूजल संरक्षण प्रयासों हेतु जागरूकता फैलाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) जल संरक्षण रणनितियों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों/अंतर्राष्ट्रीय निकायों और अन्य हितधारकों के साथ किए गए सहयोग का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा राजस्थान सहित पूरे देश में क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष चार बार भूजल स्तर की मॉनिटरिंग की जाती है। देश में नवंबर 2023 के लिए मापे गए राज्यवार जल स्तर से यह ज्ञात होता है कि देश में लगभग 84.8% कूपों में भूजल स्तर से नीचे (एमबीजीएल) 0-10 मीटर की सीमा के पूरे जल स्तर के आंकड़े पाए गए हैं, जो भूजल की सुलभ उपलब्धता का संकेत हैं। नवंबर 2023 में पूरे देश के लिए जल स्तर की गहराई का राज्यवार वितरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

राजस्थान राज्य में मॉनीटर किए गए 37% कुओं में 0-10 एमबीजीएल के मध्य जल स्तर दर्ज किया गया है और टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में क्रमश: 78.2% और 52.9% कुएं उक्त रेंज में जल स्तर की गहराई प्रदर्शित करते हैं। राजस्थान राज्य के संबंध में नवंबर 2023 के लिए जल स्तर तक गहराई का जिलावार वितरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ख): जल राज्य का विषय है, भूजल संसाधनों का स्थायी विकास और प्रबंधन मुख्यतः राज्य सरकारों का दायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा अपनी विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और

वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थन प्रदान किया जाता है। इस दिशा में, वर्ष 2024 में जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा देश में भूजल संसाधनों के स्थायी विकास के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं: -

i. सरकार द्वारा वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह वर्षा संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों के लिए एक मिशन मोड और समयबद्ध कार्यक्रम है। वर्तमान में, देश में जेएसए 2024 का कार्यान्वयन 'नारी शक्ति से जल शक्ति' विषय के साथ किया जा रहा है, जिसमें देश के 151 जल की कमी वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया है। जेएसए एक अम्ब्रेला अभियान है जिसके तहत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण द्वारा विभिन्न भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। प्राप्त परिणामों में, वर्ष 2019 से जेएसए के तहत कुल लगभग 1.05 करोड़ जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण पूरा किया गया है और वर्ष 2024 में राजस्थान में 1.14 लाख संरचनाओं के साथ अब तक (मार्च 2024 से) लगभग 18.86 लाख संरचनाओं का निर्माण किया जा चुका है।

ii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा राष्ट्रीय जलभृत मैपिंग और प्रबंधन कार्यक्रम (नैक्यूम) के तहत देश के लगभग 25 लाख वर्ग किमी के कुल मैपिंग योग्य क्षेत्र का मानचित्रण पूरा कर लिया है, जिसका उद्देश्य जलभृत की प्रकृति और विशिष्टीकरण का चित्रण करना है। जिला-वार प्रबंधन योजनाएं तैयार की गई हैं और कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझा की गई हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए, सीजीडब्ल्यूबी द्वारा वर्ष 2024 में नैक्यूम 2.0 अध्ययन का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें जल की कमी वाले क्षेत्रों, भूजल संदूषण से प्रभावित क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों, शहरी समूहों, स्प्रिंग शेड, औद्योगिक समूहों आदि जैसे चिह्नित प्राथमिकताबद्ध क्षेत्रों में बहुत अधिक बारीकी से विस्तृत मैपिंग की जा रही है।

iii. भारत सरकार द्वारा मनरेगा और पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी जैसी अपनी प्रमुख योजनाओं के तहत विभिन्न जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण गतिविधियों को निरंतर निधि प्रदान किया जा रहा है। इन योजनाओं के अभिसरण में, भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना था। इसके परिणामस्वरूप देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवर का निर्माण / पुनरुद्धार किया गया है।

(ग): जल संरक्षण संबंधी कार्यों के कार्यान्वयन में सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में अन्य बातों के साथ-साथ स्थानीय भूमि अधिकार और स्वामित्व संबंधी मुद्दे, क्षेत्र स्तर पर उपयुक्त सूचना का अभाव, जमीनी स्तर पर कुशल कार्मिकों की पर्याप्त संख्या की अनुपलब्धता, विभिन्न एजेंसियों और हितधारकों के मध्य अपर्याप्त समन्वय; समुदाय के मध्य विश्वास और उनके समर्पित सहयोग, राज्य और स्थानीय स्तर पर अपर्याप्त संस्थागत क्षमताएं; निर्माण कार्य के बाद प्रचालन एवं रख-रखाव संबंधी कार्यों पर ध्यान न देना शामिल है।

(घ): चूंकि सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित किए बिना लंबे समय तक जल संरक्षण गतिविधि जारी नहीं रखी जा सकती है, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा भूजल प्रबंधन को सही अर्थों में जन आंदोलन बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

i. भारत सरकार द्वारा 7 राज्यों के 80 जल की कमी वाले जिलों में अटल भूजल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना का मूल विषय भूजल संसाधनों का समुदाय आधारित स्थायी प्रबंधन और मांग प्रबंधन है तथा सतत सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी) और जागरूकता कार्यकलापों के माध्यम से इसका उद्देश्य सक्रिय सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना और लोगों में व्यवहारगत परिवर्तन लाना है।

ii. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा स्थानीय भूजल मुद्दों पर विभिन्न जन संपर्क कार्यक्रम (पीआईपी), जन जागरूकता कार्यक्रम (एमएपी), टियर-II और टियर-III कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिनमें स्थानीय लोगों को वर्षा जल संचयन तकनीकों और जल संचयन संरचनाओं के संरक्षण के बारे में जागरूक बनाया जाता है।

iii. सरकार द्वारा वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसके तहत देश के प्रत्येक जिले में जल शक्ति केंद्र (जेएसके) स्थापित किए जा रहे हैं जो जल संबंधी मुद्दों से संबंधित जानकारी के प्रसार के लिए ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करते हैं।

iv. जल शक्ति अभियान की व्यापकता को सुदृढ़ करने और देश में वर्षा जल संचयन को एक जन आंदोलन बनाने की दृष्टि से माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 6 सितंबर, 2024 को सूरत, गुजरात में, जल संचय जन भागीदारी: भारत में जल स्थायित्वता के लिए एक समुदाय-संचालित अभियान का शुभारंभ किया गया है। सामुदायिक स्वामित्व और दायित्व को बढ़ावा देकर, यह पहल विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट जल चुनौतियों के अनुरूप लागत प्रभावी, स्थानीय समाधान विकसित करना चाहती है।

(ङ): जल संरक्षण रणनीतियों की प्रभावशीलता में वृद्धि करने के लिए, जल शक्ति मंत्रालय और इसके संगठन, देश में जन जागरूकता को बढ़ावा देने और जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में गैर-सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ कार्य करते हैं। मंत्रालय द्वारा रोटरी इंडिया वाटर कंजर्वेशन ट्रस्ट, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी आदि जैसे जमीनी स्तर पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के साथ कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अटल भूजल योजना के तहत, कई गैर सरकारी संगठनों को जिला कार्यान्वयन भागीदारों (डीआईपी) के रूप में शामिल किया गया है जो इस योजना के कार्यान्वयन में सरकारी एजेंसियों और समुदाय के मध्य एक सेतु का कार्य करते हैं।

इसके अतिरिक्त विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपीय संघ, फिजिकलिश - टेकनिशे बुंडेसनस्टाल्ट (पीटीबी), ड्यूश गेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनेल जुसामेनरबीट (जीआईजेड), ऑर्गेनाजेशन फॉर इंडसट्रीयल, सपीरिचुअल एंड कल्चरल एडवांसमेंट (ओआईएससीए) आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जल संसाधन प्रबंधन में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न रूपों में मंत्रालय के साथ जुड़े हुए हैं।

*****

अनुलग्नक-I

"भूजल ह्रास एवं जल संरक्षण पहल" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 12.12.2024 को दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2863 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

मानसून पश्चात 2023 के प्रेक्षण कूपों के प्रतिशत का राज्यवार जल स्तर की गहराई का वितरण (असंबंधित जलभृत)

क्र. सं.	राज्य का नाम	विश्लेषण किए गए कूपों की संख्या	जल स्तर की गहराई (एमबीजीएल) प्रदर्शित करने वाले कूपों की संख्या / प्रतिशत											
			0 से 2		2 से 5		5 से 10		10 से 20		20 से 40		> 40	
			संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1	आंध्र प्रदेश	809	109	13.5	382	47.2	241	29.8	54	6.7	16	2.0	7	0.9
2	अरुणाचल प्रदेश	28	12	42.9	8	28.6	7	25.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0
3	असम	318	125	39.3	156	49.1	30	9.4	6	1.9	1	0.3	0	0.0
4	बिहार	784	116	14.8	525	67.0	139	17.7	4	0.5	0	0.0	0	0.0
5	छत्तीसगढ़	1046	172	16.4	628	60.0	228	21.8	16	1.5	2	0.2	0	0.0
6	गोवा	82	17	20.7	38	46.3	21	25.6	6	7.3	0	0.0	0	0.0
7	गुजरात	753	105	13.9	305	40.5	215	28.6	96	12.7	26	3.5	6	0.8
8	हरियाणा	985	71	7.2	160	16.2	154	15.6	198	20.1	253	25.7	149	15.1
9	हिमाचल प्रदेश प्रदेश	171	30	17.5	69	40.4	30	17.5	26	15.2	12	7.0	4	2.3
10	झारखंड	396	51	12.9	216	54.5	114	28.8	8	2.0	7	1.8	0	0.0
11	कर्नाटक	1264	228	18.0	504	39.9	454	35.9	75	5.9	3	0.2	0	0.0
12	केरल	1377	323	23.5	477	34.6	485	35.2	85	6.2	5	0.4	2	0.1
13	मध्य प्रदेश	1470	151	10.3	654	44.5	501	34.1	147	10.0	12	0.8	5	0.3
14	महाराष्ट्र	1658	248	15.0	706	42.6	526	31.7	141	8.5	32	1.9	5	0.3
15	मेघालय	51	23	45.1	27	52.9	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
16	मिजोरम	2	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
17	नागालैंड	10	0	0.0	6	60.0	3	30.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0
18	ओडिशा	1370	528	38.5	694	50.7	142	10.4	6	0.4	0	0.0	0	0.0
19	पंजाब	283	29	10.2	55	19.4	34	12.0	65	23.0	81	28.6	19	6.7
20	**राजस्थान**	**1061**	**27**	**2.5**	**171**	**16.1**	**195**	**18.4**	**234**	**22.1**	**194**	**18.3**	**240**	**22.6**
21	तमिलनाडु	857	186	21.7	359	41.9	239	27.9	60	7.0	11	1.3	2	0.2
22	तेलंगाना	623	58	9.3	278	44.6	204	32.7	72	11.6	9	1.4	2	0.3
23	त्रिपुरा	96	26	27.1	57	59.4	13	13.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
24	उत्तर प्रदेश	1092	179	16.4	481	44.0	265	24.3	133	12.2	30	2.7	4	0.4
25	उत्तराखंड	171	17	9.9	48	28.1	35	20.5	31	18.1	25	14.6	15	8.8
26	पश्चिम बंगाल	736	224	30.4	413	56.1	85	11.5	14	1.9	0	0.0	0	0.0
27	अंडमान और निकोबार	111	103	92.8	8	7.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
28	चंडीगढ़	14	0	0.0	5	35.7	2	14.3	2	14.3	4	28.6	1	7.1
29	दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली	30	7	23.3	17	56.7	6	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30	दिल्ली	119	9	7.6	30	25.2	39	32.8	26	21.8	11	9.2	4	3.4
31	जम्मू और कश्मीर	385	96	24.9	173	44.9	59	15.3	27	7.0	21	5.5	9	2.3
32	पुडुचेरी	9	2	22.2	5	55.6	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	कुल	**18161**	**3274**	**18.0**	**7655**	**42.2**	**4469**	**24.6**	**1534**	**8.4**	**755**	**4.2**	**474**	**2.6**

*****

"भूजल ह्रास एवं जल संरक्षण पहल" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 12.12.2024 को दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2863 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

मानसून पश्चात 2023 के प्रेक्षण कूपों के प्रतिशत के जल स्तर की गहराई का जिलावार वितरण (अपरिरुद्ध जलभृत)

क्र सं	जिले का नाम	विश्लेषण किए गए कूपों की संख्या	जल स्तर की गहराई (एमबीजीएल) प्रदर्शित करने वाले कूपों की संख्या / प्रतिशत											
			0 to 2		2 to 5		5 to 10		10 to 20		20 to 40		> 40	
			संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1	अजमेर	17	0	0.0	8	47.1	3	17.6	1	5.9	5	29.4	0	0.0
2	अलवर	19	0	0.0	0	0.0	1	5.3	5	26.3	7	36.8	6	31.6
3	अनूपगढ़	5	0	0.0	0	0.0	2	40.0	3	60.0	0	0.0	0	0.0
4	बालोतरा	9	0	0.0	0	0.0	2	22.2	2	22.2	5	55.6	0	0.0
5	बांसवाड़ा	33	1	3.0	14	42.4	13	39.4	5	15.2	0	0.0	0	0.0
6	बारां	14	1	7.1	6	42.9	6	42.9	1	7.1	0	0.0	0	0.0
7	बाड़मेर	34	0	0.0	1	2.9	4	11.8	6	17.6	12	35.3	11	32.4
8	ब्यावर	11	0	0.0	2	18.2	4	36.4	4	36.4	1	9.1	0	0.0
9	भरतपुर	19	1	5.3	2	10.5	4	21.1	4	21.1	4	21.1	4	21.1
10	भीलवाड़ा	50	0	0.0	15	30.0	10	20.0	19	38.0	5	10.0	1	2.0
11	बीकानेर	40	0	0.0	0	0.0	4	10.0	13	32.5	12	30.0	11	27.5
12	बूंदी	10	1	10.0	4	40.0	4	40.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0
13	चित्तौड़गढ़	14	3	21.4	0	0.0	4	28.6	5	35.7	2	14.3	0	0.0
14	चुरू	27	0	0.0	0	0.0	1	3.7	5	18.5	13	48.1	8	29.6
15	दौसा	30	0	0.0	0	0.0	1	3.3	14	46.7	5	16.7	10	33.3
16	डीग	9	0	0.0	2	22.2	3	33.3	3	33.3	1	11.1	0	0.0
17	धौलपुर	19	0	0.0	7	36.8	3	15.8	3	15.8	5	26.3	1	5.3
18	डीडवाना कुचामन	19	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	31.6	8	42.1	5	26.3
19	दूदू	24	1	4.2	8	33.3	10	41.7	4	16.7	1	4.2	0	0.0
20	डूंगरपुर	17	1	5.9	7	41.2	8	47.1	1	5.9	0	0.0	0	0.0
21	गंगानगर	31	0	0.0	2	6.5	8	25.8	13	41.9	6	19.4	2	6.5
22	गंगापुर शहर	12	0	0.0	4	33.3	2	16.7	5	41.7	0	0.0	1	8.3
23	हनुमानगढ़	31	2	6.5	0	0.0	1	3.2	11	35.5	14	45.2	3	9.7
24	जयपुर	13	0	0.0	1	7.7	1	7.7	1	7.7	2	15.4	8	61.5
25	जयपुर (ग्रामीण)	73	0	0.0	2	2.7	8	11.0	11	15.1	12	16.4	40	54.8
26	जैसलमेर	55	0	0.0	1	1.8	6	10.9	11	20.0	22	40.0	15	27.3
27	जालोर	6	0	0.0	1	16.7	1	16.7	1	16.7	1	16.7	2	33.3
28	झालावाड़	24	0	0.0	6	25.0	13	54.2	5	20.8	0	0.0	0	0.0
29	झुंझुनू	23	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.7	21	91.3

30	जोधपुर	7	0	0.0	2	28.6	1	14.3	2	28.6	1	14.3	1	14.3
31	जोधपुर (ग्रामीण)	48	0	0.0	8	16.7	5	10.4	12	25.0	8	16.7	15	31.3
32	करौली	27	1	3.7	2	7.4	4	14.8	7	25.9	11	40.7	2	7.4
33	केकरी	7	0	0.0	2	28.6	3	42.9	2	28.6	0	0.0	0	0.0
34	खैरथल -तिजारा	8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	62.5	3	37.5
35	कोटा	16	3	18.8	4	25.0	4	25.0	3	18.8	2	12.5	0	0.0
36	कोटपुतली -बहरोड़	14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	28.6	10	71.4
37	नागौर	20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	20.0	2	10.0	14	70.0
38	नीम का थाना	3	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	33.3	1	33.3
39	पालि	18	2	11.1	7	38.9	6	33.3	3	16.7	0	0.0	0	0.0
40	फलोदी	13	0	0.0	1	7.7	1	7.7	1	7.7	0	0.0	10	76.9
41	प्रतापगढ़	15	3	20.0	4	26.7	5	33.3	3	20.0	0	0.0	0	0.0
42	राजसमंद	27	1	3.7	14	51.9	6	22.2	6	22.2	0	0.0	0	0.0
43	सलूंबर	10	2	20.0	3	30.0	2	20.0	3	30.0	0	0.0	0	0.0
44	सांचौर	9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	3	33.3	4	44.4
45	**सवाई माधोपुर**	**17**	**0**	**0.0**	**3**	**17.6**	**6**	**35.3**	**6**	**35.3**	**1**	**5.9**	**1**	**5.9**
46	शाहपुरा	12	1	8.3	4	33.3	4	33.3	3	25.0	0	0.0	0	0.0
47	सीकर	41	0	0.0	1	2.4	0	0.0	1	2.4	9	22.0	30	73.2
48	सिरोही	13	0	0.0	4	30.8	5	38.5	4	30.8	0	0.0	0	0.0
49	**टोंक**	**23**	**0**	**0.0**	**9**	**39.1**	**9**	**39.1**	**3**	**13.0**	**2**	**8.7**	**0**	**0.0**
50	उदयपुर	25	3	12.0	10	40.0	6	24.0	6	24.0	0	0.0	0	0.0
	कुल	**1061**	**27**	**2.5**	**171**	**16.1**	**195**	**18.4**	**234**	**22.1**	**194**	**18.3**	**240**	**22.6**

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2854

जिसका उत्तर 12 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

बेंगलुरु सेंट्रल में अपशिष्ट प्रबंधन समस्या

2854. श्री पी. सी मोहनः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जल शक्ति अभियान के अंतर्गत बेंगलुरु सेंट्रल में अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी समस्याओं, विशेषकर झीलों में झाग होने, के समाधान के लिए कोई विशेष धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): जल राज्य का विषय है और मौजूदा मानकों के अनुसार, जल निकायों की गुणवत्ता बनाए रखने सहित उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों (यूएलबी) की है। जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान, जिसमें देश भर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों को कवर किया गया है, विशेष रूप से वर्षा जल संचयन और केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों की विभिन्न योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली घटकों, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा), वित्त आयोग अनुदान आदि से एक संमिलित वित्त पोषण के माध्यम से जल संरक्षण कार्य से जुड़ा एक वार्षिक अभियान है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने विभिन्न दिशानिर्देशों को जारी करने और राष्ट्रीय मिशनों यानी अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और अमृत 2.0 के कार्यान्वयन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में पानी के स्थायी प्रबंधन की दिशा में कई कदम उठाए हैं। मंत्रालय द्वारा जल शक्ति अभियान के अंतर्गत बेंगलुरू सेंट्रल के लिए कोई विशेष धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2820

जिसका उत्तर 12 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

नदियों को आपस में जोड़ने के कारण विस्थापन

2820. श्री पी. वी. मिथुन रेड्डीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नदियों को आपस में जोड़ने के कार्य को आगे बढ़ाने में सरकार द्वारा क्या प्रगति की गई है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान होने वाले विस्थापन के स्तर का अनुमान लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विस्थापित हो रहे ऐसे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कोई व्यापक योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): भारत सरकार ने वर्ष 1980 में एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की और राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) को एनपीपी के तहत नदियों को जोड़ने (आईएलआर) का काम सौंपा गया। एनपीपी के तहत 30 आईएलआर परियोजनाओं की पहचान की गई है, प्रायद्वीपीय घटक के तहत 16 लिंक परियोजनाएं और हिमालयी घटक के तहत 14 लिंक परियोजनाएं हैं। भारत सरकार ने आईएलआर कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इन 30 आईएलआर परियोजनाओं में से 11 लिंक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), 26 लिंक परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) और सभी 30 लिंक परियोजनाओं की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) पूरी हो चुकी हैं। पांच परियोजनाओं को "प्राथमिकता लिंक परियोजनाओं" के रूप में चिन्हित किया गया है, अर्थात केन-बेतवा लिंक परियोजना, गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना (जिसमें 3 लिंक शामिल हैं) और संशोधित पार्वती-

कालीसिंध-चंबल (एमपीकेसी) लिंक परियोजना। केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) पहली आईएलआर परियोजना है, जो कार्यान्वयन के अधीन है। एनपीपी के तहत आईएलआर परियोजनाओं का विवरण और स्थिति **अनुलग्नक** में दी गई है।

(ख) से (घ): आईएलआर परियोजनाएं विशाल जल अंतरण परियोजनाएं हैं और अन्य जल संसाधन परियोजनाओं की तरह, इन परियोजनाओं में भी परियोजना प्रभावित लोगों के विस्थापन और उनके पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएंडआर) से संबंधित मुद्दे हैं। ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए, संबंधित लिंक परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने के दौरान सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों के साथ-साथ लिंक परियोजनाओं में शामिल विस्थापनों पर विस्तृत अध्ययन किया जाता है। डीपीआर में सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना का विवरण दिया गया है, जिसमें जलमग्न क्षेत्र, परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की संख्या, आवश्यक भूमि अधिग्रहण, लागत, तथा भूमि मुआवजे और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन का विवरण शामिल है। परियोजना प्रभावित परिवारों का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन तथा आईएलआर परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य संबंधित राज्य सरकारों द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए एक निगरानी समिति गठित की गई है, जो परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन एवं निगरानी की देखरेख करेगी।

*****

अनुलग्नक

"नदियों को आपस में जोड़ने के कारण विस्थापन" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 12.12.2024 को दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2820 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

एनपीपी के तहत आईएलआर परियोजनाओं का विवरण और स्थिति

प्रायद्वीपीय घटक

क्रम सं.	नाम	लाभान्वित राज्य	स्थिति
1	क. महानदी (मणिभद्र) - गोदावरी (दौलैस्वरम) लिंक	आंध्र प्रदेश (एपी) और ओडिशा	एफआर पूरा हो गया है
	ख. वैकल्पिक महानदी (बरमूल) - ऋषिकुल्या - गोदावरी (दौलैस्वरम) लिंक	आंध्र प्रदेश और ओडिशा	एफआर पूरा हो गया है
2	गोदावरी (पोलावरम) - कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक **	आंध्र प्रदेश	एफआर पूरा हो गया है
3	क.गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक	तेलंगाना	एफआर पूरा हो गया है
	ख.वैकल्पिक गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक *	तेलंगाना	डीपीआर पूरा हो गया है
4	गोदावरी (इंचमपल्ली/एसएसएमपीपी) - कृष्णा (पुलीचिंतला) लिंक	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश	डीपीआर पूरा हो गया है
5	क.कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला) लिंक	आंध्र प्रदेश	एफआर पूरा हो गया है
	ख.वैकल्पिक कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला) लिंक *	आंध्र प्रदेश	डीपीआर पूरा हो गया है
6	कृष्णा (श्रीशैलम) - पेन्नार लिंक	आंध्र प्रदेश	ड्राफ्ट डीपीआर पूरा हो गया है
7	कृष्णा (अलमाटी) - पेन्नार लिंक	आंध्र प्रदेश और कर्नाटक	ड्राफ्ट डीपीआर पूरा हो गया है
8	क. पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंड	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु	एफआर पूरा हो गया

	एनीकट) लिंक	और पुडुचेरी	है
	ख. वैकल्पिक पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक *	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी	डीपीआर पूरा हो गया है
9	कावेरी (कट्टलाई) - वैगई - गुंडर लिंक	तमिलनाडु	डीपीआर पूरा हो गया है
10	क.पारबती-कालीसिंध-चंबल लिंक	मध्य प्रदेश (एमपी) और राजस्थान	एफआर पूरा हो गया है
	ख. संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक (ईआरसीपी के साथ विधिवत एकीकृत)	मध्य प्रदेश और राजस्थान	ड्राफ्ट पीएफआर पूरा हो गया है
11	दमनगंगा - पिंजल लिंक	महाराष्ट्र	डीपीआर पूरा हो गया है
12	पार-तापी-नर्मदा लिंक	गुजरात और महाराष्ट्र	डीपीआर पूरा हो गया है
13	केन-बेतवा लिंक	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश	डीपीआर पूरा हो गया है और परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है
14	पंबा - अचनकोविल - वैप्पर लिंक	तमिलनाडु और केरल	एफआर पूरा हो गया है
15	बेड़ती - वरदा लिंक @	कर्नाटक	डीपीआर पूरा हो गया है
16	नेत्रावती - हेमावती लिंक @@	कर्नाटक	पीएफआर पूरा हो गया है

* मणिभद्र और इंचमपल्ली बांधों पर सहमति लंबित होने के कारण, गोदावरी नदी के अप्रयुक्त पानी को मोड़ने के लिए वैकल्पिक अध्ययन किया गया और गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना की डीपीआर पूरी की गई।

गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना तैयार की गई है जिसमें गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (नागार्जुनसागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला) और पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजनाएं शामिल हैं।

** गोदावरी (पोलावरम) - कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक - इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने हाथ में लिया है।

@ बेड़ती - वरदा लिंक - डीपीआर को इसके पीएफआर की तैयारी के बाद ही तैयार किया गया था, कोई एफआर तैयार नहीं किया गया था।

@@ कर्नाटक सरकार द्वारा येत्तिनाहोल परियोजना के कार्यान्वयन के बाद से आगे कोई अध्ययन नहीं किया गया है, क्योंकि इस लिंक के माध्यम से मोड़ने के लिए नेत्रावती बेसिन में कोई अतिरिक्त जल उपलब्ध नहीं है।

हिमालयन घटक

क्रम सं.	लिंक का नाम	लाभान्वित देश/राज्य	स्थिति
1.	कोसी-मेची लिंक	बिहार और नेपाल	पीएफआर पूरा हुआ
2.	कोसी-घाघरा लिंक	बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल	एफआर पूरा हुआ
3.	गंडक - गंगा लिंक	उत्तर प्रदेश और नेपाल	एफआर पूरा हुआ
4.	घाघरा-यमुना लिंक	उत्तर प्रदेश और नेपाल	ड्राफ्ट एफआर पूरा हुआ
5.	शारदा-यमुना लिंक	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	एफआर पूरा हुआ
6.	यमुना-राजस्थान लिंक	हरियाणा और राजस्थान	एफआर पूरा हुआ
7.	राजस्थान-साबरमती लिंक	राजस्थान और गुजरात	एफआर पूरा हुआ
8.	चुनार-सोन बैराज लिंक	बिहार और उत्तर प्रदेश	ड्राफ्ट एफआर पूरा हुआ
9.	सोन बांध - गंगा लिंक की दक्षिणी सहायक नदियाँ	बिहार और झारखंड	ड्राफ्ट एफआर पूरा हुआ
10.	मानस-संकोश-तिस्ता-गंगा (एम-एस-टी-जी) लिंक	असम, पश्चिम बंगाल (पश्चिम बंगाल) और बिहार	एफआर पूरा हुआ
11.	जोगीघोपा-तिस्ता-फरक्का लिंक (एम-एस-टी-जी का विकल्प)	असम, पश्चिम बंगाल और बिहार	पीएफआर पूरा हुआ
12.	फरक्का-सुंदरबन लिंक	पश्चिम बंगाल	(प्रस्ताव छोड़ दिया गया है)
13.	गंगा (फरक्का) - दामोदर-सुवर्णरेखा लिंक	पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड	एफआर पूरा हुआ
14.	सुवर्णरेखा-महानदी लिंक	पश्चिम बंगाल और ओडिशा	एफआर पूरा हुआ

डीपीआर - विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

पीएफआर- पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट

एफआर- व्यवहार्यता रिपोर्ट

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2771

जिसका उत्तर 12 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का प्रभार

2771. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः

श्री हनुमान बेनीवालः

श्री अनूप संजय धोत्रेः

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय सम्पत्ति के रूप में जल के विकास, संरक्षण और दक्ष प्रबंधन में राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या उक्त पुरस्कार जल के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जल की कमी का सामना कर रहे राज्यों के बीच जल संसाधनों का समुचित वितरण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए जाने के बावजूद भू-जल स्तर में लगातार हो रही कमी को रोकने में सरकार की विफलता के क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): राष्ट्रीय जल पुरस्कार, सरकार के 'जल समृद्ध भारत' के विजन की सफलता के लिए देश भर के व्यष्टि और संगठनों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यकलापों और प्रयासों पर केंद्रित है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य जल क्षेत्र में लोगों द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्यों को मान्यता देना और अधिक से अधिक लोगों को जल संरक्षण और जल प्रबंधन की दिशा में उत्साहित करते हुए कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार, राज्यों, जिलों, स्कूलों, सिविल सोसायटियों, ग्राम पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों, जल उपयोगकर्ता संघों, संस्थानों, कॉर्पोरेट क्षेत्र आदि सहित विभिन्न हितधारकों को देश में जल संसाधन प्रबंधन के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार न केवल उपलब्धियों का उत्सव मनाते हैं बल्कि जल संरक्षण में राष्ट्रव्यापी कार्रवाई करने के लिए प्रेरक के रूप में भी काम करते हैं और कुशल जल प्रबंधन को भारत के विकास की गाथा का अभिन्न अंग बनाते हैं।

वर्ष 2018 में शुरूआत से, राष्ट्रीय जल पुरस्कार आम जनता में जल संरक्षण, जल सुरक्षा और उसके कुशल प्रबंधन के प्रचार में सहायक रहे हैं। यह विभाग के "जल शक्ति अभियान" से जुड़े जल संरक्षण अभियान में बड़े पैमाने पर सामुदायिक स्तर की भागीदारी के माध्यम से जन आंदोलन के रूप में परिलक्षित हुआ है। इस अभियान के तहत 1.05 करोड़ से अधिक जल संरक्षण संबंधी कार्यकलाप पूरे किए जा चुके हैं, इनमें से लगभग 34 लाख कार्य, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन से संबंधित हैं, 6.5 लाख कार्य पारंपरिक जल निकायों के नवीनीकरण से संबंधित हैं, लगभग 18.5 लाख कार्य पुन: उपयोग और पुनर्भरण संरचनाओं से संबंधित हैं और लगभग 39 लाख कार्य वाटरशेड विकास से संबंधित हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, समुदायों को सफलतापूर्वक एकजुट करने में मददगार है जिससे भूजल क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। वर्ष 2019 के बाद से, प्रत्येक वर्ष, अधिकांश भूजल निगरानी कुओं (रेंज 52% से 70%) ने पिछले दशक से अपने औसत स्तर की तुलना में बढ़ते जल स्तर को दर्शाया है। इसके परिणामस्वरूप, अति-दोहित मूल्यांकन इकाइयों में वर्ष 2017 में लगभग 17% की तुलना में वर्ष 2023 में 11% तक की उल्लेखनीय गिरावट आई है। जबकि वर्षा पैटर्न, प्रभावी निगरानी, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समर्थक कार्यों आदि जैसे विभिन्न अन्य कारकों ने जल संरक्षण और प्रबंधन में इन उपलब्धियों में योगदान दिया है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार का योगदान सफल कार्यान्वयन के लिए जन-जागरूकता सृजन करने के रूप में रहा है।

(ग): जल राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधनों के वितरण के लिए निर्णय संबंधित राज्यों द्वारा लिया जाना होता है। जल की अधिकता वाले बेसिनों से विभिन्न राज्यों में जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल का अंतरण संबंधित राज्यों के बीच सहमति पर निर्भर करता है।

भारत सरकार द्वारा अधिशेष जल को जल की कमी वाले क्षेत्रों को अंतरित करने के लिए वर्ष 1980 में एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की गई है। जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले क्षेत्रों को जल का भंडारण और अंतरण उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की गई है ताकि सूखे के प्रभावों को कम किया जा सके और वार्षिक रूप से आने वाले बाढ़ द्वारा होने वाले विनाश को भी कम किया जा सके।

(घ): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) पूरे देश में क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष चार बार भूजल स्तर की निगरानी करता है। भूजल स्तर में दीर्घकालिक उतार-चढ़ाव का आकलन करने के लिए, नवंबर 2023 के दौरान सीजीडब्ल्यूबी द्वारा एकत्र किए गए जल स्तर के आंकड़ों की तुलना नवंबर के जल स्तर के दस वर्षों (वर्ष 2013-2022) के दशकीय औसत से की गई है। जल स्तर संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि देश में निगरानी किए गए लगभग 51.7% कुओं में भूजल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है।

जल राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधनों के संरक्षण सहित जल संसाधनों से संबंधित पहलुओं का अध्ययन, आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं उनके अपने संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार की भूमिका जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही मौजूदा योजनाओं के संदर्भ में सहायक होने, तकनीकी सहायता प्रदान करने और कुछ मामलों में आंशिक वित्तीय सहायता देने तक सीमित है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1613

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

नदियों में औद्योगिक बहिस्त्राव छोड़ा जाना

1613. श्री चरनजीत सिंह चन्नीः

श्री अरुण गोविलः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सतलुज और व्यास नदियों में विशेषकर अशोधित मलजल और औद्योगिक बहिस्त्रावों के संबंध में प्रदूषण के उच्च स्तर को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(ख) पंजाब में नदियों को और प्रदूषित होने से रोकने के लिए मल-जल शोधन क्षमता में वृद्धि करने के लिए सरकार की विस्तृत योजना क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मेरठ और उसके आस-पास के क्षेत्रों में नदी और भूमि पर अशोधित बहिस्त्राव को बहाने से रोकने के लिए कोई योजना बनाई है;

(घ) क्या उक्त नदी में औद्योगिक बहिस्त्राव छोड़े जाने से यह मेरठ में काली नदी के नाम से बदनाम हो रही है जबकि इसका पानी अपने उद्गम स्थल पर साफ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): देश में नदियों के प्रदूषण आकलन पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की वर्ष 2022 में प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब राज्य में सतलुज नदी पर एक खंड सहित 279 नदियों पर 311 प्रदूषित क्षेत्रों को चिन्हित किया गया था। व्यास नदी पर कोई भी खंड प्रदूषित नहीं पाया गया था।

सतलुज नदी लुधियाना शहर से नगरपालिका, औद्योगिक, डेयरी और अन्य अपशिष्टों को ले जाने वाले बुड्ढ़ा नाला के डिस्चार्ज से प्रदूषित हो जाती है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सूचित किया गया है कि प्रदूषण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए, पंजाब राज्य सरकार ने एक बुड्ढा नाला संरक्षण परियोजना शुरू की है जिसमें मुख्य रूप से लुधियाना में डेयरी परिसरों से अपशिष्ट जल के उपचार के लिए 225 और 60 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) के सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) की

स्थापना, चार एसटीपी का पुनर्वास, 3.75 एमएलडी और 2.25 एमएलडी क्षमता के दो बहिस्त्राव उपचार संयंत्र शामिल हैं।

लुधियाना में लघु/मध्यम स्तर के रंगाई उद्योगों के समूहों से औद्योगिक बहिस्त्राव की रोकथाम और नियंत्रण के लिए, 40 एमएलडी, 50 एमएलडी और 15 एमएलडी क्षमता के सामान्य बहिस्त्राव उपचार संयंत्रों को चालू किया गया है।

नदियों के संरक्षण के लिए, यह मंत्रालय गंगा बेसिन में नदियों के लिए नमामि गंगे की केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम और अन्य नदियों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के माध्यम से देश में नदियों के चिन्हित क्षेत्रों में प्रदूषण उपशमन के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को संपूरित करता रहा है। एनआरसीपी के अंतर्गत, पंजाब में सतलुज और व्यास नदियों के संरक्षण के लिए 717.32 करोड़ रुपए की कुल लागत से प्रदूषण उपशमन स्कीमें स्वीकृत की गई थीं और अब तक 648 एमएलडी की सीवेज शोधन क्षमता सृजित की गई है।

(ख): पंजाब राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि राज्य में सीवेज शोधन क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से कुल 256 एमएलडी क्षमता के 54 सीवेज शोधन संयंत्र कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित 99 सीवेज शोधन संयंत्रों में से 247 एमएलडी क्षमता के 45 सीवेज शोधन संयंत्रों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किए जाने अथवा निविदा प्रक्रियाधीन होना सूचित किया गया है।

(ग) से (ङ): देश में नदियां मुख्यत शहरों/कस्बों से अशोधित अथवा आंशिक रूप से शोधित सीवेज के डिस्चार्ज और उनके संबंधित कैचमेंट क्षेत्रों में औद्योगिक बहिस्त्रावों, सीवेज/बहिस्त्राव शोधन संयंत्रों के प्रचालन और रखरखाव संबंधी समस्याओं, कृषि रन-ऑफ, ठोस अपशिष्टों की डम्पिंग, विलयन की कमी और प्रदूषण के अन्य गैर-बिन्दु स्त्रोतों के कारण प्रदूषित होती हैं।

औद्योगिक बहिस्त्रावों के डिस्चार्ज के मामले में सीपीसीबी द्वारा सूचित किया गया है कि अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) की नियमित मॉनीटरिंग की जा रही है। मेरठ में 64 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग थे, जिनमें से 4 हिंडन नदी के कैचमेंट क्षेत्र में हैं जबकि 60 काली पूर्व नदी के कैचमेंट क्षेत्र में हैं। इन 64 में से 17 स्वयं बंद हो गए। चालू 47 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों में से 42 डिस्चार्ज मानदंडों का अनुपालन कर रहे हैं। विनियामक निकाय अनुपालन न करने वाले अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करते हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य में मेरठ शहर से घरेलू अपशिष्ट जल के निपटान के लिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत काली पूर्व नदी के प्रदूषण उपशमन के लिए 690.71 करोड़ रुपये की लागत से सीवेज के अवरोधन और डायवर्जन तथा 220 एमएलडी के एसटीपी की स्थापना के लिए एक परियोजना को स्वीकृति दी है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1701

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

भूजल पुनर्भरण

1701. श्री नारायण तातू राणे:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा महाराष्ट्र के पानी की कमी वाले शहरों में भूजल पुनर्भरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार के पास महाराष्ट्र में भूजल पुनर्भरण के लिए कोई नीति है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की महाराष्ट्र में भूजल के कुल घुलनशील ठोस (टीडीएस) स्तर की निगरानी के लिए नीति का जिला-वार और शहर-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): जल राज्य का विषय है, केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र के शहरों सहित देश के ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में भूजल के संरक्षण और सतत प्रबंधन तथा वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं: -

i. सरकार द्वारा वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है जो वर्षा संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों के लिए एक मिशन मोड और समयबद्ध कार्यक्रम है। वर्तमान में, देश में जेएसए 2024 का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र के 7 जिलों सहित देश के 151 जल की कमी वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जेएसए एक अम्ब्रेला अभियान है जिसके तहत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से विभिन्न भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं।

ii. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर योजना-2020 तैयार की गई है और अनुमानित लागत के साथ देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए एक व्यापक रूपरेखा

तैयार कर इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है। महाराष्ट्र राज्य की मास्टर योजना में वर्षा जल के संचयन के लिए लगभग 56 लाख संरचनाओं के निर्माण की सिफारिश की गई है।

iii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा भूजल प्रबंधन और विनियमन (जीडब्लूएम और आर) योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसके तहत जलभृत के विन्यास और उनके विशिष्टीकरण के चित्रण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जलभृत मैपिंग और प्रबंधन कार्यक्रम (नैक्यूम) आरंभ किया गया है। महाराष्ट्र के 2.59 लाख वर्ग किमी सहित देश के लगभग 25 लाख वर्ग किमी के कुल मैपिंग योग्य क्षेत्र को इस योजना के तहत शामिल किया गया है और इन प्रबंधन योजनाओं को कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों और जिला अधिकारियों के साथ साझा किया गया है। ये प्रबंधन योजनाएं मुख्य रूप से भूजल के सतत् विकास के उपायों पर बल देती हैं जिसमें वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण उपाय भी शामिल हैं।

iv. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के उपयुक्त उपायों को अपनाने के लिए राज्यों के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं, यथा दिल्ली के एकीकृत भवन उप-नियम (यूबीबीएल), 2016, मॉडल भवन उपनियम (एमबीबीएल), 2016 और शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014, जिसमें वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण उपायों की आवश्यकता पर समुचित बल दिया गया है। एमबीबीएल के अनुसार, 100 वर्ग मी या इससे अधिक के प्लाट आकार वाले सभी भवनों में अनिवार्य रूप से वर्षा जल संचयन के पूर्ण प्रस्ताव को शामिल किया जाएगा। 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इन उप-नियमों की विशेषताओं को अपनाया गया है।

v. शहरी क्षेत्रों में भूजल संसाधनों के सतत् प्रबंधन के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा उथले जलभृत प्रबंधन (एसएएम) परियोजना का कार्यान्वयन किया गया है, ताकि शहरों की समग्र जल सुरक्षा में संवर्धन के लिए विभिन्न उपायों का पता लगा कर उन्हें अपनाया जा सके जिससे उथले जलभृतों का पुनरुद्धार किया जा सकता है। महाराष्ट्र में पुणे और ठाणे सहित चुनिंदा 10 शहरों में हैरिटेज कुओं, इंजेक्शन बोरवेल, परकोलेशन बेड, रिचार्ज शाफ्ट आदि का पुनरुद्धार जैसी विभिन्न पहल की गईं हैं, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना क्षेत्रों में भूजल की स्थिति में संवर्धन हुआ है।

vi. उपर्युक्त के अतिरिक्त, सीजीडब्ल्यूबी द्वारा महाराष्ट्र के जल की कमी वाले क्षेत्रों में अनेक कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया गया है यथा उस्मानाबाद में आकांक्षी जिला कार्यक्रम (121 संरचनाएं), वर्धा और अमरावती जिलों में नवाचारी पुल-सह-बंधारा (5 संरचनाएं) आदि।

(ख) और (ग): चूंकी जल राज्य का विषय है, जल संसाधन के प्रबंधन के लिए नीति/दिशानिर्देश तैयार करना मुख्यतः राज्यों का दायित्व है। तथापि, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल नीति (2012) भी तैयार की गई है जिसमे *अन्य बातों के साथ-साथ* वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण पर भी जोर दिया गया है तथा यह वर्षा जल के प्रत्यक्ष उपयोग के माध्यम से जल की उपलब्धता को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालती है।

(घ): सीजीडब्ल्यूबी द्वारा ईसी/टीडीएस सहित विभिन्न रासायनिक मापंदडो हेतु देश में भूजल गुणवत्ता मॉनिटरिंग के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) अपनाई गई है। एसओपी के अनुसार, देश भर में सभी मॉनिटरिंग स्टेशनों के लिए 5 वर्ष में एक बार बैकग्राउन्ड भूजल गुणवत्ता मॉनिटरिंग की सिफारिश की गई है तथा उन स्थानों पर जहां भी संदूषक की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक हैं, वहाँ नियमित प्रवृत्ति की मॉनिटरिंग (वर्ष में दो बार, मानसून पूर्व और मानसून पश्चात) की जानी है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा अपने भूजल गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम और विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के एक भाग के रूप में क्षेत्रीय स्तर पर महाराष्ट्र सहित पूरे देश के विद्युत चालकता (ईसी)/कुल घुलनशील ठोस (टीडीएस) सहित भूमि जल गुणवत्ता आंकडे तैयार किए जाते हैं। भूजल गुणवत्ता के आंकड़ों को राज्य सरकारों के साथ साझा किया जाता है और इसे वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में भी उपलब्ध कराया जाता है। मई 2023 के ईसी/टीडीएस डेटा के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में, टीडीएस मान सिंधुदुर्ग में न्यूनतम 136 (औसत मान) से लेकर सोलापुर में अधिकतम 1173 (औसत मान) के मध्य थी।

इसके अतिरिक्त पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के पेय जल की आपूर्ति प्रदान करने के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण इस मिशन के प्रमुख घटकों में से एक है। इसके तहत, विभिन्न स्तरों जैसे राज्य, क्षेत्रीय, जिला, उप-मंडल और/या ब्लॉक स्तर पर पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ नेटवर्क के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ गांवों से एकत्र किए गए जल के नमूनों में कुल घुलनशील ठोस (टीडीएस) की भी नियमित रूप से जांच की जाती है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1677

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

पीएमकेएसवाई के तहत बिष्णुपुर, पश्चिम बंगाल में सिंचाई परियोजनाएं

1677. श्री सौमित्र खानः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवंटित और वितरित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत सिंचाई अवसंरचना विकास परियोजनाओं के लिए उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा उनकी चालू/पूर्ण/विलंबित स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विष्णुपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में कोई प्रस्ताव लंबित हैं और यदि हां, तो उनके लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या विष्णुपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में पीएमकेएसवाई पहलों के कार्यान्वयन में किन्हीं चुनौतियों और देरी का सामना करना पड़ा है और यदि हां, तो इन चुनौतियों के कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) खेतों में जल की वास्तविक पहुंच बढ़ाने और सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत खेती योग्य भूमि को विस्तारित करने, खेतों में जल उपयोग दक्षता को सुधारने और सतत जल संरक्षण प्रथाएं शूरू करने के लक्ष्य के साथ वर्ष 2015-16 के दौरान आरंभ की गयी थी।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक अम्ब्रेला योजना है, जिसमें दो प्रमुख घटक हैं, जो इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है अर्थात् त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी (एचकेकेपी)। जबकि हर खेत को पानी में चार उप-घटक अर्थात् कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन,

सतही सूक्ष्म सिंचाई, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरूद्धार एवं भूजल विकास घटक शामिल है। फिर भी, हर खेत को पानी के उप-घटक कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन का कार्य त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के पारी पासू कार्यान्वित किया जा रहा है।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भी दो घटक शामिल हैं, जिन्हें दूसरे मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक भूमि संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। कृषि किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रति बूंद अधिक फसल घटक को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के भाग के रूप में दिसंबर, 2021 तक कार्यान्वित किया गया था।

देश में वृहद, मध्यम और सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई अवसंरचना विकसीत की जाती हैं और ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, सतही सूक्ष्म सिंचाई और मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरूद्धार घटक के अंतर्गत शामिल है। इस समय, इन घटकों के अंतर्गत पश्चिम बंगाल की कोई परियोजना नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्य घटकों अर्थात् पीडीएमसी और डब्ल्यूडीसी के माध्यम से राज्यों को निधि प्रदान की जा रही है, जो मुख्य रूप से क्रमशः सूक्ष्म सिंचाई और वाटरशेड विकास पर केंद्रीत है। विष्णुपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम-कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन, सतही सूक्ष्म सिंचाई और मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरूद्धार एवं भूजल घटक के लिए पिछले पांच वर्षों और इस वर्ष कोई निधि जारी नहीं की गई है। पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी घटक के अंतर्गत 84.43 लाख रूपये आबंटित और संवितरित किए गए हैं। पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी घटक के अंतर्गत 48.384 करोड़ रूपये का केंद्रीय हिस्सा जारी किया गया है।

(ख): पश्चिम बंगाल में, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम-कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन, सतही सूक्ष्म सिंचाई और मरम्मत नवीनीकरण और पुनरूद्धार एवं भूजल घटक के लिए पिछले पांच वर्षों में कोई निधि जारी और उपयोग नहीं की गई है। पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी घटक के अंतर्गत 78.5382 करोड़ रूपये का उपयोग किया गया है। पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी घटक के अंतर्गत 377.39 करोड़ रूपये सहित राज्य के हिस्से की धनराशि और प्राप्त अन्य राशि का उपयोग किया गया है।

(ग) और (घ): विष्णुपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। विष्णुपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पहल के कार्यान्वयन में कोई चुनौती या विलंब की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1666

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

अमृत सरोवर - जल धरोहर संरक्षण कार्यक्रम

1666. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रनः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अधिकाधिक पारंपरिक जल निकायों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार मिशन अमृत सरोवर-जल धरोहर संरक्षण कार्यक्रम का विस्तार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) इस कार्यक्रम के अंतर्गत विशेषकर केरल और कोल्लम लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के संरक्षण हेतु सूचीबद्ध किए गए जल निकायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कोल्लम लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में जल निकायों के विकास के लिए अनुमोदित विकास परियोजना का ब्यौरा क्या है तथा स्वीकृत राशि क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार कोल्लम लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में जल निकायों के विकास का कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): मिशन अमृत सरोवर का माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 24 अप्रैल 2022 को शुभारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य दिनांक 15 अगस्त 2023 तक देश भर में कुल 50,000 सरोवरों के साथ हर ग्रामीण जिले (दिल्ली, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप को छोड़कर) में 75 अमृत सरोवरों का विनिर्माण या उनका कायाकल्प किया जाना था, ताकि भावी पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण के लिए एक ठोस प्रयास किया जा सके। मिशन का दूसरा चरण दिनांक 01.11.2024 को जल संरक्षण को बढ़ाने और प्रत्येक जिले में स्थायी जल स्रोत बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, जो समग्र सामुदायिक कल्याण और पारिस्थितिक संतुलन में योगदान प्रदान करता है।

(ख): चरण-II के अंतर्गत नवीकरण/विनिर्माण के लिए केरल राज्य में अब तक निम्नलिखित तालाबों को सूचीबद्ध किया गया है:

चरण 2 अमृत सरोवर के लिए सूचीबद्ध तालाबों का विवरण- 100 सेंट (1 एकड़) और उससे अधिक क्षेत्रफल वाले				
क्र.सं.	**जिला**	**ब्लॉक**	**ग्राम पंचायत**	**सरोवर का नाम**
1	एर्नाकुलम	कूवप्पाडी	कूवप्पाडी	मुतुचिरा
2	कोल्लम	मुखथला	एलाम्पल्लूर	पुनुक्कन्नोर चिरा
3	मलप्पुरम	मलप्पुरम	पूक्कोट्टूर	मायलाडी क्वारी तालाब
4	पालक्काड	अलाथुर	वडक्कानचेरी	पुथुक्कुलम
5	तिरुवनंतपुरम	पंडालम	कुलनाडा	रामनचिरा
6	तिरुवनंतपुरम	अथियानूर	वेंगानूर	मार्तंडा
7	तिरुवनंतपुरम	अथियानूर	वेंगानूर	ऊतुकुझी कुलम

(ग) और (घ): कोल्लम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मुखाथला ब्लॉक में पुनुक्कनूर चीरा को 1902 मानव दिवसों का उपयोग करते हुए 11,86,113/- रुपये (केवल ग्यारह लाख छियासी हजार एक सौ तेरह रुपये) की अनुमानित राशि के लिए जल निकायों के विकास हेतु चुना और अनुमोदित किया गया है। इस पर समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने हेतु इसे शुरू कर दिया गया है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1638

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

पोलावरम परियोजना

1638. श्री कृपानाथ मल्लाहः

श्री दिनेशभाई मकवाणाः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पोलावरम परियोजना से जुड़ी समय-सीमा और सुरक्षा के संबंध में विशेषज्ञों से परामर्श किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उनके द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): सरकार ने पोलावरम सिंचाई परियोजना हेतु विशेषज्ञों के पैनल (पीओई) को नियुक्त किया है, जिसमें चार अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल हैं जो पोलावरम सिंचाई परियोजना की सुरक्षा और पूर्णता से संबंधित तकनीकी और निर्माण प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर परामर्श प्रदान करेंगे।

विशेषज्ञों के पैनल ने पहले दौरे में दिनांक 30 जून से 3 जुलाई, 2024 के दौरान और दूसरे दौरे में दिनांक 6 नवंबर से 9 नवंबर, 2024 के दौरान परियोजना का निरीक्षण किया है। दौरों के दौरान परियोजना सुरक्षा और पूर्णता से संबंधित प्रमुख तकनीकी मुद्दों जैसे कॉफर बांधों से रिसाव, मुख्य बांध की नींव की जमीन का सुधार, नई डायाफ्राम दीवार का निर्माण और पृथ्वी-कोर रॉक फिल (ईसीआरएफ) बांध के डिजाइन के बारे में चर्चा की गई। विशेषज्ञों के पैनल द्वारा सुरक्षा और परियोजना को समय पर पूरा करने के संबंध में निम्नलिखित मुख्य कदमों की सिफारिश की गई है:

i. परीक्षण के परिणामों के आधार पर कॉफर बांधों से रिसाव के मुद्दों का निपटान करने के लिए उपचारात्मक उपाय।

ii. सुरक्षा की दृष्टि से दोनों कॉफर बांधों में बट्रेस बरम विनिर्माण।

iii. सुरक्षा के साथ विनिर्माण कार्य शुरू करने के लिए जल प्रबंधन योजना।

iv. जमीनी सुधार कार्यों में मुद्दों को हल करने की पद्धतियां।

v. नई डायाफ्राम दीवार की योजना और निर्माण पर सुझाव।

vi. गैप-1 और गैप-2 पर मुख्य बांध के डिजाइन को अंतिम रूप देने के लिए परीक्षण किए जाएंगे।

vii. विशेषज्ञों के पैनल द्वारा जोखिम को कम करने और परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए परियोजना नियोजन, निर्माण प्रबंधन और साइट संगठन संरचना पर अपनी टिप्पणियां दी गई हैं।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1633

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

स्वच्छ नदी स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना

1633. श्री दामोदर अग्रवालः

श्रीमती स्मिता उदय वाघः

श्री जशुभाई भिलुभाई राठवाः

डॉ. हेमंत विष्णु सवराः

श्री तापिर गावः

श्री दिनेशभाई मकवाणाः

श्री अनन्त नायकः

श्री विजय बघेलः

श्री शंकर लालवानीः

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत वाराणसी में वरुणा नदी पर एक स्वच्छ नदी स्मार्ट प्रयोगशाला (एसएलसीआर) स्थापित की है और यदि हां, तो उसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इससे नदियों के कायाकल्प और प्रबंधन में सुधार लाने में किस प्रकार मदद मिलेगी और वरुणा नदी की चुनौतियों के समाधान के लिए एसएलसीआर द्वारा अपनाए गए स्थायी उपाए क्या हैं;

(ग) उक्त परियोजना के लिए भारत और डेनमार्क सरकार द्वारा आनुपातिक आधार पर किस प्रकार धन उपलब्ध कराया जाएगा;

(घ) क्या सरकार देश के अन्य हिस्सों की नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए उन्हें उक्त परियोजना के दायरे में लाने के लिए विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो महाराष्ट्र और ओडिशा के क्योंझर जिले सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार की महाराष्ट्र सहित देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे एसएलसीआर स्थापित करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): स्वच्छ नदी स्मार्ट प्रयोगशाला (एसएलसीआर) की स्थापना भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत की गई है, ताकि स्वच्छ नदी जल के क्षेत्र में मौजूदा चुनौतियों के संबंध में वैश्विक स्तर पर समाधान हासिल किए जा सकें और इनका लिविंग लैब दृष्टिकोण के माध्यम से वास्तविक वातावरण में फिट होने के लिए सहयोगी अनुसंधान और विकास का कार्य किया जा सके और सरकारी प्राधिकारियों, शैक्षणिक संस्थानों और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के बीच स्वच्छ नदी जल प्राप्त करने के लिए ज्ञान साझा करने और सह-निर्माण के लिए एक मंच सृजित किया जा सके।

(ग): भारत सरकार ने स्वच्छ नदी स्मार्ट प्रयोगशाला के सचिवालय की प्रचालन लागत 10 वर्षों के लिए स्वीकृत की है और तीन परियोजनाओं की लागत भी स्वीकृत की है। डेनमार्क ने इस पहल के लिए चार मिलियन डेनिश क्रोन की धनराशि आवंटित की है।

(घ), (ङ) और (च): जी, नहीं।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1616

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

असम में बाढ़ राहत और पुनर्वास

1616. श्री गौरव गोगोईः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) असम में बाढ़ राहत और पुनर्वास उपायों के लिए केन्दीय बजट 2024 में आवंटित निधियों के उपयोग की स्थिति क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान असम के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने और बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) असम में बाढ़ की चेतावनी देने और लोगों को उस स्थान को खाली कराने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार बाढ़ को रोकने और इसकी तैयारी संबंधी प्रयासों में भाग लेने के लिए स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है। केन्द्र सरकार राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करती है और अपेक्षित संभारतंत्रीय और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकार वर्षा और बाढ़ सहित 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई क्षति का आकलन करती है और भारत सरकार के अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार उनके निपटान पर पहले से रखी गई राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एसडीआरएफ) से राहत सहायता प्रदान करती है। गंभीर प्रकृति की आपदा, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे पर आधारित मूल्यांकन भी शामिल है, के मामले में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

गृह मंत्रालय ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से केंद्रीय हिस्से के रूप में 14 बाढ़ प्रभावित राज्यों को 5858.60 करोड़ रुपये जारी किए हैं और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अग्रिम राशि जारी की है। इसमें इस वर्ष के दौरान असम को दिए गए 716 करोड़ रुपए शामिल हैं।

(ख) और (ग): बाढ़ प्रबंधन और कटावरोधी स्कीमें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करके और संवर्धनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को मजबूत करने के लिए, मंत्रालय द्वारा 11वीं और 12वीं योजना के दौरान नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए बाढ़ प्रबंधन (एफएमपी) लागू किया गया था, जो बाद में 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में जारी रहा और सीमित परिव्यय के साथ सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया। सरकार ने 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 4,100 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ एफएमबीएपी योजना को मंजूरी दी है। एफएमबीएपी के एफएमपी घटक के तहत पिछले 5 वर्षों के दौरान असम राज्य को जारी वर्षवार केंद्रीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)
2019-20	85.03
2020-21	-
2021-22	14.80
2022-23	248.65
2023-24	7.20
कुल	**355.68**

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने ब्रहमपुत्र घाटी में बाढ़ और तट कटाव के नियंत्रण के उपायों की आयोजना और एकीकृत कार्यान्वयन तथा इससे जुडे मामलों के उद्देश्य से 1980 में ब्रहमपुत्र बोर्ड का गठन किया है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय जल आयोग जान-माल की क्षति को कम करने और उपयुक्त जलाशय प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए बाढ़ प्रबंधन के गैर-संरचनात्मक उपाय के रूप में 24 घंटे तक के लीड समय के साथ अल्पावधि बाढ़ पूर्वानुमान के साथ-साथ 7 दिवसीय बाढ़ परामर्शी पूर्वानुमानों के साथ दीर्घावधिक पूर्वानुमान जारी करता है। केन्द्रीय जल आयोग असम में 30 स्तरीय बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों का अनुरक्षण करता है।

(घ): एनडीएमए ने बाढ़ पर ध्यान केंद्रित करते हुए आपदा प्रतिक्रिया में 6000 सामुदायिक स्वयंसेवकों (प्रत्येक जिले में 200) को प्रशिक्षित करने के लिए असम के कामरूप और जोरहाट जिलों सहित 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 30 सबसे बाढ़ प्रवण जिलों में 2016 से 2021 तक आपदा मित्र नामक पायलट योजना लागू की। इस योजना का उद्देश्य सामुदायिक स्वयंसेवकों को बुनियादी कौशल प्रदान करना है जो उन्हें बाढ़ सहित आपदा के बाद अपने समुदाय की तत्काल जरूरतों का को पूरा करने के लिए आवश्यक होंगे।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग के आधार पर, एनडीएमए भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप और बाढ़ की संभावना वाले **असम के 16 जिलों के 3900 स्वयंसेवकों सहित** 350 जिलों को कवर करने वाली आपदा प्रतिक्रिया में 1,00,000 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए 2021-22 से 2024-25 तक आपदा मित्र योजना को अपस्केलिंग लागू कर रहा है ताकि उन्हें एक आपातकालीन प्रतिक्रिया किट प्रदान की जा सके और प्रत्येक चयनित जिले को एक आपातकालीन आवश्यक संसाधन रिजर्व (ईईआरआर) प्रदान किया जा सके। इस योजना के तहत, बक्सा (200), बारपेटा (300), कछार (300), दरांग (200), धुबरी (300), डिब्रूगढ़ (300), दीमा हसाओ (100), हैलाकांडी (200), करीमगंज (300), कोकराझार (200), मोरीगांव (200), नगांव (300), नलबाड़ी (200), शिवसागर (300), तिनसुकिया (300), और उदलगुड़ी (200) सहित असम के जिलों के 3900 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया था और असम द्वारा ईईआरआर खरीदा गया था।

एनडीएमए ने अब एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस और बी एस एंड जी (असम के 16 जिलों से 9174 सहित) के 2,37,326 स्वयंसेवकों को भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप और बाढ़ से ग्रस्त सभी राज्यों (315 जिलों) को कवर करने वाली आपदा प्रतिक्रिया में प्रशिक्षित करने के लिए युवा आपदा मित्र योजना शुरू की है ताकि उन्हें एक आपातकालीन प्रतिक्रिया किट प्रदान की जा सके।

असम में लक्षित स्वयंसेवकों के साथ कवर किए गए जिले बक्सा (420), बारपेटा (700), कछार (610), दरांग (460), धुबरी (700), डिब्रूगढ़ (750), दीमा हसाओ (210), हैलाकांडी (410), करीमगंज (800), कोकराझार (516), मोरीगांव (500), नगांव (793), नलबाड़ी (475), शिवसागर (630), तिनसुकिया (750), और उदलगुड़ी (450) हैं।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1615

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

नदियों के संरक्षण और शुद्धिकरण के लिए योजना

1615. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश में प्रमुख नदियों के संरक्षण और शुद्धिकरण के लिए कोई योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के अंतर्गत कितनी नदियों को शामिल किया गया है; और

(ग) उक्त योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ग): सीवेज और उद्योगों से निकलने वाले दूषित पानी को नदियों और अन्य जल निकायों में प्रवाहित करने से पूर्व निर्धारित मानकों के अनुरूप उनका अपेक्षित शोधन सुनिश्चित करना राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की जिम्मेदारी होती है। भारत सरकार नमामि गंगे, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गंगा और गंगा बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अन्य नदियों में प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'नमामि गंगे' का कार्यान्वयन किया जा रहा है। साथ ही, अन्य नदियों के संबंध में, इन नदियों में प्रदूषण रोकने के लिए राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों के प्रयासों में सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना नामक एक केन्द्र प्रायोजित योजना चलाई जा रही है।

एनआरसीपी के अंतर्गत अब तक 8931.49 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत के साथ देश के 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की 57 नदियों को शामिल किया गया है और अन्य बातों के साथ-साथ इसके अंतर्गत 2941 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की सीवेज शोधन क्षमता सृजित की गई है।

नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 30 नदियां शामिल हैं और 39604 करोड़ रुपये की लागत के साथ कुल 484 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 6255 एमएलडी सीवेज शोधन की 203 परियोजनाएं और 5249 किलोमीटर का सीवर नेटवर्क बिछाये जाने का कार्य शामिल है, अब तक 3327 एमएलडी की सीवरेज शोधन क्षमता सृजित की जा चुकी है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1835

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ना

1835. श्री टी. आर. बालू:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना से संबंधित कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस परियोजना को पीएम-गति शक्ति मास्टर प्लान में शामिल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): भारत सरकार ने 1980 में जल के अधिशेष बेसिनों से कमी वाले बेसिनों/ क्षेत्रों में जल स्थानांतरित करने के लिए नदियों को जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) को एनपीपी के तहत नदियों को जोड़ने (आईएलआर) का काम सौंपा गया है। एनपीपी के तहत, 30 आईएलआर परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, मानस (ब्रह्मपुत्र बेसिन का एक उप बेसिन), संकोश, तिस्ता, गंगा, दामोदर, सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई और गुंडर नदियों को जोड़ने के प्रस्ताव शामिल हैं। मानस-संकोश-तिस्ता-गंगा-दामोदर-सुवर्णरेखा-महानदी संपर्क प्रणाली से महानदी को जल उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है और उसके बाद महानदी-गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-कावेरी-वैगई-गुंडर संपर्क प्रणाली से दक्षिण में जल उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। एनपीपी के तहत, आईएलआर परियोजनाओं की विस्तृत स्थिति **अनुलग्नक** में संलग्न है।

महानदी-गोदावरी लिंक और ऊपरी लिंक पर आम सहमति बनने तक, छत्तीसगढ़ राज्य के इंद्रावती उप-बेसिन के लगभग 4189 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) अप्रयुक्त जल को गोदावरी (इंचमपल्ली)-कावेरी लिंक के माध्यम से मोड़ने की परिकल्पना की गई है, जिससे

मौजूदा कमांड के अनुपूरण सहित तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में लगभग 5.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई लाभ प्रदान किया जा सके। परियोजना में कर्नाटक और पुडुचेरी में मालाप्रभा उप-बेसिन की घरेलू और औद्योगिक जरूरतों सहित इन तीन राज्यों की घरेलू और औद्योगिक जरूरतों की मांगों पर भी विचार किया गया है। लिंक परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और जनवरी, 2024 में परिचालित की जाएगी। विभिन्न परामर्श बैठकों में पक्षकार राज्यों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर गोदावरी बेसिन से 4189 एमसीएम के जल अंतरण के प्रस्ताव को बेदती-वरदा लिंक के माध्यम से कृष्णा बेसिन में पूरकता के प्रस्ताव के साथ जोड़ दिया गया है। भारत सरकार द्वारा पक्षकार राज्यों के साथ परामर्श करके उन्हें आम सहमति पर लाने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। हालाँकि, लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आम सहमति पर पहुँचना पक्षकार राज्यों पर निर्भर है।

(ग) उपर्युक्त आईएलआर परियोजनाओं का कार्य कब तक शुरू होने की उम्मीद है, यह संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पक्षकार राज्यों के बीच आम सहमति पर पहुंचने पर निर्भर करता है।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****

अनुलग्नक

"प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ना" के संबंध में 05.12.2024 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1835 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

एनपीपी के अंतर्गत नदियों को आपस में जोड़ने (आईएलआर) परियोजनाओं की स्थिति

प्रायद्वीपीय घटक

क्र.सं	नाम	लाभान्वित राज्य	स्थिति
1	क. महानदी (मणिभद्र) - गोदावरी (दोलाईस्वरम) लिंक	आंध्र प्रदेश (एपी) और ओडिशा	एफआर पूरी की गई
	ख. वैकल्पिक महानदी (बरमूल) - रुशिकुल्या - गोदावरी (दौलाईस्वरम) लिंक	आंध्र प्रदेश और ओडिशा	एफआर पूरी की गई
2	गोदावरी (पोलावरम) - कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक **	आंध्र प्रदेश	एफआर पूरी की गई
3	क) गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक	तेलंगाना	एफआर पूरी की गई
	ख. वैकल्पिक गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक *	तेलंगाना	डीपीआर पूरी की गई
4	गोदावरी (इंचमपल्ली/एसएसएमपीपी) - कृष्णा (पुलिचिंताला) लिंक	तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश	डीपीआर पूरी की गई
5	क.) कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला) लिंक	आंध्र प्रदेश	एफआर पूरी की गई
	ख) वैकल्पिक कृष्ण (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमशिला) लिंक *	आंध्र प्रदेश	डीपीआर पूरी की गई
6	कृष्णा (श्रीशैलम) - पेन्नार लिंक	आंध्र प्रदेश	मसौदा डीपीआर पूरी की गई
7	कृष्णा (अलमट्टी) - पेन्नार लिंक	आंध्र प्रदेश और कर्नाटक	मसौदा डीपीआर पूरी की गई
8	क) पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी	एफआर पूरी की गई
	ख) वैकल्पिक पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक *	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी	डीपीआर पूरी की गई
9	कावेरी (कट्टलाई) - वैगई - गुंडर लिंक	तमिलनाडु	डीपीआर पूरी की गई

10	क. पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक	मध्य प्रदेश (एमपी) और राजस्थान	एफआर पूरी की गई
	ख. संशोधित पार्बती-कालीसिंध-चंबल लिंक (ईआरसीपी के साथ विधिवत एकीकृत)	मध्य प्रदेश और राजस्थान	मसौदा पीएफआर पूरी की गई
11	दमनगंगा-पिंजाल लिंक	महाराष्ट्र	डीपीआर पूरी की गई
12	पार-तापी-नर्मदा लिंक	गुजरात और महाराष्ट्र	डीपीआर पूरी की गई
13	केन-बेतवा लिंक	उत्तर प्रदेश (यूपी) और एमपी	डीपीआर पूरी की गई और परियोजना कार्यान्वयनाधीन है
14	पंबा - अचनकोविल - वैप्पार लिंक	तमिलनाडु और केरल	एफआर पूरी की गई
15	बेदती - वरदा लिंक @	कर्नाटक	डीपीआर पूरी की गई
16	नेत्रवती-हेमवती लिंक @ @	कर्नाटक	पीएफआर पूरी की गई

* मणिभद्र और इंचमपल्ली बांधों पर लंबित सहमति के कारण, गोदावरी नदी के अप्रयुक्त जल को मोड़ने के लिए वैकल्पिक अध्ययन किया गया था और गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुन सागर)-पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) संपर्क परियोजना की डीपीआर पूरी कर ली गई थी। गोदावरी-कावेरी संपर्क परियोजना तैयार की गई है जिसमें गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमासिला) और पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) संपर्क परियोजनाएं शामिल हैं।

** गोदावरी (पोलावरम) - कृष्णा (विजयवाड़ा) संपर्क - यह परियोजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है।

@ बेदती - वरदा संपर्क - डीपीआर अपनी पीएफआर तैयार होने के बाद सीधे तैयार की गई थी, कोई एफआर तैयार नहीं की गई थी।

@@ कर्नाटक सरकार द्वारा येतिनहोल परियोजना के कार्यान्वयन के बाद से आगे के अध्ययन नहीं किए गए हैं, क्योंकि इस लिंक के माध्यम से डायवर्जन के लिए नेत्रावती बेसिन में कोई अधिशेष पानी उपलब्ध नहीं है।

हिमालयी घटक

क्र.सं	लिंक का नाम	देश/राज्यों को लाभ हुआ	ओहदा
1.	कोसी-मेची लिंक	बिहार और नेपाल	पीएफआर पूरी हो गयी है
2.	कोसी-घाघरा लिंक	बिहार, यूपी और नेपाल	एफआर पूरी हो गयी है
3.	गंडक-गंगा लिंक	यूपी और नेपाल	एफआर पूरी हो गयी है
4.	घाघरा-यमुना लिंक	यूपी और नेपाल	मसौदा एफआर पूरी हो गयी है
5.	सारदा-यमुना लिंक	यूपी और उत्तराखंड	एफआर पूरी हो गयी है
6.	यमुना-राजस्थान लिंक	हरियाणा और राजस्थान	एफआर पूरी हो गयी है
7.	राजस्थान-साबरमती लिंक	राजस्थान और गुजरात	एफआर पूरी हो गयी है
8.	चुनार - सोन बैराज लिंक	बिहार और यूपी	मसौदा एफआर पूरी हो गयी है
9.	सोन बांध - गंगा लिंक की दक्षिणी सहायक नदियाँ	बिहार और झारखंड	मसौदा एफआर पूरी हो गयी है
10.	मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (एम-एस-टी-जी) लिंक	असम, पश्चिम बंगाल (पश्चिम बंगाल) और बिहार	एफआर पूरी हो गयी है
11.	जोगीघोपा-तीस्ता-फरक्का लिंक (एम-एस-टी-जी के लिए वैकल्पिक)	असम, पश्चिम बंगाल और बिहार	पीएफआर पूरी हो गयी है (प्रस्ताव छोड़ दिया गया है)
12.	फरक्का-सुंदरबन लिंक	पश्चिम बंगाल	एफआर पूरी हो गयी है
13.	गंगा (फरक्का)-दामोदर-सुवर्णरेखा संपर्क	पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड	एफआर पूरी हो गयी है
14.	सुवर्णरेखा-महानदी लिंक	पश्चिम बंगाल और ओडिशा	एफआर पूरी हो गयी है

डीपीआर- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

पीएफआर- पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट

एफआर- व्यवहार्यता रिपोर्ट

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1833

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

ओडिशा की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं

1833. श्री बलभद्र माझी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में कितनी प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं प्रगति पर हैं;

(ख) क्या इन सिंचाई परियोजनाओं में से कोई परियोजना ओडिशा में भी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ओडिशा से कोई प्रस्ताव मंजूरी हेतु सरकार के पास लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मंजूरी की स्थिति क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): भारत-2024 में वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की राष्ट्रीय पंजी के अनुसार, देश में कुल 207 वृहद सिंचाई परियोजनाएं चल रहीं है। ओडिशा में 07 वृहद सिंचाई परियोजनाएं चल रहीं हैं। इन 07 परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग): ओडिशा में वृहद सिंचाई परियोजनाओं के दो प्रस्तावों पर केंद्रीय जल आयोग द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा हैं। मूल्यांकन स्थिति का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

"ओडिशा की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं" विषय पर दिनांक 05.12.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1833 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**बेसिन/नदी**	**लाभान्वित जिला**	**चरम सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर में)**
1	रेंगाली सिंचाई परियोजना	ब्राह्मणी और बैतरणी/ ब्राह्मणी	अंगुल, ढेंकनाल, कटक, जयजपुर	143.49
2	सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना	सुवर्णरेखा/सुवर्णरेखा	मयूरभंज	119.26
3	ऊपरी इंद्रावती लिफ्ट नहर	गोदावरी/महानदी	कालाहांडी	43.04
4	कानुपुर	ब्राह्मणी और बैतरणी/ बैतरणी	केंदुझर	47.71
5	लोअर सुक्टेल	महानदी/सुक्टेल	बोलनगीर, सोनपुर	50.80
6	एकीकृत आनंदपुर बैराज	ब्राह्मणी और बैतरणी/ बैतरणी	जयजपुर, ढेंकनाल, बालेश्वर, कटक	56.72
7	बाग बैराज परियोजना	महानदी/बाग	बौध	15.46

अनुलग्नक-II

“ओडिशा की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं” विषय पर दिनांक 05.12.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1833 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	बेसिन/नदी	लाभान्वित जिला	मूल्यांकन स्थिति
1	मध्य कोलाब बहुउद्देशीय परियोजना	गोदावरी/कोलाब	कोरापुट, मलकानगिरी	मुख्य अभियंता, परियोजना मूल्यांकन संगठन, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में परियोजना प्राधिकरण के साथ मध्य कोलाब बहुउद्देशीय परियोजना पर दिनांक 05.12.2024 को बैठक निर्धारित की गई है।
2	गोविंदपल्ली एकीकृत सिंचाई परियोजना	गोदावरी/कोलाब	मलकानगिरी	केंद्रीय जल आयोग के सभी मूल्यांकन निदेशालयों की टिप्पणियां नवंबर, 2023 से फरवरी 2024 के दौरान जारी कर दी गई हैं।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1806

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

मुरार नदी विकास परियोजना

1806. श्री भारत सिंह कुशवाह:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन नदी विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) मुरार नदी विकास परियोजना के संबंध में वर्तमान में वास्तवितक और वित्तीय प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो अद्यतन प्रगति सहित तत्संबंधी बयौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): केंद्र सरकार द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत ग्वालियर (मुरार नदी), चित्रकूट सतना (मंदाकिनी नदी) और मंदसौर (शिवना नदी) शहरों के लिए 132.47 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित स्वीकृत लागत पर चार नदी तट विकास/घाट विकास परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

(ख) से (घ): मुरार नदी के लिए, 2 परियोजनाओं अर्थात मुरार नदी का नदी तट विकास चरण-1 और मुरार नदी तट विकास चरण-II का क्रमशः 39.24 करोड़ रुपये और 32.44 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्वीकृत किया गया है। ग्वालियर नगर निगम इन परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है जबकि वापकोस (एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) इन परियोजनाओं के लिए कार्य निष्पादन एजेंसी है। चरण-I परियोजना में लगभग 9.65 करोड़ रुपये के व्यय के साथ अब तक 60% वास्तविक प्रगति प्राप्त की गई है। चरण-I परियोजना को दिसंबर, 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। चरण-II परियोजना निविदा प्रक्रियाधीन है।

*****

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1798
जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

आजी बांध में जल संग्रहण क्षमता

1798. श्री परषोत्तमभाई रुपाला:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

आजी बांध की जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात राज्य सरकार की भागीदारी से क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

भारत सरकार विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंवेस्टमेंट बैंक की वित्तीय सहायता से बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण-II और III का कार्यान्वयन कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत, जलाशयों की कम हुई क्षमता की संभव सीमा तक पुनरूद्धार करने के लिए कुछ पायलट जलाशयों के लिए आवश्यकता के आधार पर गाद निकालने/तलछट प्रबंधन कार्य शुरू करने का प्रावधान है। गुजरात जल संसाधन विभाग ड्रिप चरण- II और III योजना के अंतर्गत भाग लेने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक है। ड्रिप योजना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार, 400 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से गुजरात के छह बांधों की सुरक्षा में सुधार करने संबंधी प्रावधान मौजूद है। हालांकि, गुजरात जल संसाधन विभाग द्वारा इस योजना के अंतर्गत आजी बांध के पुनर्वास का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

जल संसाधन विभाग, गुजरात ने सूचित किया है कि इस समय राजकोट शहर में पेयजल की आपूर्ति करने के लिए आजी बांध की योजना बनाई गई है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1774

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

भू-जल संरक्षण

1774. श्री राजेश वर्मा:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री नरेश गणपत म्हस्के:

श्रीमती शांभवी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भू-जल संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवंटित और उपयोग किए गए बजट का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रदूषित हुए भू-जल का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत से लेकर विगत पांच वर्षों के दौरान इसके विजेता रहे राज्यों की श्रेणी-वार सूची क्या है;

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान भू-जल के स्तर के में गिरावट में कितने प्रतिशत की कमी आई है और देश में भू-जल के गिरते स्तर को रोकने के लिए सरकार की योजनाओं और रणनीतियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश भर में भू-गुणवत्तापूर्ण जल की निगरानी और इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): सरकार वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान जेएसए को मिशन मोड में और वर्षा जल संचयन एवं जल संरक्षण कार्यकलापों को एक समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में लागू कर रही है। इस समय, जेएसए 2024 को देश में लागू किया जा रहा है जिसमें देश के 151 जल संकट वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जेएसए एक अम्ब्रेला अभियान है जिसके तहत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण में विभिन्न भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जेएसए की स्थापना के बाद से, देश में कुल 1.57 करोड़ जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन संरचनाएं पूरी की गई हैं/ चल रही हैं और अकेले मनरेगा के सम्मिलन से 1.15 लाख करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

जेएसए के अलावा, केंद्र सरकार अपने विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों और अटल भूजल योजना, पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी जीडब्ल्यूएम और आर योजना आदि के तहत भूजल संरक्षण कार्यकलापों के लिए धन प्रदान करती है।

(ख): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) अपने भूमि जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम और विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के भाग के रूप में क्षेत्रीय स्तर पर देश के भूमि जल गुणवत्ता संबंधी आंकडे तैयार करता है। इन अध्ययनों से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कुछ जिलों के दूर-दराज हिस्सों पाकेटों में मानव उपयोग के लिए अनुमत्य सीमा (बीआईएस के अनुसार) से अधिक मात्रा में फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट, आयरन और भारी धातुओं जैसे संदूषकों की मौजूदगी का पता चला है। चूंकि भूजल गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ उसमे संदूषण एक सतत प्रक्रियाएं हैं इसलिए वर्ष 2022-23 में प्रमुख भूजल संदूषकों से प्रभावित जिलों की राज्यवार संख्या के साथ पूरे देश के लिए भूजल गुणवत्ता की नवीनतम स्थिति **अनुलग्नक- I** में दी गई है।

(ग): वर्ष 2018 से 'सर्वश्रेष्ठ राज्य' श्रेणी के तहत राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेताओं की सूची **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

(घ): जल राज्य का विषय होने के कारण भूजल संसाधनों का सतत विकास और प्रबंधन मुख्यत राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। तथापि, केन्द्र सरकार अपनी विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं द्वारा तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए राज्य सरकारों के प्रयासों को सुगम बनाती है। इस दिशा में, देश में भूजल संसाधनों के सतत विकास के लिए जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम नीचे दिए गए हैं: -

i. जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडबल्यूबी), द्वारा भूजल प्रबंधन और विनियमन (जीडबल्यूएमआर) योजना, जो कि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, को लागू किया जा रहा है, इसके तहत भूजल संरक्षण/कृत्रिम पुनर्भरण कार्यकलाप सहित भूजल संसाधनों के अन्वेषण, मॉनिटरिंग, मूल्यांकन और प्रबंधन से संबंधित कार्यकलाप देश भर में किए जाते हैं।

ii. सीजीडबल्यूबी ने जलभृत स्वभाव और उनके लक्षण का वर्णन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (एनएक्यूयूआईएम) शुरू किया है। इस योजना के तहत देश के लगभग 25 लाख वर्ग कि.मी. के पूरे क्षेत्र को मैप किया गया है और प्रबंधन योजनाओं को कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझा किया गया है।

iii. सीजीडबल्यूबी द्वारा भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान- 2020 को तैयार किया गया है और उसे अनुमानित लागत के साथ देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के साथ साझा किया गया है।

iv. जल शक्ति मंत्रालय अटल भूजल योजना को लागू कर रहा है, जो 7 राज्यों के 80 जल संकटग्रस्त जिलों में भूजल के मांग पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाले भागीदारी भूजल प्रबंधन हेतु एक सामुदायिक नेतृत्व की योजना है।

v. भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना था। इसके परिणामस्वरूप, देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवर का निर्माण/कायाकल्प किया गया है।

vi. देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 (3) के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है। देश में भूजल की निकासी के साथ-साथ उसके उपयोग को सीजीडब्ल्यूए द्वारा दिनांक 24.09.2020 के उनके दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार एनओसी जारी करके विनियमित किया जाता है।

vii. देश में भूजल की स्थिति में सुधार के लिए भारत सरकार की कई अन्य महत्वपूर्ण पहलों का विवरण नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है-
https://jalshakti-dowr.gov.in/document/steps-taken-by-the-central-government-to-control-water-depletion-and-promote-rain-water-harvesting-conservation/

इस तरह के सुसंगत और संचयी प्रयासों के परिणामस्वरूप, देश में कुल निष्कर्षण योग्य भूजल वर्ष 2017 में 392.7 बीसीएम से बढ़कर वर्ष 2023 में 407.21 बीसीएम हो गया है।

(ङ): सीजीडब्ल्यूबी, देश भर में नियमित आधार पर विभिन्न संदूषकों के लिए भूजल गुणवत्ता निगरानी करता है और विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर भूजल गुणवत्ता संबंधी आंकडे भी तैयार करता है। सीजीडब्ल्यूबी के पास उपलब्ध रिपोर्ट एवं भूजल गुणवत्ता संबंधी आंकडे, विभिन्न हितधारकों के उपयोग हेतु वेबसाइट (http://www.cgwb.gov.in) द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध कराए जाते हैं।

इसके अलावा, वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता और नियमित एवं दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए, अगस्त 2019 से, भारत सरकार द्वारा राज्यों के साथ साझेदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल को लागू किया जा रहा है। जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत, भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानकों को नल जल सेवा वितरण की गुणवत्ता के लिए निर्धारित मानदंडों के रूप में अपनाया गया है। जल जीवन मिशन (जेजेएम) की स्थापना के बाद से ही जल सुरक्षा इसकी प्राथमिकताओं में प्रमुख रही है।

इसके अतिरिक्त, जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत देश में 2000 से अधिक जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का एक विशाल नेटवर्क स्थापित किया गया है। इसके अलावा, फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) के माध्यम से पानी के नमूनों का परीक्षण करने के लिए प्रत्येक गांव से पांच व्यक्तियों, अधिमानतः महिलाओं को चुना जाता है और उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पानी की गुणवत्ता के लिए पानी के नमूनों का परीक्षण करने और पेयजल स्रोतों के नमूनों के संग्रहण, रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग और निगरानी के कार्य में उन्हें सक्षम बनाने के लिए, एक ऑनलाइन जेजेएम - जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

"भू-जल संरक्षण" विषय पर दिनांक 05.12.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अंतारिकत प्रश्न संख्या 1774 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

2022-23 में भारत के भूजल में विभिन्न प्रमुख संदूषकों के साथ आंशिक रूप से प्रभावित जिलों की राज्यवार संख्या (संचयी)

क्र.सं .	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	लवणता (ईसी 3000 माइक्रो एमएचओएस / सेमी से ऊपर) (ईसी: विद्युत चालकता)	फ़्लोराइड (1.5 मिलीग्राम/लीटर से अधिक)	फ़्लोराइड (1.5 मिलीग्राम/लीटर से अधिक)	आर्सेनिक (0.01 मिलीग्राम/लीटर से अधिक)	लोहा (मिलीग्राम/लीटर से अधिक)
1	आंध्र प्रदेश	23	19	26	7	12
2	तेलंगाना	16	29	32	1	9
3	असम	1	17		21	29
4	अरुणाचल प्रदेश					7
5	बिहार	7	19	32	27	35
6	छतीसगढ़	1	23	24	4	23
7	दिल्ली	8	8	11	5	5
8	गोवा					2
9	गुजरात	28	30	32	12	14
10	हरियाणा	18	21	21	18	20
11	हिमाचल प्रदेश		2	7	1	5
12	जम्मू और कश्मीर		4	10	3	10
13	झारखंड		17	23	4	23
14	कर्नाटक	30	31	30	3	22
15	केरल	4	6	14	1	14
16	मध्य प्रदेश	21	44	51	9	47
17	महाराष्ट्र	29	22	31		24
18	मणिपुर		1		2	4

19	मेघालय		5			8
20	नागालैंड		3			5
21	ओडिशा	18	26	32	5	31
22	पंजाब	12	19	23	17	19
23	राजस्थान	32	33	33	10	33
24	तमिलनाडु	29	30	33	14	16
25	त्रिपुरा		3		3	8
26	उत्तर प्रदेश	21	43	67	45	75
27	उत्तराखंड	1	1	5	5	8
28	पश्चिम बंगाल	9	12	18	11	22
29	अंडमान और निकोबार	1				3
30	दमन और दीव	1	1	2	1	
31	पुडुचेरी			2	1	
	कुल	**21 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 310 जिलों के हिस्से**	**27 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 469 जिलों के हिस्से**	**23 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 559 जिलों के हिस्से**	**25 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 230 जिलों के हिस्से**	**29 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 533 जिलों के हिस्से**

*****

अनुलग्नक-II

"भू-जल संरक्षण" विषय पर दिनांक 05.12.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अंतारिकत प्रश्न संख्या 1774 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

राष्ट्रीय जल पुरस्कार की स्थापना से लेकर अब तक पिछले पांच वर्षों के दौरान इसके विजेता रहे राज्यों की श्रेणी-वार सूची।

क्रं.सं.	पुरस्कार विजेताओं के नाम	श्रेणी/राज्य का नाम	श्रेणी
प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार-2018			
1	महाराष्ट्र	सर्वश्रेष्ठ राज्य	पहला स्थान
2	गुजरात		दूसरा स्थान
3	आंध्र प्रदेश		तीसरा स्थान
द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार-2019			
4	तमिलनाडु	सर्वश्रेष्ठ राज्य	पहला स्थान
5	महाराष्ट्र		दूसरा स्थान
6	राजस्थान		तीसरा स्थान
तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार-2020			
7	उत्तर प्रदेश	सर्वश्रेष्ठ राज्य	पहला स्थान
8	राजस्थान		दूसरा स्थान
9	तमिलनाडु		तीसरा स्थान
चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार-2022			
10	मध्य प्रदेश	सर्वश्रेष्ठ राज्य	पहला स्थान
11	ओडिशा		दूसरा स्थान
12	आंध्र प्रदेश		तीसरा रैंक (संयुक्त विजेता)
13	बिहार		तीसरा रैंक (संयुक्त विजेता)
5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार-2023			
14	ओडिशा		पहला स्थान
15	उत्तर प्रदेश		दूसरा स्थान
16	पुडुचेरी		तीसरा रैंक(संयुक्त विजेता)
17	गुजरात		तीसरा रैंक (संयुक्त विजेता)

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1823

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

नदियों द्वारा कटाव के लिए किसानों को मुआवजा

1823. श्री वीरेन्द्र सिंह:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नदियों द्वारा भू-क्षरण, जो कि देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, का समाधान करने की क्या नीति है;

(ख) क्या सरकार का भू-क्षरण से प्रभावित किसानों को सर्किल रेट के अनुसार मुआवजा देने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह मुआवजा कब तक दिए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क), (ख) और (ग): बाढ़ प्रबंधन और कटावरोधी स्कीमें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। भारत सरकार महत्वपूर्ण परियोजनाओं को बढ़ावा देती है और उनके लिए तकनीकी सहायता के साथ-साथ संवर्धनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हाल ही में इस संबंध में भारत सरकार की कुछ प्रमुख पहलें निम्न प्रकार से हैं।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति ने राज्य सरकारों के परामर्श द्वारा पूरे देश में बाढ़ प्रबंधन कार्यों हेतु रणनीतिक तैयारी करने के संबंध में अपनी एक रिपोर्ट सौंपी है। प्रभावी और दीर्घकालिक रणनीति में आधुनिक तकनीक के उपयोग के साथ-साथ संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों का संयोजन शामिल है जो बाढ़ / कटाव की समस्या को काफी हद तक कम कर सकता है। समिति ने बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) को वर्ष 2021-26 की अवधि तक के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। केंद्र सरकार वर्ष 2021-26 के दौरान 4,100 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ एक प्रायोजित एफएमबीएपी योजना को लागू कर रही है।

गैर-संरचनात्मक उपायों के लिए, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) नोडल संगठन है जिसे देश में बाढ़ पूर्वानुमान और प्रारंभिक बाढ़ चेतावनी का कार्य सौंपा गया है। यह नेटवर्क राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से स्थापित किया गया है। 24 घंटे की अल्प प्रतिक्रिया अवधि के साथ छोटी अवधि के पूर्वानुमानों के अलावा, सीडब्ल्यूसी द्वारा अपने पूर्वानुमान स्टेशनों पर 7 दिनों की अग्रिम चेतावनी के लिए वर्षा- रनॉफ गणितीय मॉडलिंग के आधार पर बेसिनवार एक बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल भी विकसित किया गया है ताकि स्थानीय अधिकारियों को लोगों की निकासी की योजना बनाने और अन्य उपचारात्मक उपाय करने के लिए अधिक समय प्रदान किया जा सके। इस समय, सीडब्ल्यूसी द्वारा 340 केन्द्रों (200 स्तरीय पूर्वानुमान और 140 अंतर्वाह पूर्वानुमान) केन्द्रों से बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं।

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा देश में बाढ़ प्रबंधन के गैर-संरचनात्मक उपाय के रूप में बाढ़ मैदान के लिए जोनिंग दृष्टिकोण अपनाने हेतु राज्यों को निरंतर कहा गया है। राज्यों को बाढ़ मैदानों और इसकी जोनिंग का वैज्ञानिक आकलन करने में सक्षम बनाने के लिए, मंत्रालय द्वारा बाढ़ मैदान जोनिंग पर तकनीकी दिशानिर्देशों का एक मसौदा तैयार किया गया है और वर्ष 2024 में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है।

केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधि (एनडीएमएफ) के दिशा-निर्देशों में शामिल की गई आपदाओं के संबंध में न्यूनीकरण परियोजनाओं के प्रयोजन से अनन्य रूप से वित्तपोषण हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 47(1) के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि (एनडीएमएफ) स्थापित की गई है। मिटिगेशन फंड का उपयोग उन स्थानीय स्तर और समुदाय-आधारित कार्यकलापों के लिए किया जाता है, जो जोखिमों को कम करते हैं और पर्यावरण के अनुकूल बस्तियों और आजीविका प्रथाओं को प्रोत्साहित करते हैं।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1819

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता

1819. श्री हरीभाई पटेल:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जनसंख्या वृद्धि के परिणामस्वरूप देश में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता घट रही है और यदि हां, तो 2030 तक संभावित प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं और इसके क्या परिणाम रहें हैं; और

(ग) भूजल पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है तथा पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): किसी भी क्षेत्र या देश की औसत वार्षिक जल उपलब्धता काफी हद तक जल-मौसम विज्ञान और भूवैज्ञानिक कारकों पर निर्भर करती है, हालांकि, प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता देश की जनसंख्या पर निर्भर करती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण देश में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता कम होती जा रही है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा किए गए "अंतरिक्ष इनपुट का उपयोग करते हुए भारत में जल उपलब्धता का पुनर्मूल्यांकन, 2019" शीर्षक अध्ययन के आधार पर, वर्ष 2021 और 2031 के लिए औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता क्रमशः 1486 घन मीटर और 1367 घन मीटर आंकी गई है।

(ख) और (ग): चूंकि 'जल' राज्य का विषय है, इसलिए जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए कदम मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाते हैं, जिनका प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के मुद्दे पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए, केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

भारत सरकार, राज्य के साथ साझेदारी में, देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए अगस्त, 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) को लागू कर रही है। मिशन की घोषणा के समय, केवल 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण परिवारों के पास नल का पानी उपलब्ध था।

मिशन के शुभारंभ के बाद से, 03.12.2024 तक 12.09 करोड़ से अधिक लोगों को नल के पानी का कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। इस प्रकार, 19.34 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से, लगभग 15.33 करोड़ (79.24%) ग्रामीण परिवारों को वर्तमान में नल का पानी मिल रहा है।

भारत सरकार ने वर्ष 2015 में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है, खास तौर पर 500 शहरों में हर घर में पानी की आपूर्ति और नल कनेक्शन तक पहुंच। अब तक 43,241.8 करोड़ रुपये की लागत वाली 1,390 परियोजनाओं की नींव रखी जा चुकी है, जिनमें 29,310 करोड़ रुपये की लागत वाली 1,180 पूरी हो चुकी परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से और अन्य कार्यक्रमों के साथ मिलकर 189 लाख घरों में पानी के नल कनेक्शन दिए गए हैं।

इसे आगे बढ़ाते हुए, वर्ष 2021 में अमृत 2.0 लॉन्च किया गया है, जो देश के सभी वैधानिक शहरों को कवर करता है ताकि जलापूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित की जा सके और शहरों को 'जल सुरक्षित' बनाया जा सके। गुणवत्तापूर्ण जलापूर्ति की उपलब्धता के लिए, अब तक आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की सर्वोच्च समिति द्वारा ₹ 1,14,073.65 करोड़ (ओएंडएम सहित) की 3,596 जलापूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

जल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार वर्ष 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को लागू कर रही है। पीएमकेएसवाई-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत, राज्यों के परामर्श से वर्ष 2016-17 के दौरान 99 चालू प्रमुख/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई। इन परियोजनाओं में से, 62 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के एआईबीपी कार्य पूरे होने की सूचना दी गई है। वर्ष 2016-17 से वर्ष 2023-2024 के दौरान देश में इन परियोजनाओं द्वारा 25.80 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होने की सूचना दी गई है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए पीएमकेएसवाई के विस्तार को मंजूरी दी गई है, जिसका कुल परिव्यय 93,068.56 करोड़ रुपये है। सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) और जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) की योजना पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत कार्यान्वित की जा रही है।

मिशन अमृत सरोवर को 24 अप्रैल, 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के उत्सव के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य भविष्य के लिए जल संरक्षण करना है। मिशन का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों को विकसित और पुनर्जीवित करना है।

जल शक्ति अभियान-I (जेएसए -I) 2019 में देश के 256 जल संकटग्रस्त जिलों के 2836 ब्लॉकों में से 1592 ब्लॉकों में चलाया गया था और इसे 2021 में “जल शक्ति अभियान: कैच द रेन” (जेएसए: सीटीआर) के रूप में विस्तारित किया गया था, जिसका विषय था “कैच द रेन - वेयर इट फाल्स, वेन इट फाल्स” ताकि देश भर के सभी जिलों (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों) के सभी ब्लॉकों को कवर किया जा सके। अब, जेएसए: सीटीआर 2024 का पाँचवाँ संस्करण 9 मार्च, 2024 को पूरे देश में लॉन्च किया

गया है। जेएसए: सीटीआर 2024 के दौरान निम्नलिखित जल संबंधी कार्य/वनीकरण कार्य पूरे हो चुके हैं/चल रहे हैं।

जेएसए में देश भर में जल संबंधी कार्य सीटीआर :2024	
जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन संरचनाएँ	8,70,757
पारंपरिक जल निकायों का जीर्णोद्धार	2,13,586
पुनः उपयोग और पुनर्भरण संरचनाएँ	3,59,188
वाटरशेड विकास	13,85,664
गहन वनरोपण	5,46,37,190
उन जिलों की संख्या जहाँ जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं	700
उन जिलों की संख्या जिन्होंने जल संरक्षण योजना तैयार की है	614

सिंचाई, औद्योगिक और घरेलू क्षेत्र में पानी के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने, विनियमन और नियंत्रण के लिए जल उपयोग दक्षता ब्यूरो की स्थापना की गई है। ब्यूरो देश में विभिन्न क्षेत्रों जैसे सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, बिजली उत्पादन, उद्योग आदि में जल उपयोग दक्षता में सुधार को बढ़ावा देने के लिए एक सुविधाकर्ता की भूमिका निभाएगा।

केंद्रीय भूजल बोर्ड समय-समय पर निगरानी कुओं के एक नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर पूरे देश में भूजल स्तर की निगरानी कर रहा है। दीर्घकालिक आधार पर जल स्तर में गिरावट का आकलन करने के लिए, नवंबर 2023 के दौरान सीजीडब्ल्यूबी द्वारा एकत्र किए गए जल स्तर के आंकड़ों की तुलना दशकीय औसत (2013-2022) से की गई है। जल स्तर के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि निगरानी किए गए लगभग 51.70% कुओं में भूजल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। भूजल स्तर में वृद्धि केंद्र और राज्य सरकारों दोनों की पहल का संचयी प्रभाव है।

भारत सरकार अटल भूजल योजना को लागू कर रही है, जो कि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य समुदाय के नेतृत्व में सतत भूजल प्रबंधन के माध्यम से भूजल स्तर में गिरावट को रोकना है। अटल भूजल योजना के लिए इसकी शुरुआत से लेकर अब तक धन का आवंटन और उपयोग इस प्रकार है:

(राशि करोड़ रूपये में)

वित्तीय वर्ष	आवंटित धनराशि	उपयोग की गई धनराशि
2020-21	125	123.03
2021-22	330	327.48
2022-23	700	637.64
2023-24	1774.57	1738.21
2024-25	1778	71.24 (25.11.2024 तक)

देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से "पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986" की धारा 3(3) के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है। सीजीडब्ल्यूए कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उन व्यवहार्य क्षेत्रों में उद्योगों, बुनियादी ढांचा इकाइयों और खनन परियोजनाओं को भूजल निष्कर्षण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रदान करता है, जहां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विनियमन नहीं किया जा रहा है। सीजीडब्ल्यूए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को देश भर में सभी 'गंभीर' और 'अति-दोहित' मूल्यांकन इकाइयों (ब्लॉक / तालुक / फिरका / जिला / घाटी / द्वीप / क्षेत्र / तहसील, आदि) और उनके अधिकार क्षेत्र के तहत सभी सरकारी भवनों में छत पर वर्षा जल संचयन (आरटीआरडब्ल्यूएच) को अपनाने के लिए अधिसूचनाएं और निर्देश भी जारी करता है।

जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा जल संरक्षण, भूजल के नियंत्रण और विनियमन तथा वर्षा जल संचयन/कृत्रिम पुनर्भरण/जल उपयोग दक्षता आदि को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों को यूआरएल पर देखा जा सकता है:

https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3a70dc40477bc2adceef4d2c90f47eb82/uploads/2024/07/20240716706354487.pdf

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1817

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

बिहार में बाढ़ प्रबंधन को सुदृढ़ करना

1817. श्री सुधाकर सिंह:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा बिहार में बार-बार बाढ़ आने की आशंका को देखते हुए बाढ़ प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ख) बिहार में चल रही बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की क्या स्थिति है तथा सरकार द्वारा बक्सर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में लगातार बाढ़ से होने वाली तबाही को रोकने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने बिहार में तटबंधों और जल निकासी प्रणालियों जैसी मौजूदा बाढ़ प्रबंधन अवसंरचना की प्रभावकारिता के संबंध में कोई अध्ययन या आकलन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पूर्व चेतावनी प्रणाली, आपदा से निपटने की त्यारी और बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में समुदायों का हौसला बढ़ाने के लिए बिहार राज्य सरकार के साथ कोई नई पहल की है या सहयोग करने की योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बिहार में विशेषकर जलवायु परिवर्तन और उस पर इसके प्रभाव के संदर्भ में दीर्घकालिक बाढ़ शमन के लिए सरकार द्वारा रणनीति अपनाई गई है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ग): बाढ़ प्रबंधन परियोजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार अपने संसाधनों से तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करके और संवर्धनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को मजबूत करने के लिए, मंत्रालय ने नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी, जल निकासी विकास, समुद्र कटाव विरोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए XIवीं और XII योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) लागू किया था, जो बाद में 2017-18 से 2020-21 की अवधि के

लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में जारी रहा और सीमित परिव्यय के साथ सितंबर 2022 तक बढ़ाया गया। सरकार ने 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 4,100 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ एफएमबीएपी को मंजूरी दी है। एफएमपी घटक के तहत 924.40 करोड़ रुपये और आरएमबीए घटक के तहत 699.64 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता बिहार को जारी की गई है। बिहार राज्य में इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरी की गई 42 परियोजनाओं ने लगभग 2867 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को उचित सुरक्षा प्रदान की है और लगभग 223.46 लाख जनसंख्या को सुरक्षा प्रदान की है। बिहार राज्य सरकार ने सूचित किया है कि बाढ़ सुरक्षा के लिए बिहार में विभिन्न नदियों पर 3800.41 किमी लंबाई के तटबंधों का निर्माण किया गया है।

एफएमबीएपी के बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) घटक के तहत बिहार में बक्सर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ प्रवण क्षेत्र की रक्षा के लिए बिहार सरकार द्वारा किए गए उपाय अनुबंध- I के रूप में संलग्न हैं। बिहार में बक्सर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ प्रवण क्षेत्र की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों को अनुबंध-II में दिया गया है।

केन्द्रीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं की मानीटरिंग के भाग के रूप में, बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं के निर्माण के बाद निर्माण और निष्पादन मूल्यांकन के दौरान समवर्ती मूल्यांकन राज्य सरकारों द्वारा तृतीय पक्ष के माध्यम से किया जा रहा है।

(घ): बाढ़ प्रबंधन के गैर-संरचनात्मक उपाय के रूप में केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) राज्य सरकारों के परामर्श से अभिज्ञात स्थानों पर बाढ़ पूर्वानुमान जारी करता है। सीडब्ल्यूसी उचित जलाशय विनियमन के लिए अभिज्ञात जलाशयों के लिए अंतर्वाह पूर्वानुमान भी जारी करता है। वर्तमान में बिहार राज्य में, केन्द्रीय जल आयोग 43 एफएफ स्टेशन (40 स्तर पूर्वानुमान स्टेशन + 03 अंतर्वाह पूर्वानुमान स्टेशन) का रखरखाव करता है।

लोगों को निकालने की योजना बनाने और अन्य उपचारात्मक उपाय करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को अधिक समय प्रदान करने के लिए, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने 24 घंटे तक के प्रतिक्रिया समय वाले शॉर्ट-रेंज पूर्वानुमान के अलावा पहचान किए गए बाढ़ पूर्वानुमान और प्रवाह पूर्वानुमान स्टेशनों पर 7 दिनों के अग्रिम बाढ़ पूर्वानुमान सलाह के लिए वर्षा-अपवाह गणितीय मॉडलिंग के आधार पर बेसिनवार बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया है। सीडब्ल्यूसी बाढ़ पूर्वानुमान सेवाओं को बिहार राज्य सहित संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) को जारी किए गए एकीकृत चेतावनी प्रसार प्लेटफार्म कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल (सीएपी) के साथ भी एकीकृत किया गया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने बाढ़ पर ध्यान केंद्रित करने के साथ आपदा प्रतिक्रिया में 6000 सामुदायिक स्वयंसेवकों (प्रत्येक जिले में 200) को प्रशिक्षित करने के लिए 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 30 सबसे अधिक बाढ़ प्रवण जिलों में 2016 से 2021 तक आपदा मित्र नामक पायलट योजना लागू की।

एनडीएमए ने भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप और बाढ़ प्रवण सभी राज्यों (315 जिलों) को आपदा प्रतिक्रिया में एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस और बीएस एंड जी के 2,37,326 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए 2024-25 से युवा आपदा मित्र योजना भी शुरू की है ताकि उन्हें आपातकालीन प्रतिक्रिया किट प्रदान की जा सके।

वास्तविक समय में विभिन्न हितधारकों को बाढ़ से संबंधित जानकारी प्रसारित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा बीईएफआईक्यूआर ऐप विकसित किया गया है।

(ड.): बिहार राज्य में बाढ़ का मुख्य कारण उत्तरी बिहार की नदियों जैसे गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा में ऊपरी आवाह क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण बढ़े हुए निस्सरण के कारण है। संबंधित मुद्दों पर मौजूदा भारत-नेपाल द्विपक्षीय त्रि-स्तरीय तंत्रों में चर्चा की जाती है जिसमें (i) जल संसाधन पर संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग (जेएमसीडब्ल्यूआर), (ii) जल संसाधन पर संयुक्त समिति (जेसीडब्लयूआर) और (iii) संयुक्त स्थायी तकनीकी समिति (जेएसटूसी) शामिल हैं। भारत सरकार दोनों देशों के परस्पर लाभ, जिसमें बाढ़ नियंत्रण शामिल है, के लिए इन नदियों पर दीर्घावधिक बाढ़ न्यूनीकरण हेतु बांधों के निर्माण हेतु नेपाल सरकार के साथ नियमित रूप से बातचीत कर रही है।

इसके अलावा बैराजों के माध्यम से बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिये केंद्रीय जल आयोग द्वारा जून 2024 में केंद्रीय जल आयोग, एनडब्ल्यूडीए, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग और बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति की अनुशंसा रिपोर्ट में चिन्हित बैराजों में से एक बैराज कोसी नदी पर भी है, जो सुपौल जिले के डगमारा में प्रस्तावित है। समिति की अनुशंसा के अनुसार, जल विद्युत, बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई में इस बैराज की उपयोगिता और इसकी तकनीकी व्यवहार्यता के अध्ययन का कार्य बिहार सरकार द्वारा चिन्हित किया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

"बिहार में बाढ़ प्रबंधन को सुदृढ़ करना" विषय पर दिनांक 05.12.2024 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1817 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

एफएमबीएपी के एफएमबी घटक के अंतर्गत बिहार के दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम				
क्र. सं.	**योजना कोड**	**योजना का शीर्षक**	**अनुमानित लागत (करोड़)**	**लाभांवित जिला**
2	बीआर-02	बागमती बाढ़ प्रबंधन, तटबंध निर्माण (एल/बी 17.55 से 56.97 किमी, आर/बी 15.2 से 56.97 किमी)	135.16	सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी
4	बीआर-14	दाहिनी बूढ़ी गंडक तटबंध को अखाड़ाघाट के नीचे 8.00 किमी से अखाड़ाघाट के नीचे 39.00 किमी तक ऊंचा एवं मजबूत किया जाएगा।	12.00	मुजफ्फरपुर
5	बीआर-15	दरभंगा नगर संरक्षण योजना भाग- I	9.33	दरभंगा
6	बीआर-16	दरभंगा नगर संरक्षण योजना भाग- II	14.16	दरभंगा
7	बीआर-17	दरभंगा नगर संरक्षण योजना भाग- III	10.60	दरभंगा
9	बीआर-34	मुजफ्फरपुर जिला (बिहार) में गंडक नदी के किनारे तिरहुत तटबंध के 5.00 से 6.00 मील के बीच पहाड़पुर मनोरथ, बंगरा, बरार, गायईटोला में अपरदन रोधी कार्य	8.13	मुजफ्फरपुर
10	बीआर-36	बिहार के भोजपुर और बक्सर जिलों में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर बीकेजी तटबंध के चैम्बर 135-160 (सेक्टर बी) केवटिया गांव के पास, 143-160.38 चैम्बर मझरिया गांव के पास और 1491-1505.75 चैम्बर नैनीजोर गांव के पास (सेक्टर - सी) के बीच अपरदन रोधी कार्य	7.55	बक्सर&भोजपुर
11	बीआर-41	दरभंगा और मधुबनी जिलों में कमला बलान नदी के बाएं और दाएं तटबंध का विस्तार, 11.42 किमी और 5.00 किमी की लंबाई में, बाएं हिस्से में ब्रिक सोलिंग रोड के साथ और दाएं कमला बलान तटबंध के विस्तारित हिस्से पर दो बिंदुओं पर सुरक्षा कार्य।	56.12	मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, खगरिया, सहरसा

12	बीआर-48	बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना चरण-II,सीतामढ़ी,दरभंगा,समस्तीपुर जिले।	120.94	सीतामढी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर
13	बीआर-49	बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा जिलों में अधवारा और खिरोई बाएं तटबंध को आर डी 0.0 किमी से आर डी 43.60 किमी तक और आर डी 44.00 किमी से आर डी 90.50 किमी तक और दाएं तटबंध को आर डी 0.0 किमी से आर डी 81.50 किमी तक ऊंचा और मजबूत करना	167.03	सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी
		कुल अनुमानित लागत करोड़ रुपये में	**541.02**	

अनुलग्नक-II

"बिहार में बाढ़ प्रबंधन को सुदृढ़ करना" विषय पर दिनांक 05.12.2024 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1817 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

<u>बिहार में बक्सर, दरभंगा और मुजफ्फरनगर जिले में बाढ़प्रवण क्षेत्रों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित उपाय</u>

क्रम संख्या	**स्कीम का नाम**	**अनुमानित लागत (करोड़में)**
1.	बाएं कमला बलान तटबंध और दाएं कमला बलान तटबंध का ऊंचीकरण, सुदृढ़ीकरण और पक्कीकरण चरण-I (पिपराघाट पुल से थांघा पुल) एलकेबीई में 27.10 किमी से 66.30 किमी के बीच और आरकेबीई में 23.20 किमी से 64.00 किमी के बीच	325.12
2.	एल.के.बी.ई. के 66.300 किमी (फटकी कुट्टी) से 92.500 किमी (पुनाच) तक तथा आर.के.बी.ई. के 64.00 किमी (ठेंगहा) से 94.00 किमी (पलवा) तक बाएं और दाएं कमला बलान तटबंध (चरण-II) का ऊंचीकरण, सुदृढ़ीकरण और पक्कीकरण।	297.08
3.	बाएं और दाएं कमला बलान तट बंधका ऊंचीकरण, सुदृढ़ीकरण और पक्कीकरण (चरण-III)। बाएं कमला बलान तटबंध के 0.00 किमी (जयनगर) से 11.72 किमी (कासमा), 21.50 किमी (पिराही) से 27.10 किमी (पिपराघाट) और 92.50 किमी (पुनाच) से 105.35 किमी (घोघेपुर) तक और दाएँ कमला बलान तटबंध के 0.00 किमी (जयनगर) से 23.20 किमी (भाटगामा) तथा 94.00 किमी (पलवा) से 111.29 किमी (फुहिया) तक।	255.46
4.	बागमती बाढ़ प्रबंधन स्कीम-चरण-V (क)	338.69
	कुल रु. करोड़ में	1216.35

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1767

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

राजस्थान में भू-जल का स्तर

1767. श्री राहुल कस्वां:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सहित सम्पूर्ण देश में भू-जल का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्थान के संदर्भ में भू-जल स्तर का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार गिरते भू-जल स्तर के पुनर्भरण हेतु किसी योजना पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने भू-जल स्तर के अध्ययन के संबंध में कोई रिपोर्ट प्रकाशित की है ताकि भविष्य में जल स्त्रोतों के पुनर्भरण हेतु कार्रवाई की जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) राजस्थान सहित क्षेत्रीय स्तर पर देश भर में प्रत्येक वर्ष चार बार भूजल स्तर की निगरानी करता है। भूजल स्तर में दीर्घकालिक उतार-चढ़ाव का आकलन करने के लिए, नवंबर 2023 के दौरान सीजीडब्ल्यूबी द्वारा एकत्र किए गए जल स्तर के आंकड़ों की तुलना नवंबर के जल स्तर के दस वर्षों (2013-2022) के दशकीय औसत से की गई है। जल स्तर संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि देश में निगरानी किए गए लगभग 51.7% कुओं में भूजल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। दशकीय जल स्तर में उतार-चढ़ाव का राज्यवार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान के संबंध में दीर्घावधि उतार-चढ़ाव संबंधी आंकड़ों के अवलोकन से पता चलता है कि राजस्थान में 33.60% कुओं में भूजल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है।

(ख): राजस्थान के संबंध में पिछले पांच वर्षों (2019-2023) की अवधि के लिए मापे गए जिलेवार भूजल स्तर के आंकड़े निम्नलिखित लिंक पर देखे जा सकते हैं: https://jalshakti-dowr.gov.in/document/the-district-wise-groundwater-level-data-for-rajasthan-recorded-over-the-past-five-years-2019-2023/

(ग): जल राज्य का विषय होने के कारण भूजल संसाधनों का सतत विकास और प्रबंधन मुख्यत राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार अपनी विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को सुगम बनाती है। इस दिशा में, जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा देश में भूजल स्तर में सुधार और भूजल संसाधनों के सतत विकास के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम नीचे दिए गए हैं:-

i. सरकार 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) लागू कर रही है जो वर्षा संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों के लिए एक मिशन मोड और समयबद्ध कार्यक्रम है। वर्तमान में देश में जेएसए 2024 लागू किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के 10 ऐसे जिलों सहित देश के 151 जल संकट वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जेएसए एक छत्र अभियान है जिसके तहत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के सम्मिलन में विभिन्न भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं।

ii. भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान-2020 को सीजीडब्ल्यूबी द्वारा राजस्थान सहित पूरे देश के लिए तैयार किया गया है और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया गया है, जिसमें 185 बीसीएम (बिलियन क्यूबिक मीटर) का दोहन करने के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान की गई है। राजस्थान में मास्टर प्लान में 7.7 लाख ढांचों के निर्माण की सिफारिश की गई है।

iii. सीजीडब्ल्यूबी ने जलभृत्त विस्थापन और उनके लक्षण-वर्णन की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जलभृत्त मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (एनएक्यूआईएम) शुरू किया है। राजस्थान के 3.34 लाख वर्ग किमी सहित लगभग 25 लाख वर्ग किमी के देश के पूरे मैप योग्य क्षेत्र को योजना के तहत मैप किया गया है और कृत्रिम पुनर्भरण के लिए सिफारिशों सहित प्रबंधन योजनाओं को कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझा किया गया है।

iv. जल शक्ति मंत्रालय, अटल भूजल योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जो 7 राज्यों में, जिनमें राजस्थान एक है, जल की कमी वाले 80 जिलों में भूजल के मांग पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भागीदारी भूजल प्रबंधन के लिए एक समुदाय आधारित स्कीम है।

v. कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू), भारत सरकार, 2015-16 से राजस्थान सहित देश में प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू कर रहा है, जो सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने और उपलब्ध जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए बेहतर ऑन-फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है।

vi. मिशन अमृत सरोवर भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य राजस्थान सहित देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना था। इसके परिणामस्वरूप, देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवर का निर्माण/कायाकल्प किया गया है।

vii. देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है। देश में भूजल की निकासी सह उपयोग को सीजीडब्ल्यूए द्वारा उनके दिनांक 24.09.2020 के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार एनओसी जारी करके विनियमित किया जाता है।

viii. जल शक्ति अभियान की गति को और मजबूत करने के लिए, *जल संचय जन भागीदारी: भारत में जल संपोषणीयता के लिए एक समुदाय-संचालित पथ* को 6 सितंबर, 2024 को सूरत, गुजरात में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा देश में वर्षा जल संचयन को एक जन आंदोलन बनाने की दृष्टि से शुरू किया गया है। सामुदायिक स्वामित्व और जिम्मेदारी को बढ़ावा देकर, यह पहल विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट जल चुनौतियों के अनुरूप लागत प्रभावी, स्थानीय समाधान विकसित करना चाहती है।

ix. देश में भूजल की स्थिति में सुधार के लिए भारत सरकार की कई अन्य महत्वपूर्ण पहलों का विवरण नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है- https://jalshakti-dowr.gov.in/document/steps-taken-by-the-central-government-to-control-water-depletion-and-promote-rain-water-harvesting-conservation/

घ) जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) पूरे देश में क्षेत्रीय स्तर पर हर साल चार बार भूजल स्तर की निगरानी करता है । भूजल स्तरों के इन आवधिक मापों के आधार पर सीजीडब्ल्यूबी राज्यों के साथ-साथ पूरे देश के लिए भूजल वर्ष पुस्तिकाएं तैयार करता है। अलग-अलग वर्षों की ऐसी वार्षिक पुस्तिकाएं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और इन्हें सीजीडब्ल्यूबी की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। उन्हें निम्नलिखित वेब लिंक के साथ एक्सेस किया जा सकता है: https://cgwb.gov.in/en/ground-water-level-monitoring

*****

<u>अनुलग्नक</u>

“राजस्थान में भू-जल का स्तर” विषय पर दिनांक 05.12.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1767 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

राज्य-वार दशकीय जल स्तर में उतार-चढ़ाव; मॉनसून के बाद (2013 से 2022) तथा मॉनसून 2023 के बाद के मीन की तुलना

क्र. सं.	राज्य का नाम	विश्लेषित कुओं की संख्या	विभिन्न रैंज की गहराई में कुओं की संख्या												कुओं की संख्या		कुओं का कुल प्रतिशत	
			चढ़ाव						उतार									
			0 से 2	%	2 से 4	%	> 4	%	0 से 2	%	2 से 4	%	> 4	%	चढ़ाव	उतार	चढ़ाव	उतार
1	आंध्र प्रदेश	693	92	13.3	27	3.9	34	4.9	381	55.0	119	17.2	40	5.8	153	540	22.08	77.92
2	अरुणाचल प्रदेश	21	3	14.3	1	4.8	0	0.0	16	76.2	1	4.8	0	0.0	4	17	19.05	80.95
3	असम	209	97	46.4	7	3.3	0	0.0	92	44.0	8	3.8	5	2.4	104	105	49.76	50.24
4	बिहार	606	226	37.3	27	4.5	0	0.0	327	54.0	21	3.5	4	0.7	253	352	41.75	58.09
5	छत्तीसगढ़	692	340	49.1	42	6.1	4	0.6	260	37.6	32	4.6	13	1.9	386	305	55.78	44.08
6	गोवा	80	49	61.3	3	3.8	2	2.5	24	30.0	0	0.0	2	2.5	54	26	67.50	32.50
7	गुजरात	503	193	38.4	67	13.3	47	9.3	148	29.4	28	5.6	19	3.8	307	195	61.03	38.77
8	हरियाणा	577	170	29.5	54	9.4	33	5.7	184	31.9	67	11.6	69	12.0	257	320	44.54	55.46
9	हिमाचल प्रदेश	52	28	53.8	0	0.0	3	5.8	20	38.5	0	0.0	1	1.9	31	21	59.62	40.38
10	झारखंड	230	90	39.1	12	5.2	3	1.3	101	43.9	14	6.1	10	4.3	105	125	45.65	54.35
11	कर्नाटक	1160	403	34.7	69	5.9	32	2.8	501	43.2	116	10.0	37	3.2	504	654	43.45	56.38
12	केरल	1169	809	69.2	51	4.4	6	0.5	284	24.3	13	1.1	5	0.4	866	302	74.08	25.83
13	मध्य प्रदेश	1060	397	37.5	101	9.5	47	4.4	385	36.3	87	8.2	43	4.1	545	515	51.42	48.58
14	महाराष्ट्र	1387	549	39.6	96	6.9	37	2.7	512	36.9	119	8.6	71	5.1	682	702	49.17	50.61
15	मेघालय	29	12	41.4	0	0.0	0	0.0	17	58.6	0	0.0	0	0.0	12	17	41.38	58.62
16	नागालैंड	9	3	33.3	1	11.1	0	0.0	4	44.4	1	11.1	0	0.0	4	5	44.44	55.56
17	ओडिशा	1133	576	50.8	35	3.1	8	0.7	442	39.0	59	5.2	13	1.1	619	514	54.63	45.37
18	पंजाब	176	47	26.7	8	4.5	6	3.4	64	36.4	24	13.6	27	15.3	61	115	34.66	65.34
19	राजस्थान	**753**	**146**	**19.4**	**69**	**9.2**	**38**	**5.0**	**223**	**29.6**	**121**	**16.1**	**156**	**20.7**	**253**	**500**	**33.60**	**66.40**
20	तमिलनाडु	771	285	37.0	154	20.0	121	15.7	163	21.1	34	4.4	14	1.8	560	211	72.63	27.37
21	तेलंगाना	616	156	25.3	76	12.3	82	13.3	223	36.2	46	7.5	33	5.4	314	302	50.97	49.03
22	त्रिपुरा	63	20	31.7	1	1.6	0	0.0	37	58.7	4	6.3	1	1.6	21	42	33.33	66.67
23	उत्तर प्रदेश	606	275	45.4	31	5.1	9	1.5	229	37.8	47	7.8	15	2.5	315	291	51.98	48.02
24	उत्तराखंड	147	58	39.5	20	13.6	12	8.2	43	29.3	10	6.8	4	2.7	90	57	61.22	38.78
25	पश्चिम बंगाल	573	325	56.7	11	1.9	1	0.2	213	37.2	18	3.1	5	0.9	337	236	58.81	41.19
26	अंडमान और निकोबार	108	72	66.7	0	0.0	0	0.0	36	33.3	0	0.0	0	0.0	72	36	66.67	33.33
27	चंडीगढ़	12	6	50.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	1	8.3	4	33.3	6	6	50.00	50.00
28	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	23	13	56.5	0	0.0	0	0.0	8	34.8	1	4.3	1	4.3	13	10	56.52	43.48
29	दिल्ली	58	22	37.9	13	22.4	8	13.8	6	10.3	5	8.6	4	6.9	43	15	74.14	25.86
30	जम्मू और कश्मीर	211	121	57.3	3	1.4	0	0.0	79	37.4	7	3.3	1	0.5	124	87	58.77	41.23
31	पुडुचेरी	7	4	57.1	1	14.3	0	0.0	2	28.6	0	0.0	0	0.0	5	2	71.43	28.57
	कुल	**13734**	**5587**	**40.7**	**980**	**7.1**	**533**	**3.9**	**5025**	**36.6**	**1003**	**7.3**	**597**	**4.3**	**7100**	**6625**	**51.70**	**48.24**

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1761

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना

1761. श्री काली चरण सिंह:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बिहार और झारखंड की बहुउद्देशीय उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना को पूरा करने का कोई उद्देश्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितनी निधि जारी की गई है;

(ख) उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और अब तक पूरे किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कार्य निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप किया जा रहा हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार उक्त परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए किस प्रकार निगरानी कर रही है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (घ): केंद्र सरकार ने अक्टूबर, 2023 में 2430.76 करोड़ रुपये (केंद्र का हिस्सा: 1,836.41 करोड़ रुपये) की संशोधित लागत से उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र के हिस्से में से अब तक 771.04 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है।

बांध और सहायक कार्यों में 10%, बैराज पर 100%; बायीं मुख्य नहर पर 86%, दाहिनी मुख्य नहर (झारखंड का भाग) पर 22% और दाहिनी मुख्य नहर (बिहार का भाग) पर 15% प्रगति हुई है।

अक्टूबर, 2023 में परियोजना के अनुमोदन के दौरान निर्धारित समय-सीमा के अनुसार परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने की लक्ष्य तिथि मार्च, 2026 है।

(ङ): सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति और सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक तकनीकी मूल्यांकन समिति, जिसमे - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, बिहार एवं झारखंड दोनों राज्य सरकारों और वाटर एंड पावर कंसलटेंसी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड, के सदस्य की समिति द्वारा परियोजना के शेष कार्यों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की निगरानी की जा रही हैं।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1748

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

नदियों में गाद का जमा होना

1748. श्री जयन्त बसुमतारी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई, बेकी, मानस, दरांग, संकोष आदि जैसी सभी नदियां भारी वर्षा से आई आकस्मिक बाढ़ और भूटान की तलहटी से भारी चट्टानों के कारण गाद से भरी पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है;

(ग) क्या उक्त क्षेत्र में नदियों में भारी मात्रा में गाद जमा होने के कारण पेयजल की भारी कमी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): जी हाँ, भूटान से भारत की ओर बहने वाली अनेक सीमा-पार नदियों में बाढ़ के मौसम के दौरान नदी गाद की पर्याप्त मात्रा आती है।

(ख): भूटान की दक्षिणी तलहटी और भारत के समीपवर्ती मैदानों में बार-बार आने वाली बाढ़ और कटाव के संभावित कारणों और प्रभावों पर चर्चा करने और उनका आकलन करने तथा भारत और भूटान के बीच दोनों सरकारों को उपयुक्त और परस्पर स्वीकार्य उपचारी उपायों की सिफारिश करने हेतु आयुक्त (बी एंड बी), जल संसाधन, नदी विकास विभाग और गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में बाढ़ प्रबंधन विशेषज्ञ संयुक्त समूह (जेजीई) का गठन वर्ष 2004 में किया गया था। अब तक, बाढ़ प्रबंधन विशेषज्ञ संयुक्त समूह (जेजीई) की दस बैठकें आयोजित की गई हैं।

बाढ़ प्रबंधन विशेषज्ञ संयुक्त समूह (जेजीई) द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण और बाढ़ प्रबंधन विशेषज्ञ संयुक्त समूह (जेजीई) द्वारा संदर्भित कुछ गंभीर क्षेत्रों का स्थल दौरा करके बाढ़ प्रबंधन विशेषज्ञ संयुक्त समूह (जेजीई) की सहायता करने के लिए दोनों देशों के बीच बाढ़ प्रबंधन पर एक संयुक्त तकनीकी दल (जेटीटी) का भी गठन किया गया था। संयुक्त तकनीकी दल (जेटीटी) इस समय तलछट भार

और नदियों पर इसके प्रभाव के आंकलन से संबंधित अध्ययन कर रहा है और भूटान से असम में प्रवेश करने वाली मानस, धनसिरी और पुथीमारी नदियों तथा भूटान से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने वाली पुगली, रेथी और सुकृति नदियों के लिए उपचारात्मक उपायों की भी सिफारिश करता है।

इसके अलावा, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जनवरी, 2023 में तलछट प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा (एनएफ़एसएम) अधिसूचित किया गया है जो गाद हटाने के बजाय गाद उत्पादन को कम करने और तकनीकी नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने पर जोर देता है। इसके अलावा, यह तलछट प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं, एकीकृत और वैज्ञानिक तरीके से तलछट प्रबंधन के मुद्दों के निपटारे और नदी बेसिन में तलछट प्रबंधन के विभिन्न दृष्टिकोणों के उपयोगों के बारे में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इसमें केंद्रीय एजेंसियों के विभागों/मंत्रालयों द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों/अधिसूचनाओं के प्रासंगिक संदर्भ भी शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, असम जल संसाधन विभाग ने आई, बेकी, मानस, दरांग और संकोष नदियों के तल स्तर में वृद्धि और भारी गाद के कारण आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए विभिन्न योजनाएँ शुरू की हैं। असम जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक शुरू की गई योजनाओं की सूची **अनुलग्नक** में संलग्न है।

(ग) और (घ): 'जल' राज्य का विषय है इसलिए ग्रामीण परिवारों को नल का जल उपलब्ध कराने तथा शहरी क्षेत्रों में जल प्रबंधन के लिए पाइप द्वारा जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है।

सभी ग्रामीण परिवारों को पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, अगस्त 2019 से, भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में, जल जीवन मिशन (जेजेएम) लागू कर रही है। इस मिशन का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा (55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष), निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस 10500) और नियमित एवं दीर्घकालिक आधार पर नल के जल की आपूर्ति का प्रावधान करना है। भारत सरकार जल जीवन मिशन के अंतर्गत तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करती है। इसके अतिरिक्त, असम राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वहां प्रचुर मात्रा में भू और सतही जल स्त्रोत हैं; हालांकि, नल कनेक्शन के माध्यम से आपूर्ति किए गए पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण है।

*****

<u>**अनुलग्नक**</u>

"नदियों में गाद का जमा होना" विषय पर दिनांक 05.12.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1748 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

डब्ल्यूआरडी, असम द्वारा आई, मानस, दरांगा, बेकी, संकोष नदियों में शुरू की गई योजनाएं

(लाख रुपए में)

क्रम संख्या	एचओए	प्रभाग का नाम	नदी का नाम	योजना का नाम	अनुमानित लागत
1	एसओपीडी-एफडीआर 2021-22	चिरांग	आई	आर/बी पर आई नदी के कटाव से देबरगांव गांव की रक्षा के लिए ए/ई उपाय।	49.98
2	एनआईडीए	बोंगाईगांव	आई	आई नदी के तिरछे जोर से गाद जमा होने को रोकने के उपायों द्वारा बशबाड़ी बाजार के डी/एस क्षेत्र की सुरक्षा।	190.00
3	एसओपीडी-एफडीआर 2021-22	बारपेटा	मानस	मानस नदी के कटाव से बरतारी और इसके आस-पास के क्षेत्र की सुरक्षा।	331.92
4	एनईसी	बास्का	दरांगा	विभिन्न खंडों पर दरांगा नदी के बी/बी की सुरक्षा के लिए कटावरोधी उपाय।	495.73
5	विश्व बैंक ने एआईआरबीएमपी को सहायता दी	बारपेटा और बक्सा	बेकी	नदी के कटाव के जोखिम को कम करने के लिए बेकी नदी के किनारे नदी कार्यों का निर्माण और उन्नयन	14308.00
6	विश्व बैंक ने एआईआरबीएमपी को सहायता दी	बारपेटा और बक्सा	बेकी	बाढ़ और नदी कटाव जोखिम को कम करने के लिए बेकी नदी के किनारे नदी कार्यों का निर्माण और उन्नयन (चुनबारी, मैथाबारी, नेपालीबस्ती, बिहारीबस्ती, बरोबस्ती और गोबर्धन सत्रा के यू/एस, कटझार और कौरजाही में आपातकालीन सुरक्षा कार्य)	2973.00

क्रम संख्या	एचओए	प्रभाग का नाम	नदी का नाम	योजना का नाम	अनुमानित लागत
7	एफएमबीएपी	चिरांग	आई	आई नदी (आर/बी) के कटाव से दुर्गापुर, दाबाबील, छोटोनीबाड़ी, देबरगांव, डांगाईगांव, भिरेनगांव, भेरभेरी, रौमारी, खगड़ाबारी, संन्याशिगुड़ी, उत्तर पोपरागांव और पोपरागांव गांवों की सुरक्षा।	11594.40
8	एसओपीडी-जी-2023-24	बारपेटा	बेकी	बेकी नदी के एल/बी पर कटाव से खुदनाबाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा।	177.58
9	एसओपीडी-जी-2023-24	कोकराझार	संकोष	संकोष नदी के एल/बी पर कटाव से सिमलाबाड़ी एफ वी गांव और इसके आस-पास के क्षेत्रों की रक्षा के लिए कटावरोधी उपाय।	198.00
10	एसओपीडी-जी-2023-24	कोकराझार	संकोष	बागडोगरा गांव और इसके आस-पास के क्षेत्रों को संकोष नदी के एल/बी पर कटाव से बचाने के लिए ए/ई उपाय।	199.00
11	एसओपीडी-जी-2023-24	बारपेटा	बेकी	शोपुर में कुराकुर पुल पहुंचने वाले मार्ग को बेकी नदी के आर/बी पर कटाव से सुरक्षा प्रदान करना।	172.00

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1734

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

राजस्थान के झुंझुनू जिले में प्रदूषित नदियां, बावड़ी, तालाब

1734. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अशोधित मल-जल, जल और उद्योगों तथा होटलों से निकलने वाले अपशिष्ट को सीधे नदियों और नालों में बहाने के कारण बड़े पैमाने पर नदियां प्रदूषित हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान के जिलों, विशेषकर झुंझुनू जिले में कुल कितनी नदियां, मल-जल, तालाब और छोटी नदियां प्रदूषित हुई हैं;

(ग) उक्त नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजना में शामिल की गई छोटी नदियों और नालों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): देश में नदियां मुख्य रूप से शहरों/कस्बों से अनुपचारित और आंशिक रूप से उपचारित सीवेज और औद्योगिक बहिस्त्राव के कारण अपने संबंधित कैचमेंट में प्रदूषित और संदूषित होती है। प्रदूषण के नॉन-प्वाइंट स्त्रोत जैसे कटाव, रॉकस का ट्रांस्पोटेशन और सेडीमेंनटेशन, मृदा, एगरिकल्चर रनऑफ, खुले में शौच और ठोस अपशिष्ट स्थलों से रनऑफ आदि भी नदियों के प्रदूषण में योगदान देते हैं।

वर्ष 2022 में प्रकाशित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सूचना के अनुसार, देश में कुल 603 नदियों की निगरानी की गई, और यह पाया गया कि 279 नदियों के कुल 311 नदी खंड़ों सहित राजस्थान के 14 प्रदूषित नदी खंड प्रदूषित थे। राजस्थान में चिन्हित् प्रदूषित नदी खंड़ों की सूची अनुलग्नक में दी गयी है।

(ग) और (घ): नदियों और अन्य जल निकायों में बहिस्त्राव के निर्वहन से पूर्व निर्धारित शर्तों के अंतर्गत सीवेज और औद्योगिक बहिस्त्राव का अपेक्षित उपचार सुनिश्चित करना राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है। भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय और तकनीक सहायता प्रदान की जाती है।

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गंगा बेसिन में आने वाली गंगा और अन्य नदियों में प्रदूषण कम करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना "नमामि गंगे" चलाया जा रहा है। अन्य नदियों के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना को नदियों में प्रदूषण कम करने के लिए राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों के प्रयासों की सहायता के लिए चलाया जा रहा है।

अब तक, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में, छोटी नदियों नामतः मणिपुर में नामबुल, सिक्कीम में रानी चूंआं, गोवा में जुआरी आदि सहित 57 नदियों में 8931.49 करोड़ रूपये की संस्वीकृत लागत से देश के 17 राज्यों को शामिल किया गया है और अन्य बातों के साथ-साथ 2941 मीलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की सीवेज उपचार क्षमता सृजित की गई है।

नमामि गंगे कार्यक्रम 30 नदियों सहित उत्तराखंड में बिडाल, उत्तर प्रदेश में दाहमोल, बिहार में कुली, झारखंड़ में दामोदर जैसी छोटी नदियों को शामिल करती है। कुल 484 परियोजनाओं सहित 6255 एमएलडी की सीवेज उपचार के लिए 203 परियोजनाएं और 5249 कि.मी. के सीवर नेटवर्क को 39604 करोड़ रूपये की लागत से संस्वीकृत किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप, अब तक, 3327 एमएलडी के सीवरेज उपचार क्षमता का सृजन किया गया है।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत, जोधपुर राजस्थान के जोजारी नदी में प्रदूषण कम करने के लिए कुल 172.60 करोड़ रूपये की कुल लागत से चार (04) परियोजनाओं को संस्वीकृत किया गया है और अन्य बातों के साथ-साथ सीवेज नेटवर्क से 40 मीलियन लीटर प्रतिदिन की सीवेज उपचार क्षमता की परिकल्पना की गई है। झुनझुनु जिला से संबंधित राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****

अनुलग्नक

"राजस्थान के झुंझुनू जिले में प्रदूषित नदियां, बावड़ी, तालाब" विषय पर दिनांक 05.12.2024 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1734 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

नवंबर, 2022 में सीपीसीबी द्वारा चिन्हित राजस्थान में 14 प्रदूषित नदी खंडों की सूची

क्र.सं.	**नदियों के नाम**	**प्रदूषित नदी खंड/स्थन**	**आंलकन की गई अधिकतम बीओडी**	**प्राथमिकृत वर्ग**
1	बनास	बस्सी से बीसलपुर	35.7	I
2	बांदी	पाली के साथ	94.0	I
3	जवाई	जवाई बांध पर	11.7	III
4	गुवार्डी	गुवार्डी के साथ	9.5	IV
5	कानोटा	सुमेल के साथ	9.5	IV
6	खारी	केलवाड़ा के साथ	7.6	IV
7	कोठारी	भीलवाड़ा के साथ	6.2	IV
8	बेरेच	नागरी के साथ	3.9	V
9	भंवर सेमिला	भंवर सेमला के साथ	3.8	V
10	चंबल	केशोरायपट्टन के साथ और पाली (सवाई माधोपुर) के साथ	5.7	V
11	गंभीरी	चित्तौड़गढ़ के साथ	4.9	V
12	लूनी	रणकपुर के साथ	3.8	V
13	माही	बांसवाड़ा के साथ	5.0	V
14	पिपलाड	पिपलाद बांध में	3.2	V

बायो-केमिकल ऑक्सीजन डिमांड स्तर पर आधिरित 05 प्राथमिकृत वर्गों में प्रदूषित नदी खंडों को वर्गीकृत किया गया है, निम्नलिखित है:

श्रेणी	**मी.ग्रा/लीटर में बीओडी**
प्राथमिकता I	बीओडी 30 मिलीग्राम/लीटर से अधिक
प्राथमिकता II	बीओडी 20-30 मिलीग्राम/लीटर के बीच
प्राथमिकता III	बीओडी 10-20 मिलीग्राम/लीटर के बीच
प्राथमिकता IV	बीओडी 6-10 मिलीग्राम/लीटर के बीच
प्राथमिकता V	बीओडी 3-6 मिलीग्राम/लीटर के बीच

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1729

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

भूजल का संदूषण तथा गिरते स्तर का अध्ययन

1729. श्री राम शिरोमणि वर्मा:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने भू-जल के संदूषण और उसमें गिरावट के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा जल की गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने और कम करने के लिए क्या ठोस उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री **श्री राज भूषण चौधरी**

(क) और (ख): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा अपने भूजल गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम और विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के भाग के रूप में क्षेत्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए वार्षिक रूप से भूजल गुणवत्ता आंकडे तैयार किए जाते हैं। विभिन्न स्थानों से एकत्र किए गए भूजल नमूनों का विद्युत चालकता, फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट और यूरेनियम आदि जैसे विभिन्न गुणवत्ता मानकों के लिए विश्लेषण किया जाता है। इन अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में भूजल मुख्यतः पीने योग्य है हालांकि कुछ छिटपुट क्षेत्रों में संदूषण पाया जाता है।

इसके अतिरिक्त, देश में भूजल की स्थिति के आकलन के लिए सीजीडब्ल्यूबी द्वारा प्रत्येक वर्ष चार बार देश भर में भूजल स्तर की मॉनिटरिंग की जाती है। नवंबर 2023 के दौरान मापे गए भूजल स्तर के आंकड़ों के अवलोकन से यह पता चलता है कि देश भर के लगभग 84.8% कुओं में भूजल भूतल स्तर से 0-10 मीटर नीचे (एमबीजीएल) पाए गए हैं। ये आकड़ें भूजल की सुलभ उपलब्धता का संकेत देते हैं।

(ग): जल राज्य का विषय है और भूजल गुणवत्ता में सुधार और संदूषण को कम करने के लिए पहल करने सहित भूजल प्रबंधन का दायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों का है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। इनमे से कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं: -

i. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा एकत्रित भूजल गुणवत्ता संबंधी आंकडे विभिन्न हितधारकों के उपयोग हेतु रिपोर्टों के साथ-साथ वेबसाइट (http://www.cgwb.gov.in) के माध्यम से भी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराए जाते हैं। आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ आंकड़ों को साझा भी किया जाता है।

ii. सीजीडब्ल्यूबी के राष्ट्रीय जलभृत्त मानचित्रण कार्यक्रम (नैक्यूम) के अंतर्गत भूजल में आर्सेनिक जैसे विषैले पदार्थों द्वारा संदूषण सहित भूजल गुणवत्ता के पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

iii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा संदूषण मुक्त जलभृत्तों से निकासी के लिए सीमेंट सीलिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का सफलतापूर्वक निर्माण किया जा रहा है और फ्लोराइड उपशमन में राज्य के विभागों को तकनीकी सहायता भी प्रदान किया जा रहा है।

iv. भारत सरकार द्वारा राज्यों की साझेदारी के साथ अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल का कार्यान्वयन किया जा रहा है, ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता और नियमित एवं दीर्घकालिक आधार पर नल के पेय जल की आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके। जेजेएम के तहत, भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस :10500 मानकों को नल जल सेवा वितरण की गुणवत्ता के लिए निर्धारित मानदंड के रूप में अपनाया गया है। जल जीवन मिशन की शुरुआत से इसके अंतर्गत जल सुरक्षा, प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक रही है। राज्यों को इन मानकों के अनुसार स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति कड़ाई से सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त, जल जीवन मिशन के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आबंटन करते समय, रासायनिक संदूषकों द्वारा प्रभावित रिहाइशों में रहने वाली जनसंख्या को 10% वेटेज दिया जाता है।

v. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सलाह दी गई है कि वे आर्सेनिक सहित जल गुणवत्ता प्रभावित गांवों के लिए सतही जल स्रोतों अथवा वैकल्पिक सुरक्षित भू-जल स्रोतों जैसे सुरक्षित स्रोतों पर आधारित पाइप द्वारा बल्क जल आपूर्ति स्कीमों आयोजना एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त जेजेएम के तहत घरों को नल कनेक्शन के माध्यम से पेय जल आपूर्ति की आयोजना करते समय गुणवत्ता प्रभावित रिहाइशों को प्राथमिकता दी जाती है। चूंकि सुरक्षित जल स्रोतों पर आधारित पाइप द्वारा जल आपूर्ति स्कीम की आयोजना, कार्यान्वयन और इसे शुरु करने में समय लगता है, अतः विशुद्ध रूप से अंतरिम उपाय के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सलाह दी गई है कि वे विशेष रूप से आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित रिहाइशों में प्रत्येक परिवार को 8-10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) की दर से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) स्थापित करें।

vi. इसके अतिरिक्त, भूजल की गुणवत्ता में कुछ सीमा तक सुधार किया जा सकता है यदि उपयुक्त भूजल पुनर्भरण/वर्षा जल संचयन के माध्यम से भूजल संसाधनों में सुधार करने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इस दिशा में कई महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं यथा जन भागीदारी के साथ वर्षा जल के संचयन और संरक्षण पर केंद्रित जल शक्ति अभियान, मास्टर प्लान को तैयार करना, कृत्रिम पुनर्भरण के लिए देश के भौगोलिक स्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को इंगित करने वाली एक वृहद स्तरीय योजना तैयार करना, भूजल निष्कर्षण का विनियमन, भागीदारी भूजल प्रबंधन आदि विषयों के साथ अटल भूजल योजना का कार्यान्वयन।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1716

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

वाणिज्यिक और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूजल का निष्कर्षण

1716. डॉ. के. सुधाकर:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूरे कर्नाटक में वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक प्रयोजनों के लिए भू-जल के अत्यधिक दोहन के संबंध में कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि कर्नाटक की प्रमुख झीलों में मल-जल शोधन संयंत्र इन झीलों के जल की गुणवत्ता में सुधार लाने में प्रभावी नहीं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश भर में शहरी झील/आर्द्र भूमियों को सुरक्षित रूप देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) मल-जल शोधन संयंत्रों द्वारा पेयजल हेतु उपलब्ध कराए जाने वाले जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने की संभावना है कि पेयजल के पुन: उपयोग से पीने के प्रयोजनार्थ जल की सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित हो; और

(च) देश भर में इस संबंध में नियोजित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): जल राज्य का विषय होने के कारण भूजल के निष्कर्षण के विनियमन सहित जल संसाधनों का सतत प्रबंधन मुख्यत: राज्यों की जिम्मेदारी है। हालांकि, देश की भूजल स्थिति पर निगरानी करने के लिए कर्नाटक सहित देश के सक्रिय भूमि जल संसाधनों का आकलन राज्य सरकारों के सहयोग से केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा वार्षिक रूप से किया जा रहा है। नवीनतम (2023) आकलन के अनुसार, कर्नाटक के लिए वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन 17.08 बीसीएम (बिलियन क्यूबिक मीटर) है। सभी प्रकार के उपयोगों के लिए वार्षिक भूजल निष्कर्षण 11.32 बीसीएम है, जिसमें से लगभग 0.13 बीसीएम (1%) का उपयोग औद्योगिक गतिविधियों के लिए किया गया है।

(ख): कर्नाटक के लघु सिंचाई विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, बंगलौर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) द्वारा उपचारित जल, जिसका टैंक भरने के लिए उपयोग किया जाता है, की गुणवत्ता के पहलू पर भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) और अन्य प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा

अध्ययन और विश्लेषण किए गए हैं। जांच के परिणाम यथा निर्धारित सभी जल गुणवत्ता मानकों को पूरा कर रहे थे।

(ग): शहरी झीलों/आर्द्रभूमियों का सुधार मुख्यत: शहरी नगर निकायों और संबंधित राज्य सरकारों के अधिदेश में आता है। तथापि, केन्द्र सरकार ने अपनी ओर से एक राष्ट्रीय पर्यावरण नीति (एनईपी), 2006 तैयार की गई है जो पारिस्थितिकी तंत्र रखरखाव में आर्द्रभूमियों के महत्त्व को मान्यता देती है और सभी आर्द्रभूमियों के लिए एक विनियामक फ्रेमवर्क स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देती है। इसके अनुरूप, आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 तैयार किए गए हैं जो प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में अपने क्षेत्राधिकार में आर्द्रभूमि के संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन की देखरेख के लिए आर्द्रभूमि प्राधिकरण के गठन को निर्धारित करते हैं। इसके अतिरिक्त, अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र (एसएसी), अहमदाबाद ने देश में सभी आर्द्रभूमियों का मानचित्रण करते हुए एक राष्ट्रीय आर्द्रभूमि सूची एटलस तैयार की गई है।

इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और अमृत 2.0 जैसे विभिन्न राष्ट्रीय मिशनों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का अनुपूरक है। जल निकायों का संरक्षण अमृत 2.0 का एक प्रमुख घटक है। अब तक, 6,159.29 करोड़ रुपये की 3,078 जल निकाय संरक्षण परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

(घ) और (ड.): राष्ट्रीय जल नीति-2012 सामान्य मानक के रूप में जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग को अधिदेशित करती है और अपशिष्ट जल के पुन:उपयोग से पहले निर्दिष्ट मानकों के अनुसार उनके उपचार पर बल देती है। इसमें उद्योगों, कृषि एवं अन्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में शोधित जल के पुन:उपयोग को बढ़ाने के लिए समुचित रूप से नियोजित शुल्क-दर प्रणाली का प्रावधान है। इसमें उल्लेख किया गया है कि प्राथमिक उपचार के बाद, किसी मानव के संपर्क में न आते हुए, रसोई और बाथरूम के शहरी अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग को शौचालयों में प्रयुक्त किए जाने को बढ़ाया जाना चाहिए।

इसके अलावा, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा उपचारित जल के सुरक्षित पुन: उपयोग पर एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क भी अपनाया गया है। यह फ्रेमवर्क राज्यों के लिए अपनी पुन: उपयोग जल नीति तैयार करने और समयबद्ध तरीके से इसे लागू करने के लिए एक मार्गदर्शी दस्तावेज होगा। इस फ्रेमवर्क में उपचारित अपशिष्ट जल का औद्योगिक, कृषि, नगर निगम आदि जैसे विभिन्न गैर-पेयजल के रूप में उपयोगों के लिए पुन: उपयोग करने की वकालत करता है।

च): सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन क्षेत्र, अमृत के तहत, उसके मिशन घटकों में से एक है, जिसके तहत जुलाई 2024 तक 6,232 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) क्षमता की कुल सीवेज उपचार परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है और जिनमें से 4,174 एमएलडी सीवेज उपचार क्षमता सृजित की गई है और 1,437 एमएलडी क्षमता को पुनर्चक्रण/पुन: उपयोग के लिए विकसित किया गया है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1711

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

नदियों के प्रदूषित हिस्सों की सफाई

1711. डॉ. निशिकान्त दुबे:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में नदियों के प्रदूषित क्षेत्रों की स्थिति की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इन प्रदूषित क्षेत्रों की सफाई के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार देश में नदियों के सभी प्रदूषित क्षेत्रों के प्रदूषण नियंत्रण और पुनरुद्धार के लिए उठाए गए कदमों की प्रभावी निगरानी के लिए कोई तंत्र अपनाने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की वर्ष 2022 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, देश की कुल 603 नदियों का मॉनीटर किया गया और यह पाया गया कि 279 नदियों के कुल 311 नदी क्षेत्र प्रदूषित थे। इसका विवरण नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है:

https://cpcb.nic.in/openpdffile.php?id=UmVwb3J0RmlsZXMvMTQ5OF8xNjcyOTg4MDQ1X21lZGlhcGhvdG8xMjk5NS5wZGY=

सीवेज और औद्योगिक बहि:स्रवों को नदियों और अन्य जल निकायों में प्रवाहित करने से पूर्व निर्धारित मानकों के अनुरूप उनका अपेक्षित शोधन सुनिश्चित करना राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की जिम्मेदारी है। भारत सरकार नमामि गंगे, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) और अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गंगा और गंगा बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अन्य नदियों में प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'नमामि गंगे' का कार्यान्वयन किया जा रहा है। साथ ही, अन्य नदियों के संबंध में, इन नदियों में प्रदूषण रोकने के लिए राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों के प्रयासों को सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना नामक एक केन्द्र प्रायोजित योजना चलाई जा रही है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के माध्यम से भी सीवरेज और उपचार अवसंरचना के निर्माण के संबंध में राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को सहयोग प्रदान किया जाता है।

एनआरसीपी के अंतर्गत अब तक 8931.49 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत के साथ देश के 17 राज्यों की 57 नदियों को शामिल किया गया है और अन्य बातों के साथ-साथ इसके अंतर्गत 2941 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की सीवेज उपचार क्षमता सृजित की गई है।

नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत, 39604 करोड़ रुपये की लागत के साथ 6255 एमएलडी सीवेज उपचार की 203 परियोजनाओं और 5249 किलोमीटर के सीवर नेटवर्क वाली कुल 484 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें से अब तक 3327 एमएलडी की सीवरेज उपचार क्षमता सृजित की जा चुकी है।

(ग) और (घ) देश में नदी के प्रदूषित हिस्सों के पुनरूद्धार से संबंधित मूल आवेदन संख्या 673/2018 के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के अनुपालन में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ऐसे प्रदूषित नदी क्षेत्रों जिनकी सीपीसीबी द्वारा पहचान की गई हो और वर्ष 2018 की अपनी रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया हो, उनके पुनरूद्धार हेतु अनुमोदित कार्य योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर लागू करना आवश्यक है। एनजीटी के आदेशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर इन कार्ययोजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा की जाती है और साथ ही केंद्रीय स्तर पर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी इसकी समीक्षा की जाती है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1708

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

जेएसजेबी पहल के अंतर्गत वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण

1708. श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत:

श्री राजेश रंजन:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जल संचयन, जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल के अंतर्गत दस लाख वर्षा जल संचयन, संरचनाओं का निर्माण करने की कोई ठोस कार्यनीति है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस पहल के अंतर्गत किसी विशिष्ट क्षेत्र या जल संकटग्रस्त जिलों को प्राथमिकता दी गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भूजल पुनर्भरण और संरक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने में इन वर्षा जल संचयन संरचनाओं की प्रभावशीलता का आकलन करने संबंधी निगरानी और मूल्यांकन तंत्र क्या हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए:सीटीआर) अभियान के एक भाग के रूप में जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल शुरू की गई है जिसमें देशभर में कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। सरकार ने इस पहल के अंतर्गत कम से कम एक मिलियन कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए एक अभिसारी दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत), पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), प्रतिपूरक वनीकरण निधि (सीएएमपीए), वित्त आयोग अनुदान, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) योगदान आदि जैसी योजनाओं से संसाधनों का लाभ उठाना शामिल है। इससे कन्वर्जेंट फंडिंग तालमेल और अधिकतम प्रभाव सुनिश्चित है। जल संचय जन भागीदारी पहल का उद्देश्य पूरे-समाज और सरकार के समग्र दृष्टिकोण का पालन करते हुए सामूहिक प्रयासों के माध्यम से जल की हर बूंद का संरक्षण करना है।

(ख): इस पहल के अंतर्गत किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा जल की कमी वाले जिलों को प्राथमिकता नहीं दी गई है। यह पहल देश भर के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों पर केंद्रित है इसमे दीर्घकालिक

स्थिरता सुनिश्चित करने वाले विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट जल चुनौतियों के अनुरूप लागत प्रभावोत्पादकता और स्थानीय समाधानों को प्रोत्साहित किया गया है।

(ग): सरकार द्वारा जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए सुदृढ़ मानीटरिंग और मूल्यांकन तंत्र कार्यान्वित किए गए हैं। जल संचय डैशबोर्ड बनाया गया है जिसका उपयोग पुनर्भरण संरचनाओं के जियो-टैग किए गए डेटा के साथ उनके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एवं उनकी प्रगति और स्थानों पर नज़र रखने के लिए किया जाता है। निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) से नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। ये अधिकारी, डैशबोर्ड पर डेटा को समय पर और उसका सटीक अद्यतन सुनिश्चित करने के लिए, जिला नोडल अधिकारियों के सहयोग से काम करते हैं। इसके अतिरिक्त, आंकडों की सत्यनिष्ठा और जवाबदेही बनाए रखने के लिए, निर्मित पुनर्भरण संरचनाओं का 1%, सीजीडब्ल्यूबी और सीडब्ल्यूसी नोडल अधिकारियों द्वारा सत्यापन और परीक्षण के अध्यधीन होगा। ये उपाय जेएसजेबी पहल के कार्यान्वयन में पारदर्शी, जवाबदेह और डेटा-संचालित शासन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

भारत के गतिशील भूजल संसाधनों का मूल्यांकन राज्य सरकारों और सीजीडब्ल्यूबी के सहयोगात्मक प्रयास के माध्यम से प्रत्येक वर्ष किया जाता है। गतिशील भूजल संसाधनों के आवधिक आंकलन से, देश की सभी मूल्यांकन इकाइयों में विभिन्न हितधारकों को वार्षिक पुनःपूर्ति, उपयोग और भूजल की समग्र पहुंच से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 602

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

आयड नदी में प्रदूषण

602. डॉ. मन्ना लाल रावत:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयड नदी में प्रदूषित जल और औद्योगिक अपशिष्ट प्रवाहित किए जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप राजस्थान के उदयपुर में स्थित उदय सागर झील प्रदूषित हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ कितनी निधि आवंटित की गई है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ग): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की प्रदूषित नदी खंड (पीआरएस) पर आधारित रिपोर्ट, 2022 के अनुसार 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में 603 नदियों की निगरानी की गई और 279 नदियों पर 311 नदी खंड प्रदूषित पाए गए। हालाँकि, आयड नदी इस रिपोर्ट में शामिल नहीं है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, अनुपचारित/आंशिक रूप से उपचारित/पूर्णतः उपचारित घरेलू सीवेज को आयड नदी में प्रवाहित किया जा रहा है।

20 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी), 25 एमएलडी, 10 एमएलडी और 5 एमएलडी क्षमता वाले चार सामान्य सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (सीएसटीपी) क्रमशः एकलिंगपुरा कलड़वास, उदय सागर रोड, एफसीआई गोदाम के पास और करजाली हाउस में स्थापित किए गए हैं। जिनमें से 20 एमएलडी और 25 एमएलडी क्षमता वाले 2 सीएसटीपी के उपचारित जल का उपयोग राजपुरा दरीबा स्मेल्टर कॉम्प्लेक्स में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल) इकाई द्वारा किया जाता है और 10 एमएलडी और 5 एमएलडी क्षमता वाले अन्य 2 सीएसटीपी के उपचारित जल को आयड नदी में प्रवाहित किया जाता है। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 के अंतर्गत सीवर लाइन बिछाने के कार्य हेतु 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 677

जिसका उत्तर 28 नवम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल की कमी

677. श्री गौरव गोगोई:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दस वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में भू-जल की उपलब्धता का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में पानी की कमी धीरे-धीरे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक मुद्दा बनती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए पानी की कमी के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा पूर्वोत्तर भारत सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ संयुक्त रूप से देश के डॉयनेमिक भूजल संसाधन का मूल्यांकन नियमित आधार पर किया जा रहा है। पिछले दस वर्षों के दौरान किए गए आकलन के आधार पर पूर्वोत्तर राज्यों के वर्ष-वार और राज्य-वार वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन निम्नलिखित हैं:

क्रमांक	राज्य	वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन (बिलियन क्यूबिक मीटर)				
		2023	2022	2020	2017	2013*
1	अरुणाचल प्रदेश	4.16	4.07	2.916	2.67	3.99
2	असम	20.93	21.4	21.966	24.26	28.9
3	मणिपुर	0.466	0.47	0.46	0.39	0.42
4	मेघालय	1.51	1.51	1.82	1.64	2.98
5	मिजोरम	0.2	0.2	0.2	0.19	0.035

6	**नागालैंड**	0.54	0.71	1.95	1.98	1.75
7	**त्रिपुरा**	1.09	1.064	1.245	1.24	2.26
8	**सिक्किम**	0.218	0.244	0.864	1.52	आकलन नहीं किया गया
कुल		**29.114**	**29.668**	**31.421**	**33.89**	**40.335**

*वर्ष 2013 का भूजल संसाधन मूल्यांकन जीईसी-1997 पद्धति के आधार पर किया गया था। तदुपरांत इसे संशोधित कर जीईसी-2015 पद्धति से प्रतिस्थापित पर किया गया जिसका उपयोग वर्ष 2017 से संसाधन मूल्यांकन के लिए किया जा रहा है।

(ख), (ग) और (घ): सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में भूजल संसाधनों के महत्व से अवगत है। तथापि जल राज्य का विषय है, भूजल संसाधनों का सतत विकास और प्रबंधन मुख्यत राज्य सरकार का दायित्व है। केन्द्र सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थित करती है। इस दिशा में, जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:

- केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में 89,596 वर्ग किलोमीटर के समस्त मैपिंग योग्य क्षेत्र सहित देश के समस्त मैपिंग योग्य क्षेत्र में राष्ट्रीय जलभृत मैपिंग (नेक्यूम) परियोजना पूरी कर ली गई है। जलभृत्त मैप और प्रबंधन योजनाएं तैयार कर ली गई हैं और इसे कार्यान्वयन हेतु संबंधित राज्य एजेंसियों के साथ साझा किया गया । इन प्रबंधन योजनाओं में पुनर्भरण संरचनाओं के माध्यम से विभिन्न जल संरक्षण उपाय शामिल हैं।

- सीजीडब्ल्यूबी द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर योजना-2020 तैयार की गई है जो अनुमानित लागत सहित देश की विभिन्न भू-भाग स्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को शामिल करते हुए एक वृहद स्तरीय योजना है। इस मास्टर प्लान में पूर्वोत्तर राज्यों में लगभग 5.4 लाख संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इसके कार्यान्वयन के लिए एक उपयुक्त कार्य योजना तैयार करने का कार्य जारी हैं।

- कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा देश में वर्ष 2015-16 से प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। पीडीएमसी मुख्य रूप से उपलब्ध जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए सटीक/सूक्ष्म सिंचाई और खेत स्तर पर बेहतर जल प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से जल उपयोग दक्षता पर केंद्रित है। पीडीएमसी केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसके अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को 90:10 के अनुपात में वित्त पोषण प्रदान किया जाता है।

- भूमि संसाधन विभाग द्वारा पीएमकेएसवाई योजना (पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी) के वाटरशेड विकास घटक का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसके तहत पहाड़ी क्षेत्रों में झरनों के पुनुरुद्धार को महत्व दिया जाता है।

- जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के विकास के विनियमन के लिए उपयुक्त भूजल कानून के अधिनियमन के उद्देश्य से एक मॉडल बिल उपलब्ध कराया गया है। अब तक पूर्वोत्तर राज्यों असम और नागालैंड सहित 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूजल अधिनियम को अपनाया और कार्यान्वित किया गया है। इस मॉडल बिल में शहरी क्षेत्रों में भवनों की छतों और अन्य खुले क्षेत्रों से उपलब्ध वर्षा जल का भू-जल पुनर्भरण के लिए लाभप्रद रूप से उपयोग करने की परिकल्पना की गई है । शहरी क्षेत्रों में व्यवहार्य वर्षा जल संचयन संरचनाओं में पुनर्भरण पिट, ट्रैंच, मौजूदा नलकूप अथवा खुले कूप आदि शामिल हैं।

- देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है। सीजीडब्ल्यूए द्वारा दिनांक 24.09.2020 के अपने दिशानिर्देशों, जिनकी अखिल भारतीय प्रयोज्यता है, के प्रावधानों के अनुसार एनओसी जारी कर देश में भूजल निष्कर्षण एवं इसके उपयोग का विनियमन किया जाता है।

- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय जल नीति (2012) में अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन एवं जल के संरक्षण, नदियों के संरक्षण, सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से नदी निकायों एवं अवसंरचनाओ की वैज्ञानिक रूप से आयोजना पर बल दिया गया है।

- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मॉडल भवन उपनियम, 2016 जारी किया गया। इस उपनियम में 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक आकार वाले सभी प्रकार के प्लॉटों पर निर्मित भवनों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण की सिफारिश की गई हैं। अब तक, 35 राज्यों द्वारा अपने संबंधित भवन उपनियमों में इन प्रावधानों को शामिल किया गया है।

  उपर्युक्त के अतिरिक्त , भारत सरकार द्वारा देश में भूजल की स्थिति में सुधार के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण पहलें की हैं जो निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है - *https://jalshakti-dowr.gov.in/document/steps-taken-by-the-central-government-to-control-water-depletion-and-promote-rain-water-harvesting-conservation/*

******

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 653

जिसका उत्तर 28 नवम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

प्रदूषित जल के कारण कैंसर

653. श्री जगदम्बिका पाल:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की स्थिति पर ध्यान दिया है, जहां उद्योगों से कृष्णा, काली और हिंडन नदी में अम्लीय और आर्सेनिक युक्त अपशिष्ट जल बहाए जाने के कारण 150 गांवों के लोग कैंसर से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन मुद्दों के समाधान के लिए क्या उचित उपाय किए गए हैं/ किए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): कृष्णी और हिंडन नामक दो नदियाँ, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से होकर बहती हैं, जबकि काली (पश्चिम) नदी बागपत में प्रवेश करने से पहले हिंडन नदी में मिल जाती है।

जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सूचित किया गया है, हिंडन और कृष्णी नदियों के पास आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में किसी भी कैंसर रोगी या गंभीर बीमारी की सूचना नहीं मिली है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की जानकारी के अनुसार, बागपत जिले में कृष्णी नदी में नदी के पानी की गुणवत्ता न्यूट्रल रेंज (पीएच-7.2) में पाई गई और इसमें आर्सेनिक (बीडीएल) नहीं पाया गया। कृष्णा नदी के साथ हिंडन नदी के संगम के बाद, हिंडन नदी के पानी की गुणवत्ता क्रमशः पीएच-7.7 और आर्सेनिक-0.005 मिलीग्राम/लीटर आंकी गई है।

(ग): नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत, हिंडन नदी, काली नदी (पश्चिम) और कृष्णी नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए एनएमसीजी ने बागपत, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर से घरेलू अपशिष्ट जल के 283 एमएलडी एसटीपी उपचार क्षमता निर्माण के लिए 1479.48 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 9 परियोजनाओं (10 एसटीपी) को मंजूरी दी गई है। इन 9 परियोजनाओं में से 2 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण II के अंतर्गत बागपत जिले के गांवों के ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों को शामिल किया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 55 भूजल आधारित पेयजल आपूर्ति योजनाएं स्वीकृत की गईं और पूरी कर ली गई है। इस समय इन 55 योजनाओं द्वारा गांवों में शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है।

इसके अलावा, हिंडन नदी के तट पर स्थित गांवों में समय-समय पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते हैं।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 675

जिसका उत्तर 28 नवम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

बाढ़ और सूखे का प्रबंधन

675. श्री धर्मेन्द्र यादव:

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

श्री अरविंद गणपत सावंत:

श्रीमती भारती पारधी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बाढ़ और सूखे के प्रभावी प्रबंधन के लिए कोई समेकित योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त योजना तैयार करते समय राज्य सरकारों से परामर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकारें विशेषकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) देश में बाढ़ और सूखे का कोई ठोस समाधान न निकाले जाने के क्या कारण हैं;

(च) सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर बाढ़ और सूखे की समस्याओं को रोकने के लिए प्रभावी समाधान ढूंढने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(छ) इस संबंध में अब तक कितनी सफलता मिली है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (छ): बाढ़ प्रबंधन और कटाव-रोधी योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती है। भारत सरकार महत्वपूर्ण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी सहायता सहित प्रोत्साहनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस संबंध में, भारत सरकार द्वारा हाल ही में की गई कुछ मुख्य पहलें नीचे दी गई है।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता के अंतर्गत एक समिति द्वारा मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित राज्य सरकारों के परामर्श से पूरे देश में बाढ़ प्रबंधन कार्यों की रणनीतिगत तैयारी के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। आधुनिक तकनीक के उपयोग के साथ-साथ इसमें संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों की संयुक्त रूप से प्रभावी और चिरस्थायी

रणनीतियां शामिल है, जिससे बाढ़ की समस्याओं को एक बड़ी मात्रा में कम किया जा सकता है। इस समिति ने वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) को विस्तार करने का प्रस्ताव रखा। केंद्र सरकार वर्ष 2021-26 के दौरान 4,100 करोड़ रूपये के परिव्यय से "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)" का कार्यान्वयन कर रही है। कुल 529 एफएमपी योजनाएं अनुमोदित की गई है और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एफएमपी घटक के अंतर्गत अक्टूबर 2024 तक कुल 7136.00 करोड़ रूपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। इनमें से, पूरी की गई 427 योजनाओं से लगभग 5.04 मीलियन हेक्टेयर क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान की गई है और लगभग 53.69 मीलियन लोगों को सुरक्षित किया गया है।

गैर-संरचनात्मक उपायों के लिए, केंद्रीय जल आयोग एक नोडल संगठन है, जिसे देश में बाढ़ पूर्वानूमान और पूर्व बाढ़ चेतावनी प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। 24 घंटे समय के भीतर प्रतिक्रिया हेतु अल्पावधि पूर्वानूमान के अलावा, केंद्रीय जल आयोग द्वारा लोगों के बाचव कार्य और अन्य सुरक्षात्मक उपायों के लिए स्थानीय प्राधिकरणों को और समय प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्वानूमान केंद्रों में 7 दिनों की अग्रिम चेतावनी के लिए रैनफॉल-रनऑफ मेथेमेटिकल मॉडलिंग पर आधारित बेसिन-वार बाढ़ पूर्वानूमान मॉडल भी विकसित किया गया है। इस समय, केंद्रीय जल आयोग द्वारा 340 केंद्रों (200 स्तर पूर्वानूमान और 140 इनफ्लो पूर्वानूमान) पर बाढ़ पूर्वानूमान सूचना जारी की जाती है। इनमें से, मध्यप्रदेश में 12 इनफ्लो पूर्वानूमान केंद्र और 02 स्तर पूर्वानूमान केंद्र हैं, महाराष्ट्र में 14 इनफ्लो पूर्वानूमान केंद्र और 08 स्तर पूर्वानूमान केंद्र है और उत्तर प्रदेश में 05 इनफ्लो पूर्वानूमान केद्र और 39 स्तर पूर्वानूमान केंद्र है।

जल शक्ति मंत्रालय देश में बाढ़ प्रबंधन के गैर-संरचनात्मक उपायों की दृष्टि से फल्ड प्लेन जोनिंग आपनाने की राज्यों की आवश्यकता को लगातार समझाता रहा है। फल्ड प्लेन और इसके जोन का वैज्ञानिक आंकलन करने में राज्यों को समर्थ बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा फल्ड प्लेन जोनिंग पर मसौदा तकनीकी दिशानिर्देश तैयार किए है और वर्ष 2024 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किए गए है।

देश में बाढ़ और सूखे के प्रभावी प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण (एनडब्ल्यूडीए) को नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य सौंपा गया है, जिसमें देश की जल की अधिकता वाले नदी बेसिनों को जल की न्यूनता वाले नदी बेसिनों के साथ जोड़ने का लक्ष्य है, ताकि जल की अधिकता वाले क्षेत्र से अत्यधिक जल को जल की न्यूनता वाले क्षेत्र और उसके उल्ट डायवर्ट किया जा सकें।

प्रभावी सूखा प्रबंधन हेतु किसानों के लाभ के लिए खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए योजनाओं का कार्यान्वित करने और खेतों में जल की वास्तविक पहुंच को बढ़ाने का कार्य संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का विस्तार 93,068.56 करोड़ रूपये के समग्र परिव्यय से वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के अंतर्गत, 62 वृहत और मध्यम परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है। वर्ष 2016-17 से वर्ष 2023-24 के दौरान सृजित सिंचाई क्षमता 26.13 लाख हेक्टेयर है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के अंतर्गत, मध्यप्रदेश की 12 वृहत और मध्यम परियोजनाओं (05 चरणों सहित) का कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि 04 परियोजनाएं चल रही है। मध्यप्रदेश में वर्ष 2016-17 से 2023-24 के दौरान सृजित सिंचाई क्षमता 1.83 लाख हेक्टेयर है। महाराष्ट्र के 16 वृहत और मध्यम परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है, जबकि 10 परियोजनाएं चल रही है। महाराष्ट्र में वर्ष 2017-17 से 2023-24 के दौरान सृजित सिंचाई क्षमता 3.77 लाख हेक्टेयर है। उत्तर प्रदेश के 02 वृहत और मध्यम परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है और 02 परियोजनाएं चल रही है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016-17 से वर्ष 2023-24 के दौरान सृजित सिंचाई क्षमता 7.67 लाख हेक्टेयर है।

वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायतार्थ अप्रैल, 2018 तक 13,651.61 करोड़ रूपये की शेष अनुमानित लागत से महाराष्ट्र की 08 वृहत और मध्यम सिंचाई और 83 सतही सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक विशेष पैकेज की स्वीकृति दी गई है। महाराष्ट्र में 1.66 लाख हेक्टेयर सृजित सिंचाई क्षमता से 02 वृहत और मध्यम सिंचाई और 53 सतही सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है।

कृषि और किसान कल्याण विभाग वर्ष 2015-16 से देश में प्रति बूंद अधिक फसल की केंद्रीकृत योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक पीडीएमसी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक के रूप में कार्यान्वित किया गया था। वर्ष 2022-23 के दौरान, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत पीडीएमसी को कार्यान्वित किया जा रहा है।

केंद्रीय जल आयोग सप्ताहिक आधार पर देश के 155 महत्वपूर्ण जलाशयों की सक्रिय भंडारण स्थिति की निगरानी करता है और प्रत्येक गुरूवार को सप्ताहिक समाचार जारी करता है। इस सप्ताहिक समाचार को संबंधित राज्यों के जल संसाधन विभाग के साथ साझा किया जाता है और केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाता है। इस सप्ताहिक समाचार को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के क्रोप वेदर वॉच ग्रुप के साथ भी साझा किया जाता है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 668

जिसका उत्तर 28 नवम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

नदियों को आपस में जोड़ा जाना

668. श्री वीरेन्द्र सिंह:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बाढ़ के कहर से बचाव के लिए नदियों को आपस में जोड़ने के लिए शुरु की गई योजना में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) सरकार ने नदियों में आई बाढ़ के कारण होने वाले भू-क्षरण के प्रभावित किसानों की भरपाई की कया योजना बनाई है और उक्त भू-क्षरण को रोकने के लिए क्या तंत्र बनाया है;

(ग) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में गंगा नदी के कारण होने वाले भू-क्षरण को रोकने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): भारत सरकार ने नदी बेसिनों के अधिशेष जल को जल की कमी वाले क्षेत्रों में अंतरित करने के लिए वर्ष 1980 में एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की है। इस योजना का लक्ष्य एक ओर प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के कहर को कम करना और दूसरी ओर सूखे के कारण होने वाली कठिनाइयों को कम करना है। एनपीपी के अंतर्गत, नदियों को परस्पर जोड़ने (आईएलआर) की 30 परियोजनाओं की पहचान की गई है जिनमें से 16 परियोजनाएं प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत हैं और शेष हिमालयी घटक के अंतर्गत हैं। नदियों को आपस में जोड़ने की इन 30 परियोजनाओं में से सभी 30 संपर्क परियोजनाओं की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्टें (पीएफआर) पूरी कर ली गई हैं जिसके परिणामस्वरूप उपयुक्त 26 संपर्क परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्टें (एफआर) पूरी हो गई हैं। इसके बाद, पक्षकार राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने और उनके समर्थन और सहयोग से अब तक 11 परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पूरी हो चुकी है। भारत सरकार ने नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। नदियों को परस्पर जोड़ने वाली परियोजनाओं की स्थिति **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(ख) से (घ): जल राज्य का विषय है और बाढ़ प्रबंधन एवं कटावरोधी स्कीमों की आयोजना और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा उनके संसाधनों से उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और संवर्धनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य के चंदौली जिले में गंगा नदी द्वारा मृदा कटाव की जांच के लिए वर्ष 2022-23 में एक (1) कटाव रोधी परियोजना और वर्ष 2023-24 में दो (2) कटावरोधी परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, जबकि वर्ष 2024-25 में चार (4) परियोजनाएं तैयार की गई हैं। इन कटावरोधी परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुलग्नक-।।** में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

"नदियों को आपस में जोड़ने" के संबंध में 28.11.2024 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या 668 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

नदियों को आपस में जोड़ने (आईएलआर) परियोजनाओं की स्थिति

प्रायद्वीपीय घटक

क्र.सं	नाम	लाभान्वित राज्य	स्थिति
1	क. महानदी (मणिभद्र) - गोदावरी (दोलाईस्वरम) लिंक	आंध्र प्रदेश (एपी) और ओडिशा	एफआर पूरी की गई
	ख. वैकल्पिक महानदी (बरमूल) - रुशिकुल्या - गोदावरी (दौलाईस्वरम) लिंक	आंध्र प्रदेश और ओडिशा	एफआर पूरी की गई
2	गोदावरी (पोलावरम) - कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक @	आंध्र प्रदेश	एफआर पूरी की गई
3	क) गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक	तेलंगाना	एफआर पूरी की गई
	ख. वैकल्पिक गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक *	तेलंगाना	डीपीआर पूरी की गई
4	गोदावरी (इंचमपल्ली/एसएसएमपीपी) - कृष्णा (पुलिचिंताला) लिंक	तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश	डीपीआर पूरी की गई
5	क.) कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमसिला) लिंक	आंध्र प्रदेश	एफआर पूरी की गई
	ख) वैकल्पिक कृष्ण (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमशिला) लिंक *	आंध्र प्रदेश	डीपीआर पूरी की गई
6	कृष्णा (श्रीशैलम) - पेन्नार लिंक	आंध्र प्रदेश	मसौदा डीपीआर पूरी की गई
7	कृष्णा (अलमट्टी) - पेन्नार लिंक	आंध्र प्रदेश और कर्नाटक	मसौदा डीपीआर पूरी की गई
8	क) पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी	एफआर पूरी की गई
	ख) वैकल्पिक पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक *	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी	डीपीआर पूरी की गई
9	कावेरी (कट्टलाई) - वैगई - गुंडर लिंक	तमिलनाडु	डीपीआर पूरी की गई
10	क. पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक	मध्य प्रदेश (एमपी) और राजस्थान	एफआर पूरी की गई

	ख. संशोधित पार्बती-कालीसिंध-चंबल लिंक (ईआरसीपी के साथ विधिवत एकीकृत)	मध्य प्रदेश और राजस्थान	मसौदा पीएफआर पूरी की गई
11	दमनगंगा-पिंजाल लिंक	महाराष्ट्र (मुंबई को केवल पानी की आपूर्ति)	डीपीआर पूरी की गई
12	पार-तापी-नर्मदा लिंक	गुजरात और महाराष्ट्र	डीपीआर पूरी की गई
13	केन-बेतवा लिंक	उत्तर प्रदेश (यूपी) और एमपी	डीपीआर पूरी की गई और परियोजना कार्यान्वयनाधीन है
14	पंबा - अचनकोविल - वैप्पार लिंक	तमिलनाडु और केरल	एफआर पूरी की गई
15	बेदती - वरदा लिंक @@	कर्नाटक	डीपीआर पूरी की गई
16	नेत्रवती-हेमवती लिंक **	कर्नाटक	पीएफआर पूरी की गई

* मणिभद्र और इंचमपल्ली बांधों पर लंबित सहमति के कारण, गोदावरी नदी के अप्रयुक्त जल को मोड़ने के लिए वैकल्पिक अध्ययन किया गया था और गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुन सागर)-पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (ग्रेंड एनीकट) संपर्क परियोजना की डीपीआर पूरी कर ली गई थी। गोदावरी-कावेरी संपर्क परियोजना तैयार की गई है जिसमें गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमासिला) और पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (गन्द एनीकट) संपर्क परियोजनाएं शामिल हैं।

** कर्नाटक सरकार द्वारा येतिनहोल परियोजना के कार्यान्वयन के बाद से आगे के अध्ययन नहीं किए गए हैं, क्योंकि इस लिंक के माध्यम से डायवर्जन के लिए नेत्रावती बेसिन में कोई अधिशेष पानी उपलब्ध नहीं है।

@ गोदावरी (पोलावरम) - कृष्णा (विजयवाड़ा) संपर्क - यह परियोजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है।

@@ बेदती - वरदा संपर्क - डीपीआर अपनी पीएफआर तैयार होने के बाद सीधे तैयार की गई थी, कोई एफआर तैयार नहीं की गई थी।

हिमालयी घटक

क्र.सं	लिंक का नाम	देश/राज्यों को लाभ हुआ	ओहदा
1.	कोसी-मेची लिंक	बिहार और नेपाल	पीएफआर पूरी हो गयी है
2.	कोसी-घाघरा लिंक	बिहार, यूपी और नेपाल	पीएफआर पूरी हो गयी है
3.	गंडक-गंगा लिंक	यूपी और नेपाल	पीएफआर पूरी हो गयी है
4.	घाघरा-यमुना लिंक	यूपी और नेपाल	पीएफआर पूरी हो गयी है
5.	सारदा-यमुना लिंक	यूपी और उत्तराखंड	पीएफआर पूरी हो गयी है
6.	यमुना-राजस्थान लिंक	हरियाणा और राजस्थान	पीएफआर पूरी हो गयी है
7.	राजस्थान-साबरमती लिंक	राजस्थान और गुजरात	पीएफआर पूरी हो गयी है
8.	चुनार - सोन बैराज लिंक	बिहार और यूपी	पीएफआर पूरी हो गयी है
9.	सोन बांध - गंगा लिंक की दक्षिणी सहायक नदियाँ	बिहार और झारखंड	पीएफआर पूरी हो गयी है
10.	मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (एम-एस-टी-जी) लिंक	असम, पश्चिम बंगाल (पश्चिम बंगाल) और बिहार	पीएफआर पूरी हो गयी है
11.	जोगीघोपा-तीस्ता-फरक्का लिंक (के लिए वैकल्पिक एम-एस-टी-जी))	असम, पश्चिम बंगाल और बिहार	पीएफआर पूरी हो गयी है (प्रस्ताव छोड़ दिया गया है)
12.	फरक्का-सुंदरबन लिंक	पश्चिम बंगाल	पीएफआर पूरी हो गयी है
13.	गंगा (फरक्का)-दामोदर-सुवर्णरेखा संपर्क	पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड	पीएफआर पूरी हो गयी है
14.	सुवर्णरेखा-महानदी लिंक	पश्चिम बंगाल और ओडिशा	पीएफआर पूरी हो गयी है

अनुलग्नक-II

"नदियों को आपस में जोड़ने" के संबंध में 28.11.2024 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या 668 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में गंगा नदी द्वारा मृदा क्षरण की जांच के लिए परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना
1.	2022-23	01	चंदौली जिला के नियामताबाद ब्लॉक के अंतर्गत गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित ग्राम कुंडकला, कुंडाखुर्द मौजासुल्तानीपुर (शकुराबाद) और कुंडकला पंप नहर के कटाव को रोकने के लिए जियो टेक्सटाइल ट्यूब कटर के निर्माण के लिए परियोजना
2.	2023-24	02	चंदौली जिले की सकलडीहा तहसील के धानापुर ब्लॉक के अंतर्गत गंगा नदी के दाहिने किनारे स्थित गांव महूजी में कटाव रोकने के लिए कटाव रोधी परियोजना
			चंदौली जिले की सकलडीहा तहसील में धानापुर ब्लॉक के अंतर्गत गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित ग्राम गुरानी में कटाव रोधी कार्य
3.	2024-25	04	चंदौली जिले की सकलडीहा तहसील के धानापुर विकासखंड के अंतर्गत गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित ग्राम नरौली में कटाव रोधी परियोजना।
			चंदौली जिले की सकलडीहा तहसील में चहानिया प्रखंड के अंतर्गत गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित पकरी और महुवारी गांवों में कटाव रोकने के लिए कटाव रोधी परियोजना।
			चंदौली जिले की सकलडीहा तहसील में चहनिया ब्लॉक के अंतर्गत गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित गांव टंडाकला में कटाव रोधी परियोजना
			चंदौली जिले के विकासखंड नियामताबाद के अंतर्गत गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित ग्राम कुण्डकला और कुन्दाखुर्द के संरक्षण हेतु अपरदन रोधी परियोजना का कार्य है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 638

जिसका उत्तर 28 नवम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

यमुना नदी के जल का बंटवारा

638. श्री अमरा राम:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यमुना नदी के जल के बंटवारे को लेकर केन्द्रीय जल आयोग/विभाग द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों का तिथि-वार ब्यौरा कया है;

(ख) यमुना नदी के जल का राज्य-वार प्रस्तावित हिस्सा, उनको वास्तव में दिया जा रहा हिस्सा और नहीं दिया जा रहा हिस्सा और संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्हें यमुना नदी के जल का कोई हिस्सा नहीं दिया जा रहा है;

(घ) राजस्थान राज्य को मिलने वाला यमुना नदी के जल का हिस्सा कितना है;

(ङ) राज्य को यमुना नदी के जल का अपना हिस्सा कब तक मिलने की संभावना है तथा इसमें देरी के क्या कारण हैं; और

(च) विगत वर्ष के दौरान जल शक्ति मंत्रालय, राजस्थान और हरियाणा सरकार के जल संसाधन विभागों के बीच किये गए समझौते का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ड.): बेसिन राज्यों नामतः उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा यमुना नदी के ओखला तक सतही प्रवाह के आबंटन के संबंध में दिनांक 12.05.1994 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। उक्त समझौता ज्ञापन को कार्यन्वित करने के लिए, इस समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार, तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के संकल्प संख्या 10 (66)/71-आईटी दिनांक 11 मार्च 1995 द्वारा ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) और ऊपरी यमुना नदी समिति (यूवाईआरसी) का गठन किया गया। वर्ष 2000 में उत्तरांचल राज्य बनने के बाद दिनांक 16.03.2001 की अधिसूचना संख्या 26/3/2000-11 के माध्यम से, बोर्ड में उत्तरांचल (अब उत्तराखंड) को शामिल किए जाने के लिए, संकल्प को संशोधित किया गया।

यूवाईआरबी ने दिनांक 06.07.2012 को आयोजित अपनी 42वीं बैठक में विभिन्न वितरण स्थलों से प्रवाहों के मौसमी वितरण को अनुमोदित कर दिया है। समझौता ज्ञापन के अनुसार, यमुना नदी का वार्षिक उपयोग-योग्य प्रवाह का अंतरिम मौसमी आबंटन नीचे दर्शाया गया है:

राज्य	**यमुना के जल का मौसमी आवंटन(बीसीएम)**			
	जुलाई - अक्टूबर	**नवम्बर - फरवरी**	**मार्च - जून**	**वार्षिक**
हरियाणा	4.107	0.686	0.937	5.730
उत्तर प्रदेश	3.216	0.343	0.473	4.032
राजस्थान	0.963	0.070	0.086	1.119
हिमाचल प्रदेश	0.190	0.108	0.080	0.378
दिल्ली	0.580	0.068	0.076	0.724
कुल	**9.056**	**1.275**	**1.652**	**11.983**

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य यमुना नदी और इसकी सहायक नदियों पर अनेक छोटी संरचनाओं का निर्माण करते हुए यमुना नदी के सतही जल का प्रत्यक्ष रूप से विपथन करते हुए उसका उपयोग किया जा रहा है। अन्य राज्यों नामत: उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए यमुना का पानी हथिनीकुंड, वजीराबाद और ओखला बैराजों से निकाला जाता है। समझौता ज्ञापन के अनुसार, दिल्ली का पेयजल आवंटन पहले पूरा किया जाता है और शेष जल हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच वितरित किया जाता है। ऊपरी यमुना बेसिन में सभी छह बेसिन राज्यों को यमुना नदी से पानी मिल रहा है, हालांकि, अनुपलब्धता या अंतरण प्रणाली की सीमित क्षमता के कारण, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य जल के अपने पूर्ण आवंटित हिस्से का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं।

च): राजस्थान और हरियाणा राज्यों के बीच सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की उपस्थिति में दिनांक 17.02.2024 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार, दोनों राज्य इस बात पर सहमत हुए कि:

(1) परियोजना के चरण-I के अंतर्गत हथिनीकुंड में दिल्ली के हिस्से सहित हरियाणा द्वारा पश्चिमी यमुना नहर की पूर्ण क्षमता (24,000 क्यूसेक) का उपयोग किए जाने के बाद राजस्थान के चुरू, सीकर, झुंझुनू और राजस्थान के अन्य जिलों के लिए पेयजल आपूर्ति और अन्य आवश्यकताओं के लिए जुलाई से अक्टूबर के दौरान 577 एमसीएम तक भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से जल अंतरण के लिए राजस्थान और हरियाणा सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से एक डीपीआर तैयार की जाएगी और उसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

(2) ऊपरी यमुना बेसिन में तीन चिन्हित भंडारणों नामत: रेणुकाजी, लखवाड़ और किसाऊ के निर्माण के पश्चात्, शेष अवधि के दौरान, हथिनीकुंड में राजस्थान के तदनुरूपी हिस्से को पेयजल और सिंचाई प्रयोजन के लिए, इसी प्रणाली के माध्यम से पानी भेजा जाएगा।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 621

जिसका उत्तर 28 नवम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

कर्नाटक में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत सिंचाई संबंधी उपलब्धियां

621. श्री श्रेयस एम. पटेल:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत विशेषकर त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी (एचकेकेपी) के संबंध में वर्तमान में क्या- क्या सिंचाई संबंधी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार पीएमकेएसवाई के अंतर्गत वित्तीय आवंटन बढ़ाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पीएमकेएसवाई के अंतर्गत इसके आरंभ से अब तक कर्नाटक के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत कर्नाटक को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कर्नाटक में उत्पादकता हेतु जल उपयोग दक्षता पर इस योजना के प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार और फसल-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा कर्नाटक में उक्त योजना के अंतर्गत जल प्रबंधन पद्धतियों में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या तंत्र अपनाया गया है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री   श्री वी. सोमण्णा

(क): कर्नाटक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी (एचकेकेपी) के संबंध में सिंचाई उपलब्धियां **अनुलग्नक-I** में दी गई हैं ।

(ख): वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के विस्तार हेतु 93,068.56 करोड़ रुपये के समग्र परिव्यय को मंजूरी दी गई है, जिसमें केंद्रीय सहायता के रूप में 37,454 करोड़ रुपये, नाबार्ड से 20,434.56 करोड़ रुपये की डेट सर्विसिंग और राज्य

सरकारों द्वारा वहन किए जाने वाले राज्य के हिस्से के रूप में 35,180 करोड़ रुपये की राशी शामिल हैं।

(ग) और (घ): पीएमकेएसवाई के प्रारंभ से कर्नाटक के लिए निर्धारित लक्ष्य, प्राप्त उपलब्धियां और कर्नाटक को प्रदान की गई वित्तीय सहायता **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

(ड़): नीति आयोग ने पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी योजना के अपने मूल्यांकन अध्ययन (दिसंबर, 2020) में कर्नाटक में सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने के कारण फसल उत्पादकता में 30% - 80% की वृद्धि और लगभग 50% पानी की बचत का संकेत दिया है।

(च): प्राथमिकता प्राप्त एआईबीपी वित्त पोषित सिंचाई परियोजनाओं में कमान क्षेत्र विकास कार्य के लिए केंद्रीय सहायता के मार्गनिर्देशों के अनुसार, गैर-संरचनात्मक कार्यकलाप के अंतर्गत, गतिविधियों को भागीदारी सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम) को मजबूत करने के लिए निर्देशित किया जाता है जिसमें पंजीकृत जल उपयोगकर्ता संघों (डब्ल्यूयूए) को एक बार कार्यात्मक अनुदान, जल उपयोग दक्षता, उत्पादकता में वृद्धि और भागीदारी माहौल में टिकाऊ सिंचाई के संबंध में प्रशिक्षण, प्रदर्शन और अनुकूलनीय परीक्षणों के अलावा पंजीकृत जल उपयोगकर्ता संघों को एक बार बुनियादी ढांचा अनुदान शामिल है।

*****

अनुलग्नक -I

"कर्नाटक में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत सिंचाई संबंधी उपलब्धियां" के संबंध में दिनांक 28.11.2024 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 621के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	पीएमकेएसवाई घटक	लाभान्वित जिले	सृजित सिंचाई क्षमता (जिलों में) (हेक्टेयर में)	कुल सृजित सिंचाई क्षमता (सभी जिलों में) (हेक्टेयर में)
1	भीमा लिफ्ट सिंचाई योजना	एआईबीपी	कलबुर्गी	24,292.00	24,292.00
2	करंजा सिंचाई परियोजना	एआईबीपी	बीदर	27,266.00	27,266.00
3	ऊपरी तुंगा सिंचाई परियोजना	एआईबीपी	हावेरी	23,690.00	23,690.00
4	नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल सिस्टम (एनएलबीसी) - ईआरएम परियोजना	एआईबीपी	यादगीर	47,883.31	1,05,000.00
			कलबुर्गी	44,176.69	
			विजयपुरा	12,940.00	
5	श्री रामेश्वर लिफ्ट सिंचाई योजना	एआईबीपी	बेलगावी	1,212.00	1,212.00
	एआईबीपी घटक का उप योग				1,81,460.00
6	भीमा लिफ्ट सिंचाई योजना	एचकेकेपी - सीएडीडब्ल्यूएम	कलबुर्गी	12,898.00	12,898.00
7	करंजा सिंचाई परियोजना	एचकेकेपी - सीएडीडब्ल्यूएम	बीदर	3,627.00	3,627.00
8	ऊपरी तुंगा सिंचाई परियोजना	एचकेकेपी - सीएडीडब्ल्यूएम	हावेरी	15,770.18	15,770.18
9	श्री रामेश्वर लिफ्ट सिंचाई योजना	एचकेकेपी - सीएडीडब्ल्यूएम	बेलगावी	10,904.50	10,904.50
	एचकेकेपी - सीएडीडब्ल्यूएम घटक का उप-योग				43,199.68
10	138 एसएमआई परियोजनाओं का क्लस्टर	एचकेकेपी - एसएमआई	कलबुर्गी	4,211.06	6,539.06
			यादगीर	2,328.00	
	एचकेकेपी घटक का उप-योग				49,738.74
11	**एचकेकेपी-जीडब्ल्यू**	एचकेकेपी-जीडब्ल्यू	-	-	एचकेकेपी-जीडब्ल्यू घटक के तहत कोई परियोजना नहीं
	कुल				2,31,198.74

अनुलग्नक -II

"कर्नाटक में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत सिंचाई संबंधी उपलब्धियां" के संबंध में दिनांक 28.11.2024 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 621के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्र. सं.	**पीएमकेएसवाई घटक**	**सिंचाई का लक्ष्य (हेक्टेयर में)**	**उपलब्धियां (हेक्टेयर में)**	**वित्तीय सहायता आवंटन (करोड़ रुपये में)**
1	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)	1,85,208	1,81,460	1,186.63
2	हर खेत को पानी- कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (एचकेकेपी - सीएडीडब्ल्यूएम)	54,811	43,199	78.26
3	हर खेत को पानी - सतही लघु सिंचाई और जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार (एचकेकेपी - एसएमआई और आरआरआर)	14,320	6,539	105
4	भूजल (जीडब्ल्यू) घटक	कर्नाटक में कोई परियोजना नहीं		

क्र. सं.	**पीएमकेएसवाई -प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) घटक**	**लक्ष्य (हेक्टेयर में)**	**उपलब्धियां (हेक्टेयर में)**	**पीएमकेएसवाई के तहत वित्तीय सहायता आवंटन (करोड़ रुपये में)**
1	सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया अतिरिक्त क्षेत्र	-	15,82,407	2,509.15

क्र. सं.	**पीएमकेएसवाई-वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी)**	**लक्ष्य (हेक्टेयर में)**	**उपलब्धियां**	**पीएमकेएसवाई के तहत वित्तीय सहायता आवंटन (करोड़ रुपये में)**
1	वाटरशेड विकास परियोजनाओं का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	-	19,13,000	924.19
2	जल संचयन संरचनाएं	-	27,942	
3	संरक्षित सिंचाई के तहत लाया गया क्षेत्र	-	79,886	
4	लाभान्वित किसाना	-	3,47,000	

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 615

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

नदी द्वारा अपरदन

615. श्री रमाशंकर राजभर:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की नदी द्वारा अपरदन के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार नदी अपरदन से भूमि और गांवो को बचाने के लिए कोई उपाय करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नदियों द्वारा अपरदन को रोकने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): नदी कटाव, गति और उसके तलछट का जमाव नदी का एक प्राकृतिक नियामक कार्य हैं। नदियाँ अपने साथ लाई गई गाद और जमा की गई गाद के बीच संतुलन बनाए रखती हैं, जिससे नदी की व्यवस्था बनी रहती है। भारी बाढ़ के कारण होने वाला नदी कटाव चिंता का विषय है, क्योंकि इससे कई समस्याएं जैसे नदी के मार्ग में परिवर्तन, भूमि की हानि आदि उत्पन्न होती हैं।

बाढ़ प्रबंधन और कटाव रोधी योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तकनीकी मार्गदर्शन और प्रोत्साहनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को पूरा करती है।

ब्रह्मपुत्र, गंगा, शारदा, राप्ती, सुबनसिरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, महानदी महानंदा आदि प्रमुख नदियों का रूपात्मक अध्ययन किया गया है। ये अध्ययन नदियों की प्रकृति को व्यापक रूप से जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आधार वर्ष के संबंध में उनके विभिन्न स्थलों में दशकीय तटरेखा संचालन, कटाव और निक्षेपण का आकलन, पहुंच-वार रूपात्मक सूचकांकों की व्युत्पत्ति और महत्वपूर्ण रीचेज की पहचान प्रदान करते हैं। इन अध्ययनों को संबंधित राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ साझा किया गया है ताकि निर्णय लेने और भविष्य की योजना बनाई जा सके।

(ग) और (घ): विचाराधीन नदियों से गाद निकालने की कोई योजना नहीं है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने तलछट प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार किया है, जिसमें नदी, जलाशयों, झीलों और अन्य जल निकायों में स्थायी तलछट प्रबंधन के लिए सभी हितधारकों के मार्गदर्शन हेतु विभिन्न पहलुओं को रेखांकित किया गया है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 594

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

हरियाणा में एनएमसीजी के अंतर्गत परियोजनाएं

594. श्री धर्मबीर सिंह:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय स्वचछ गंगा मिशन (एनएमसीजी) शोधित जल के पुन: उपयोग, जैव-विविधता संरक्षण और नदियों के प्रदूषित क्षेत्रों के शोधन, विशेषकर हरियाणा के भिवानी-महेंद्रगढ़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में योगदान दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो हरियाणा में भिवानी-महेंद्रगढ़ निर्वाचन क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करते हुए शोधित जल के पुन: उपयोग में वृद्धि करने और जल की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वचछ गंगा मिशन के अंतर्गत कौन सी विशिष्ट परियोजनाएं अथवा पहलें आरंभ की गई है;

(ग) हरियाणा में ऐसे किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है जहां ताजे जल पर निर्भरता कम करने के लिए शोधित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग किया जा सकता है और भिवानी-महेंद्रगढ़ में इन क्षेत्रों में शोधित जल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/ किए जा रहे हैं; और

(घ) हरियाणा में विशेषकर भिवानी-महेंद्रगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वचछ गंगा मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (घ): भारत सरकार, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के अंतर्गत शोधित जल के पुन: उपयोग, जैव विविधता संरक्षण और गंगा बेसिन में नदी के प्रदूषित क्षेत्रों के शोधन को बढ़ावा दे रही है।

एनएमसीजी द्वारा शोधित जल के पुन: उपयोग को बढावा देने और जल गुणवत्ता में सुधार हेतु गंगा बेसिन में निम्नलिखित पहलों की शुरूआत की गई है: -

• शोधित जल के पुन: उपयोग हेतु राज्यों उनकी पुन: उपयोग नीतियां तैयार करने और एक आर्थिक मॉडल स्थापित करने हेतु एनएमसीजी द्वारा शोधित जल के सुरक्षित पुन: उपयोग संबंधी राष्ट्रीय फ्रेमवर्क विकसित किया गया है।

• एनएमसीजी में शहरी नीति निर्माताओं और शहर के अधिकारियों के लिए सुरक्षित रूप से शोधित पानी के पुन: उपयोग संबंधी एक मार्गदर्शिका हैंडबुक भी है, जिसका उद्देश्य ताजे पानी के संसाधनों को संरक्षित करना और सतत जल प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा देना है;

• उल्लेखनीय है कि ट्रांस यमुना एसटीपी से गैर-पेय उद्देश्यों के लिए 8 एमएलडी शोधित जल की आपूर्ति मथुरा रिफाइनरी को की जाती है और प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दिल्ली के दो थर्मल संयंत्र और झारखंड के जोजोबेरा थर्मल पावर प्लांट निकट के एसटीपी के शोधित जल का उपयोग कर रहे हैं।

हरियाणा में, इस संबंध में किए गए विशिष्ट उपायों में यमुनानगर के दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन में शोधित जल के पुनः उपयोग हेतु पारवाला एंव बड़ी मजार एसटीपी और ऋषि नगर, हिसार एसटीपी की पहचान शामिल है।

एनएमसीजी ने पानीपत टेक्सटाइल क्लस्टर के प्रदूषण रोकने और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 19.85 करोड़ रूपये की लागत वाली एक पायलट परियोजना को मंज़ूरी दी है ताकी क्लस्टर के 45 उद्योगों में व्यापार संभावनाओं को इष्टतम किया जा सके। इस पायलट परियोजना का मुख्य और अंतिम उद्देश्य लक्षित टेक्सटाइल क्लस्टर से निकलने वाले अशोधित अपशिष्ट के निर्वहन से बचते हुए यमुना और गंगा नदी की जल गुणवत्ता में सुधार करना है।

नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत, हरियाणा में 145 एमएलडी एसटीपी क्षमता सृजित करने के लिए 217.9 करोड़ रूपये की लागत वाली दो परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है। दोनों परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 217.9 करोड़ रूपये के व्यय के साथ कार्यात्मक हैं।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के अंतर्गत हरियाणा राज्य सरकार द्वारा विकसित कार्य योजनाओं के माध्यम से हरियाणा के प्रदूषित नदी क्षेत्रों में सुधार किया जा रहा है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी राज्य स्तर पर मुख्य सचिव और केंद्रीय स्तर पर जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) द्वारा की जाती है।

******

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 587

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत राजस्थान में परियोजनाएं

587. श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत निधि के कुशल उपयोग और परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत राजस्थान सहित आंवटित निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) नागौर सहित राजस्थान के विभिन्न संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार नागौर सहित विभिन्न संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में उक्त परियोजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नागौर और अन्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में उक्त लक्ष्यों को कब तक बढ़ाए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री **श्री राज भूषण चौधरी**

(क): प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत निधियों के कुशल उपयोग और परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किये जाने को सुनिश्चित करने हेतु, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अंतर्गत केंद्रीय जल आयोग के साथ - साथ इस मंत्रालय के अंतर्गत एक समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) द्वारा परियोजनाओं की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा अनुरक्षित प्रबंधन सूचना प्रणाली के सहयोग से एक समर्पित डैशबोर्ड के माध्यम से इन परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी की जाती है।

उपरोक्त के अलावा, इस मंत्रालय में उच्च स्तर पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी भी की जाती है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सचिव समय-समय पर परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की परियोजना-वार समीक्षा करते हैं और मामलों के शीघ्र निपटान हेतु विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों को अंतिम रूप दिया जाता है।

माननीय जल शक्ति मंत्री, समय-समय पर पीएमकेएसवाई के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित बाधाओं और मुद्दों के बारे में जानकारी भी प्राप्त करते हैं। परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों और बाधाओं को परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) पोर्टल पर चिह्नित किया जाता है और सचिव (समन्वय), कैबिनेट सचिवालय की अध्यक्षता में होने वाली पीएमजी बैठकों में इनका निपटान किया जाता है।

(ख): प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही एक महतवपूर्ण योजना है जिसमें दो प्रमुख घटक अर्थात त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी (एचकेकेपी) शामिल हैं। एचकेकेपी में चार उप-घटक (i) कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी एंड डब्ल्यूएम); (ii) सतही लघु सिंचाई (एसएमआई); (iii) जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार (आरआरआर); और (iv) भूजल (जीडब्ल्यू) विकास शामिल हैं। वर्ष 2016 में, संशोधित एआईबीपी प्रारूप की शुरूआत के साथ, एचकेकेपी के उप घटक (कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी एंड डब्ल्यूएम)) का एआईबीपी के साथ समानांतर कार्यान्वयन किया गया।

इसके अतिरिक्त, दिसंबर 2021 में, भारत सरकार ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि तक पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। हालांकि, पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के अंतर्गत भूजल घटक की मंजूरी केवल 2021-22 के लिए प्रतिबद्ध देनदारियों हेतु अस्थायी रूप से दी गई है, जिसे बाद में कार्यों के पूरा होने तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, प्रति बूंद अधिक फसल घटक, जो पहले पीएमकेएसवाई का एक घटक था, अब इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अलग से किया जा रहा है।

उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को आवंटित निधियों का विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ग): राजस्थान के विभिन्न संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में हुई प्रगति का विवरण **अनुलग्नक-II** पर दिया गया है।

(घ) और (ड): 2021-26 के लिए पीएमकेएसवाई 2.0 के कार्यान्वयन की स्वीकृति के बाद, 1.22 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता वाली राजस्थान की एक प्रमुख सिंचाई परियोजना नामत: पार्वन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को पीमएकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अलावा, राजस्थान की 11,880 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता वाली 37 आरआरआर और 8 आरआरआर परियोजनाएं पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत पीएमकेएसवाई- एचकेकेके- आरआरआर के तहत शामिल की गई हैं। हालांकि, ये परियोजनाएं नागौर जिले को लाभान्वित नहीं करती।

*****

अनुलग्नक-I

"पीएमकेएसवाई के अंतर्गत राजस्थान में परियोजनाएं" के संबंध में दिनांक 28.11.2024 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 587 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

उक्त योजना के तहत राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत आवंटित निधियां।

क. वर्ष 2016-17 से 2023-24 के दौरान पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के अंतर्गत जारी की गई केंद्रीय सहायता

रू. करोड़ में

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम**	**पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी (एसएमआई, आरआरआर, जी डब्ल्यू)**
1	आंध्र प्रदेश	91.81	2.70
2	अरुणाचल प्रदेश	-	578.50
3	असम	49.54	2350.14
4	बिहार	146.06	105.31
5	छत्तीसगढ	78.2	0.00
6	गोवा	3.84	0.00
7	गुजरात	6,252.95	85.98
8	हिमाचल प्रदेश	1,912.21	567.41
9	झारखंड	756.73	0.00
10	कर्नाटक	1,268.30	67.50
11	केरल	2.69	0.00
12	मध्य प्रदेश	1,125.67	0.00
13	महाराष्ट्र	2,873.76	0.00
14	मणिपुर	280.72	316.13
15	मेघालय	-	379.08
16	मिजोरम	-	46.58
17	नगालैंड	-	290.38
18	ओडिशा	1,340.82	104.89
19	पंजाब	1,106.58	0.00
20	राजस्थान	810.42	46.02
21	सिक्किम	-	95.90
22	तमिलनाडु	34.74	125.11

23	त्रिपुरा	-	52.63
24	तेलंगाना	1,017.83	59.68
25	उत्तराखंड	361.64	279.14
26	उत्तर प्रदेश	1,577.82	26.69
27	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	43.28	302.36
28	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	2.98	
29	पश्चिम बंगाल	-	0.00
	कुल	21,138.59	**5882.13**

ख. 2016-17 से 2023-24 तक पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी और पीडीएमसी के अंतर्गत जारी की गई केंद्रीय सहायता

रू. करोड़ में

क्र. सं.	**राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र**	**पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी**	**पीडीएमसी**
1	आंध्र प्रदेश	1512.10	2406.26
2	अरुणाचल प्रदेश	686.15	126.93
3	असम	951.91	164.03
4	बिहार	504.26	110.36
5	छत्तीसगढ	723.15	295.91
6	गोवा	33.575	3.34
7	गुजरात	1779.25	1888.34
8	हरियाणा	167.87	376.02
9	हिमाचल प्रदेश	486.53	114.25
10	झारखंड	506.32	217.69
11	जम्मू एवं कश्मीर	516.61	52.20
12	कर्नाटक	2308.63	2843.67
13	केरल	202.02	34.32
14	मध्य प्रदेश	2388.81	786.97
15	महाराष्ट्र	3267.63	2279.7
16	मणिपुर	298.45	213.20
17	मेघालय	332.30	30.30
18	मिजोरम	407.15	160.45

19	नगालैंड	721.02	284.22
20	ओडिशा	1545.15	337.46
21	पंजाब	108.92	19.93
22	राजस्थान	4099.91	1083.84
23	सिक्किम	74.61	279.87
24	तमिलनाडु	1105.38	2381.51
25	तेलंगाना	904.98	601.22
26	त्रिपुरा	303.34	58.77
27	उत्तराखंड	308.06	277.62
28	उत्तर प्रदेश	1156.88	917.02
29	पश्चिम बंगाल	481.38	201.9
30	अंडमान और निकोबार	-	0.61
31	पुदुचेरी	-	0.1
32	लद्दाख	67.01	3.4
	एचक्यू	-	239.41
	कुल	**27,949.36**	**18,791.82**

*****

अनुलग्नक-II

"पीएमकेएसवाई के अंतर्गत राजस्थान में परियोजनाएं" के संबंध में दिनांक 28.11.2024 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 587 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

नागौर सहित राजस्थान के विभिन्न संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में की गई प्रगति

क्र.सं.	**पीएमकेएसवाई के घटक**	**हजार हेक्टेयर में**
1	एआईबीपी के तहत निर्मित सिंचाई क्षमता	315.57
2	सीएडीीएंडडब्ल्यूएम के अंतर्गत शामिल कृषि योग्य कमांड क्षेत्र	82.47
3	एचकेकेपी-एएएमआई के तहत निर्मित सिंचाई क्षमता	0.45
4	एचकेकेपी-आरआरआर के तहत निर्मित सिंचाई क्षमता	15.57
5	सुक्ष्म सिंचाई (पीडीएमसी) के तहत कवर किया गया क्षेत्र	543.28
6	सुरक्षात्मक सिंचाई के तहत करवर क्षेत्र (हजार हेक्टेयर में) (डब्ल्यूडीसी)	13.274

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 586

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

उत्तर प्रदेश में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत परियोजनाएं

586. डॉ. राजकुमार सांगवान:

सुश्री इकरा चौधरी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में वर्तमान में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत कोई परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त परियोजनाओं में हुई वास्तविक और वित्तीय प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में कोई नई परियोजनाएं शुरू करने का है;

(घ) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में गन्ने जैसी जल प्रधान फसलों की खेती के लिए किसानों को सहायता प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जलाशयों के पुनरुद्धार का कार्य पूरा/प्रस्तावित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): उत्तर प्रदेश में पीएमकेएसवाई के विभिन्न घटकों के तहत इस समय कार्यान्वित की जा रही परियोजनाएं और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में प्रदान की गई केंद्रीय सहायता के संदर्भ में सृजित सिंचाई क्षमता और वित्तीय प्रगति के संदर्भ में उनकी वास्तविक प्रगति निम्नानुसार है: -

क्र.सं.	पीएमकेएसवाई का घटक	पिछले तीन वर्षों में अर्थात् अप्रैल, 2021 से भौतिक और वित्तीय प्रगति
1.	पीएमकेएसवाई-एआईबीपी	सरयू नहर नामक एक परियोजना पूरी हो गई है और अर्जुन सहायक परियोजना और मध्य गंगा नहर चरण- II परियोजना नामक दो परियोजनाएं चल रही हैं, जिसके लिए 23.91 करोड़ रुपये की केंद्रीय

		सहायता जारी की गई है और 23.06 हजार हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।
2.	पीएमकेएसवाई-जीडब्ल्यू	2,736 कुएं बनाए गए और 21.70 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को भूजल सिंचाई के तहत लाया गया। 10 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है।
3.	पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी	उत्तर प्रदेश के लिए 2.64 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए 56 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। 135.30 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।
4.	पीडीएमसी	सूक्ष्म सिंचाई के तहत 432.74 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और 1.61 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।

(ग) और (घ): पीएमकेएसवाई के विभिन्न घटकों के दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली परियोजनाओं और निधियों की उपलब्धता के अधीन राज्य सरकारों के अनुरोध पर पीएमकेएसवाई के विभिन्न घटकों के तहत शामिल करने के लिए नई परियोजनाओं पर विचार किया जा सकता है।

(ङ) कैराना निर्वाचन क्षेत्र की किसी भी परियोजना को जल निकायों की पीएमकेएसवाई-आरआरआर के तहत शामिल नहीं किया गया है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 584

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण

584. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) के गठन के समय से इसके द्वारा आयोजित बैठकों और लिए गए निर्णयों से संबंधित आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि एक राज्य में स्थित और दूसरे राज्य द्वारा संचालित बांधों का एनडीएसए द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या एनडीएसए ने देश भर में सौ वर्षों से पूर्व बांधों की कोई व्यापक सुरक्षा लेखा परीक्षा की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के प्रावधानों के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने देश में विशिष्ट बांधों के उचित सर्वेक्षण, जांच और रखरखाव के लिए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) द्वारा विकसीत नीति, दिशानिर्देशों और मानकों को कार्यान्वित करने के लिए बांध सुरक्षा गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए एक राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) का गठन किया है। इस प्राधिकरण ने अब तक बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के अंतर्गत इसके निर्दिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए राज्यों के साथ अनेक वार्ता और बैठकें की है। इस संबंध में एनडीएसए द्वारा निम्नलिखित मुख्य निर्णय लिए गए हैं:-

i. बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित जागरूकता/संवेदीकरण के लिए विभिन्न राष्ट्रीय कार्यशालाएं/ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए है।

ii. बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 और मॉनसून बाढ़ प्रबंधन के लिए राज्यों की तैयारी के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए सभी राज्य बांध सुरक्षा संगठन के साथ नियमित रूप से क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें की जाती है। अब तक, ऐसी 11 क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें आयोजित की गई है।

iii. बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा 54 (1) की अनुपालना के अनुसार, एनडीएसए को 19 बांध सुरक्षा विनियमन तैयार करने है। एनसीडीएस द्वारा ये सभी 19 विनियमन तैयार और अनुमोदित कर दिए गए है। इन 19 विनियमन में से 17 विनियमन भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिए गए है।

iv. एनडीएसए, डैम हेल्थ रिहेबलिटेशन और मॉनिटरिंग ऐपलिकेशन (धरमा) पोर्टल में सभी विशिष्ट बांधों के लिए एक राष्ट्रव्यापी डेटाबेस का रखरखाव करता है। सभी राज्य बांध सुरक्षा संगठनों को पोर्टल में उनकी संबंधित बांधों की सभी संबंधित आंकड़े भरने के लिए निर्देशित किया गया है। फिर भी, उन्हें धर्मा पोर्टल पर सभी प्री-मॉनसून, पोस्ट-मॉनसून और विशेष जांच (यदि कोई) की रिपोर्ट भी अपलोड करने का निर्देश दिया गया है।

v. एनडीएसए द्वारा ग्लेशियियल लेक आउटब्रस्ट फल्ड (जीएलओएफ) और पूर्व चेतावनी प्रणाली द्वारा संभावित रूप से प्रभावित होने वाले बांधों के मामले में किए गए उपायों के लिए राज्यों/ अन्य बांध मालिक एजेंसियों के साथ अनेक बैठकें भी आयोजित की गई है।

vi. एनडीएसए, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति और इसके उप-समितियों को लिपिकीय सहायता भी प्रदान कर रही है। अब तक, एनसीडीएस की 9 बैठकें आयोजित की गई है।

vii. देश में एनडीएसए द्वारा सभी विशिष्ट बांधों के तीव्र जोखिम आंकलन से संबंधित अधय्यन भी शूरू किया गया है। इस उद्देश्य के लिए रेपिड रिस्क स्क्रिनिंग टूल विकसीत किया गया है। राज्य के अधिकारियों/ अन्य बांध मालिक एजेंसियों के लिए एनडीएसए द्वारा अनेक प्रशिक्षण/ कार्यशालाएं आयोजित की गई है।

viii. बांध पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए "आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम)" के अंतर्गत सामुदायिक भागदारी के साथ देश के 25 आईकोनिक बांध स्थलों पर आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(ग) और (घ): उन बांधों के लिए, जो एक राज्य में है और दूसरे राज्यों द्वारा संचालित किए जाते हैं, के लिए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य बांध सुरक्षा संगठन के रूप में कार्य कर रहा है। तद्नुसार, इस अधिनियम के अनुसार विभिन्न प्रावधानों और अन्य अधिदेशित कार्यों की अनुपालना करने के लिए ऐसे बांध मालिको को प्राधिकरण द्वारा आवश्यक दिशानिर्देश दिए जा रहें हैं। इसलिए, प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार के बांधों को नियंत्रित करने का प्रश्न नहीं है।

बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी, सहित, उनके संचालन और रखरखाव का कार्य मुख्य रूप से बांध मालिकों का है**,** जो मुख्य रूप से राज्य सरकार और केंद्र/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई होती है। बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021, किसी भी तरह से राज्यों की शक्तियों का हनन नहीं करता है और इसमें राज्य सरकार द्वारा बांधों के स्वामित्व, जल हिस्सेदारी समझौता या संचालन और रखरखाव को बदलने के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं है।

(ङ) और (च): बांध सुरक्षा अधिनियम, 201 की धारा 38 के अनुसार, बांधों की विस्तृत सुरक्षा लेखा परीक्षा को पूरा करने की जिम्मेवारी बांध मालिकों की है। इसलिए, एनडीएसए द्वारा देश में किसी भी बांध का विस्तृत सुरक्षा लेखा परीक्षा आयोजित नहीं की गई है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 575

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

कर्नाटक में जल परियोजनाएं

575. श्री बसवराज बोम्मई:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में मेकेदातु पेयजल परियोजना और ऊपरी भद्रा परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार को चित्रदुर्ग, कर्नाटक में ऊपरी भद्रा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु निधि जारी करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजना के संबंध में कर्नाटक राज्य सरकार के साथ कोई बैठक अथवा परामर्श किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऊपरी भद्रा परियोजना के शीध्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमण्णाः

(क): केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा दिनांक 24.10.2018 को मेकेदातु संतुलन जलाशय एवं पेयजल परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) को कतिपय शर्तों के साथ कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) द्वारा डीपीआर की स्वीकृति के अधीन एक 'सैद्धांतिक' मंजूरी प्रदान की गई थी। कर्नाटक सरकार द्वारा जनवरी 2019 में प्रस्तुत मेकेदातु संतुलन जलाशय सह पेयजल परियोजना की डीपीआर को सीडब्ल्यूसी द्वारा सीडब्ल्यूएमए को भेजा गया था। सीडब्ल्यूएमए की दिनांक 01.02.2024 को आयोजित 28वीं बैठक में, सीडब्ल्यूएमए के अधिकांश सदस्यों के विचारों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण ने उक्त परियोजना को केंद्रीय जल आयोग को भेज दिया गया है।

ऊपरी भद्रा परियोजना को कर्नाटक सरकार के उपक्रम विश्वेश्वरैया जल निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) योजना के तहत ऊपरी भद्रा परियोजना को शामिल किए जाने हेतु कर्नाटक सरकार से दिनांक 28.10.2024 को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग): मेकेदातु संतुलन जलाशय सह पेयजल परियोजना पर दिनांक 01.02.2024 को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) की 28वीं बैठक में विचार-विमर्श किया गया है।

(घ): कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा ऊपरी भद्रा परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 574

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

गंगा की सफाई के लिए राष्ट्रीय मिशन

574. श्री विष्णु दयाल राम:

श्री दिनेशभाई मकवाणा:

श्री मनोज तिवारी:

श्री बिभु प्रसाद तराई:

श्रीमती कमलजीत सहरावत:

श्री बलभद्र माझी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय गंगा सफाई मिशन (एनएमसीजी) शोधित जल के पुन: उपयोग, जैव-विविधता संरक्षण और दिल्ली में नदियों विशेषकर यमुना के प्रदूषित क्षेत्रों के उपचारण में योगदान दे रहा है;

(ख) ताजे जल पर निर्भरता को कम करने के लिए किन-किन क्षेत्रों में शोधित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग किया जा सकता है जिससे सतत जल प्रबंधन को बढ़ावा मिल सके;

(ग) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत किन-किन विशिष्ट परियोजनाओं का वित्तपोषण किया गया है; और

(घ) निधियों के कुशल उपयोग और पीएमकेएसवाई के अंतर्गत परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): जी हां, महोदय।

(ख): भारत सरकार ताजे पानी पर निर्भरता कम करने के लिए पीने के अलावा विभिन्न गैर-पेय प्रयोजनों, विशेषकर औद्योगिक उपयोग, रेलवे, ताप विद्युत संयंत्रों, नगरपालिका उपयोगों, सिंचाई उपयोगों आदि के लिए उपचारित जल के पुनः उपयोग को बढ़ावा दे रही है।

एनएमसीजी द्वारा उपचारित जल के सुरक्षित पुनः उपयोग के लिए एक राष्ट्रीय रूपरेखा विकसित की गई है, ताकि राज्यों को उनकी पुनः उपयोग नीतियों के निर्माण में मार्गदर्शन दिया जा सके तथा उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए आर्थिक मॉडल स्थापित किए जा सकें।

(ग): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) अपनी अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत कई परियोजनाओं को वित्तपोषित करती है। इसमें जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित दो प्रमुख घटक शामिल हैं:

1. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी):

• 2016-17 के दौरान पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत 19 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में चल रही 99 (99) प्रमुख/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (एमएमआई) (और 7 चरणों) की पहचान की गई।

• 2021-26 के लिए पीएमकेएसवाई को जारी रखने की मंजूरी के बाद, एआईबीपी के तहत 9 और परियोजनाएं जोड़ी गईं।

2. हर खेत को पानी (एचकेकेपी): एचकेकेपी के निम्नलिखित उप-घटक हैं**:**

• **कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी और डब्ल्यूएम):** 88 परियोजनाओं में एआईबीपी के साथ मिलकर कार्यान्वित किया गया,

• **सतही लघु सिंचाई (एसएमआई):** छोटी सिंचाई परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

• **जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली (आरआरआर):** जल भंडारण में सुधार लाने के उद्देश्य से।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत सीएडीडब्ल्यूएम कार्यों के समरूप कार्यान्वयन सहित परियोजनाओं का विवरण **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

(घ): पीएमकेएसवाई के तहत निधियों के कुशल उपयोग और परियोजनाओं के सफल समापन को सुनिश्चित करने के लिए, परियोजनाओं की नियमित निगरानी डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर के तहत केंद्रीय जल आयोग द्वारा की जाती है, साथ ही इस मंत्रालय के तहत एक समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) द्वारा भी की जाती है। इन परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर द्वारा बनाए गए प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा समर्थित एक समर्पित डैशबोर्ड के माध्यम से भी की जाती है।

उपरोक्त के अलावा, इस मंत्रालय में उच्चतम स्तर पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी भी की जाती है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के सचिव परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की परियोजना-वार आवधिक समीक्षा करते हैं और मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों को अंतिम रूप दिया जाता है। परियोजनाओं के तहत मुद्दों और बाधाओं को परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) पोर्टल पर भी चिह्नित किया जाता है और सचिव (समन्वय), मंत्रिमंडल सचिवालय के अंतर्गत पीएमजी बैठकों में उनका समाधान किया जाता है।

*****

अनुलग्नक-I

"गंगा की सफाई के लिए राष्ट्रीय मिशन" के संबंध में दिनांक 28.11.2024 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 574 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

<u>पीएमकेएसवाई-एआईबीपी परियोजनाओं की सूची</u>

राज्य	क्रमांक	परियोजना का नाम
आंध्र प्रदेश	1	गुंडलकम्मा परियोजना
	2	ताड़ीपुडी एलआईएस
	3	थोटापल्ली परियोजना
	4	मुसुरुमिलि परियोजना
	5	पुष्कर एलआईएस
	6	येराकाल्वा परियोजना
	7	तारकरं तीर्थं सागरम्
असम	8	बोरोलिया परियोजना
बिहार	9	दुर्गावती परियोजना
	10	पुनपुन परियोजना
छत्तीसगढ़	11	केलो परियोजना
गुजरात	12	सरदार सरोवर परियोजना
झारखंड	13	सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना
कर्नाटक	14	ऊपरी तुंग सिंचाई परियोजना
केरल	15	मुवत्तुपुझा परियोजना
	16	करापुझा परियोजना
मध्य प्रदेश	17	बरगी डायवर्सन परियोजना चरण-II (63 किमी. से 104किमी.)
	18	पेंच परियोजना
	19	बरगी डायवर्सन परियोजना चरण-III (104 किमी. से 154 किमी.)
	20	बरगी डायवर्सन परियोजना चरण-IV (154 किमी. से 197 किमी.)
महाराष्ट्र	21	वाघुर परियोजना
	22	लोअर वर्धा परियोजना
	23	बेम्बला परियोजना
	24	मोरना (गुरेघर) परियोजना
	25	लोअर पेढ़ी परियोजना
	26	नारदवे (महामदवाडी) परियोजना
	27	कुदाली परियोजना
	28	अपर पेन गंगा परियोजना
	29	गोसीखुर्द परियोजना
	30	अरुणा परियोजना

मणिपुर	31	थौबल परियोजना
ओडिशा	32	सुवर्णरेखा परियोजना
	33	आनंदपुर बैराज. चरण.-I/एकीकृत आनंदपुर बैराज.
	34	कनुपुर परियोजना
तेलंगाना	35	पालेमवागु परियोजना
	36	पेद्दावागु @ नीलवई परियोजना
	37	एसआरएसपी स्ट्रीट II परियोजना
	38	राजीव भीम एल.आई. योजना
	39	पेद्दावागु@जगन्नाथपुर
	40	इन्दिरम्मा बाढ़ प्रवाह नहर
	41	जे. चोखा राव एलआईएस परियोजना
उत्तर प्रदेश	42	अर्जुन सहायक परियोजना
	43	मध्य गंगा नहर चरण-II
संघ राज्य क्षेत्र- लद्दाख	44	प्राकाचिक खोस नहर परियोजना
आंध्र प्रदेश	45	मद्दीगेड्डा परियोजना
असम	46	चंपामती परियोजना
	47	धनसिरी परियोजना
छत्तीसगढ	48	मनियारी टैंक परियोजना
	49	खारुंग परियोजना
गोवा	50	तिलारी परियोजना
कर्नाटक	51	श्री रामेश्वर सिंचाई परियोजना
	52	भीम एलआईएस
	53	करंजा परियोजना
	54	एनएलबीसी सिस्टम प्रोजेक्ट (नया)
मध्य प्रदेश	55	सिंहपुर परियोजना
	56	महुअर परियोजना
	57	सगाड परियोजना
	58	सिंध परियोजना चरण II
	59	इंदिरा सागर परियोजना नहर चरण - I और II (0 किमी. से 142 किमी.)
	60	ओंकारेश्वर परियोजना नहर चरण-IV (ओएसपी लिफ्ट)
	61	इंदिरा सागर परियोजना नहर चरण - V (खरगोन लिफ्ट)
	62	बाणसागर इकाई 2
	63	बरियारपुर एलबीसी
	64	संजय सागर (बाह) परियोजना
	65	बरगी डायवर्सन परियोजना चरण - I (16 किमी से 63 किमी)
	66	माही परियोजना
	67	महान परियोजना

	68	ओंकारेश्वर परियोजना नहर चरण-II (आरबीसी 9.70 किमी. से 65.50 किमी.)
	69	ओंकारेश्वर परियोजना नहर चरण-III (आरबीसी 65.50 किमी.) से 142 किमी तक)
	70	इंदिरा सागर परियोजना नहर चरण - III (143 किमी. से 206 किमी.)
	71	इंदिरा सागर परियोजना नहर चरण-IV (206 किमी.से 243 किमी.)
महाराष्ट्र	72	बावनथडी (आईएस)
	73	लोअर पंजारा परियोजना
	74	डोंगरगांव परियोजना
	75	वार्ना परियोजना
	76	नंदूर मध्मेश्वर चरण-II
	77	ऊपरी कुंडलिका परियोजना
	78	लोअर दुधना परियोजना
	79	खड़कपूर्णा परियोजना
	80	धोम बालाकवाड़ी परियोजना
	81	वांग परियोजना
	82	कृष्णा कोयाना लिफ्ट सिंचाई परियोजना
	83	गदनदी परियोजना
	84	तिलारी परियोजना
	85	तारालीं परियोजना
	86	अर्जुन परियोजना
	87	सांगोला शाखा नहर
मणिपुर	88	दोलैथाबी बैराज
ओडिशा	89	अपर इंद्रावती परियोजना
	90	रुकुरा परियोजना
	91	आरईटी सिंचाई
	92	तेलेंगिरी परियोजना
	93	लोअर इंद्र परियोजना
पंजाब	94	कंडी नहर विस्तार (चरण.II)
	95	प्रथम पटियाला फीडर और कोटला शाखा परियोजना का पुनर्वास
राजस्थान	96	नर्मदा नहर परियोजना
	97	गंग नहर परियोजना का आधुनिकीकरण
तेलंगाना	98	गोलवगु परियोजना
	99	रैलिवागु परियोजना
	100	मथादिवागु परियोजना
	101	श्रीकोमरम भीम परियोजना
उत्तर प्रदेश	102	बाणसागर नहर परियोजना
	103	सरयू नहर परियोजना
संघ राज्य क्षेत्र- जम्मू और कश्मीर	104	राजपोरा लिफ्ट परियोजना
	105	मुख्य रावी नहर की पुनर्स्थापना एवं रूपांतरण.
	106	त्राल लिफ्ट परियोजना

पीएमकेएसवाई 2.0 के अंतर्गत शामिल नई पीएमकेएसवाई एआईबीपी परियोजनाओं की सूची		
असम	1.	सुक्ला सिंचाई परियोजना की ई.आर.एम
हिमाचल प्रदेश	2.	नादौन परियोजना
	3.	फीना सिंह बहुउद्देशीय परियोजना
महाराष्ट्र	4.	जिहे कथापुर परियोजना
	5.	बोडवाड परिसर सिंचन योजना चरण-I
मणिपुर	6.	लोकतक लिफ्ट सिंचाई योजना की ईआरएम
राजस्थान	7.	परवन बहुउद्देशीय परियोजना
तमिलनाडु	8.	कन्न्डियन चैनल परियोजना
उत्तराखंड	9.	जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना

******

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 553

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

थामिराबरनी नदी में प्रदूषण की स्थिति

553. श्री रॉबर्ट ब्रूस सी.:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तिरुनेलवेली में थामिराबरनी नदी में प्रदूषण की स्थिति की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास थामिराबरनी नदी की सफाई और पुनरुद्धार के लिए कोई प्रस्ताव या योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार के पास देश की सभी प्रमुख नदियों के पुनरुद्धार और सफाई की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नवम्बर, 2022 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, थामिराबारानी नदी में पप्पनकुलम से अरुमुगनेरी तक के क्षेत्र को 75 मिलीग्राम प्रति लीटर जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) स्तर के साथ प्राथमिकता-IV के प्रदूषित नदी खंड के रूप में चिन्हित किया है।

(ख) और (ग): यह राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की जिम्मेदारी है कि वे नदियों और अन्य जल निकायों में पानी छोड़े जाने से पहले निर्धारित मानदंडों के अनुसार, सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों का अपेक्षित उपचार सुनिश्चित करें। भारत सरकार नमामि गंगे, राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, मंत्रालय द्वारा वर्ष 2001 से 2007 के बीच तिरुनेलवली तमिलनाडु में थामिराबरानी नदी के प्रदूषण उपशमन कार्य के लिए परियोजनाएं स्वीकृत की थीं और उन्हें कार्य निष्पादित करवाया गया था। इस समय, मंत्रालय में कोई परियोजना विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ): जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण उपशमन कार्य के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम "नमामि गंगे" चलाई जा रही है। जबकि देश में गंगा के अलावा, अन्य नदियों के प्रदूषण उपशमन कार्य के लिए राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों के प्रयासों में सहायता करने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम ''राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना'' चलाई जा रही है। इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), सीवरेज और उपचार सुविधाओं के निर्माण में राज्यों और स्थानीय शहरी निकायों की सहायता की जाती है जो नदियों के प्रदूषण निवारण कार्य में भी योगदान प्रदान करता है।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम में अब तक 8931.49 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत से देश के 17 राज्यों में फैली 57 नदियों को शामिल किया गया है और अन्य बातों के साथ-साथ 2941 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की सीवेज शोधन क्षमता सृजित की गई है।

नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत, 39,604 करोड़ रुपये की लागत से 6,255 एमएलडी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए 203 परियोजनाओं और 5,249 किलोमीटर के सीवर नेटवर्क सहित कुल 484 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 551

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

झांसी जिले में घटता भूजल स्तर

551. श्री अनुराग शर्मा:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झांसी जिले सहित बुंदेलखंड क्षेत्र में घटते भूजल के कारण उत्पन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में अटल भूजल योजना के अंतर्गत सामुदायिक सहभागिता रणनीतियों, संरक्षण प्रयासों और निगरानी तंत्र सहित सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त क्षेत्र में भूजल स्तर और जल प्रबंधन प्रथाओं के संबंध में उठाए गए उपायों का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) बुंदेलखंड के विशेष संदर्भ में उत्तर प्रदेश में उक्त योजना के अंतर्गत बजट आंवटन और उपयोग का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): उत्तर प्रदेश के झाँसी जिले में अटल भूजल योजना के अंतर्गत निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:
i. झांसी जिले में, अटल भूजल योजना मऊरानीपुर (16 ग्राम पंचायत) और बबीना ब्लॉक (15 ग्राम पंचायत) की **31 जल-संकटग्रस्त ग्राम पंचायतों (जीपी)** में कार्यान्वित की जा रही है।

ii. भूजल परिदृश्य की निगरानी के लिए, अटल भूजल योजना के अतंर्गत उपरोक्त सभी चयनित 31 ग्राम पंचायतों में डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर **(डीडब्ल्यूएलआर)** से लैस एक पीज़ोमीटर स्थापित किया गया है।

iii. उपरोक्त 31 ग्राम पंचायतों में भूजल संरक्षण और सतत प्रबंधन के बारे में नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं। प्रशिक्षणों में भूजल के मांग पक्ष प्रबंधन के माध्यम से जल संरक्षण और जल बचत के बारे में आवश्यक जानकारी भी दी जाती है, जिसे सामुदायिक स्तर पर किया जा सकता है। पिछले चार वर्षों में, अटल भूजल योजना ने झांसी में 369 ग्राम पंचायत स्तर के प्रशिक्षण, 13 ब्लॉक स्तर के प्रशिक्षण और 4 जिला स्तर के प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं। विविध उद्देश्यों के साथ सभी हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिए अटल भूजल योजना के तहत प्रशिक्षण आयोजित करना एक सतत गतिविधि है।

iv.इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023 और 2024 के दौरान, पूरे क्षेत्र में जल संरक्षण पहलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए अटल जल शक्ति यात्रा और जल कोष यात्रा का

आयोजन किया गया। विभिन्न अन्य आईईसी गतिविधियों के अलावा वर्ष 2022 में सभी अटल जल ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण के लिए ऑडियो और विजुअल संदेशों को दर्शाते हुए एक डिजिटल भूजल रथ अभियान का भी आयोजन किया गया।

v.अटल भूजल योजना के तहत सभी 31 ग्राम पंचायतों में कुल 1,688 हेक्टेयर भूमि (मार्च 2024 तक) को सूक्ष्म सिंचाई, भूमिगत पाइपलाइन स्थापना, मल्चिंग और फसल विविधीकरण सहित कुशल जल उपयोग प्रथाओं के अंतर्गत लाया गया है।

vi. विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से झांसी जिले की अटल भूजल योजना की ग्राम पंचायतों में 9.48 करोड़ रुपये (मार्च 2024 तक) की राशि से जल संरक्षण कार्य, जिसमें नए तालाबों का निर्माण, पुराने तालाबों का पुनरुद्धार, चेक-डैम, गली प्लग, छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाएं, खेत तालाब, सोखने वाले गड्ढे, ब्लास्ट कुएं, समोच्च खाइयां, नाला विकास, सूक्ष्म सिंचाई आदि शामिल हैं, पूरी की गई।

(ख): पिछले पांच वर्षों में भूजल स्तर की देखी गई प्रवृत्ति के अनुसार, अटल भूजल योजना के तहत भागीदारी जल प्रबंधन के लिए किए गए उपायों सहित विभिन्न कारकों के परिणामस्वरूप, जिला झांसी में भूजल स्तर में क्रमिक सुधार हुआ है।

(ग) : अटल भूजल योजना के दो घटक हैं, अर्थात (i) संस्थागत सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण (आईएसएंडसीबी) घटक, जिसका उद्देश्य भाग लेने वाले राज्यों में भूजल शासन तंत्र को मजबूत करना है, और (ii) प्रोत्साहन घटक, जिसका उद्देश्य भूजल संसाधनों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न उपायों के लिए राज्यों को पुरस्कृत/प्रोत्साहित करना है। उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अटल भूजल योजना के अंतर्गत अब तक (21.11.2024 तक) अनुमानित आवंटन, जारी की गई राशि और व्यय निम्नानुसार है:

(सभी आंकड़े करोड़ रुपये में)

योजना के दौरान कुल अनुमानित आवंटन			**अब तक जारी की गई राशि**			**अब तक का व्यय**		
आईएस&सीबी	**प्रोत्साहन**	**कुल**	**आईएस&सीबी**	**प्रोत्साहन**	**कुल**	**आईएस&सीबी**	**प्रोत्साहन**	**कुल**
119.28	609.96	729.24	47.59	150.94	198.53	47.56	109.16	156.72

बुंदेलखंड क्षेत्र (अर्थात 6 जिले अर्थात झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और महोबा) के लिए अटल भूजल योजना के तहत 98.92 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि आवंटित की गई है और अब तक 69.98 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 550

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

नालों के पानी को नदियों में बहाना

550. श्री सतपाल ब्रह्मचारीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत में कुल कितनी नदियां हैं तथा उन नदियों के नाम क्या हैं जिनमें नगरपालिका क्षेत्रों से अशोधित नालों का पानी बहाया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि नालों के पानी के शोधन के बाद भी यमुना प्रदूषित हो जाती है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के मानक के अनुसार काम न करने के कारण यमुना नदी का पानी साफ नहीं हो पा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) ऐसी एसटीपी संचालित करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/की जाने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वर्ष 2022 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, देश की कुल 603 नदियों की निगरानी की गई, और यह पाया गया कि 279 नदियों के कुल 311 नदी खंड़ प्रदूषित है। प्रदूषित नदी खंड़ो का विवरण https://cpcb.nic.in/openpdffile.php?id=UmVwb3J0RmlsZXMvMTQ5OF8xNjcyOTg4MDQ1X21lZGlhcGhvdG8xMjk5NS5wZGY= पर उपलब्ध है।

(ख): यमुना नदी में प्रदूषण का मुख्य कारण यमुना नदी में अनुपचारित/आंशिक रूप से उपचारित सीवेज का डिस्चार्ज करना, कुछ अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्रों में कॉमन बहिस्त्रांव उपचार संयंत्र होना, नई परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब होना और सीवेज उपचार परियोजना का पुनरूद्धार और/या उन्नयन किया जाना है।

(ग): दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, केवल 38 परिचालित एसटीपी में से केवल 16 एसटीपी को निर्धारित मानकों को पूरा करते हुए पाया गया।

(घ) और (ङ): उठाए गए/उठाए जा रहें सुधारात्मक कदमों का विवरण निम्नलिखित है:

(i) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिल्ली जल बोर्ड के सभी चल रहें एसटीपी की दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा प्रतिमाह निगरानी की जा रही है जिसकी विश्लेषित रिपोर्ट दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की वेबसाइट पर उपलब्ध है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा नियमित आधार पर निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को पत्र लिखे जाते है।

(ii) दिल्ली जल बोर्ड ने सूचना दी है कि प्रत्येक संविदा में उपचारित बहिस्त्रीव के गारंटिड मापदंडों को पूरा न करने की दशा में शास्ति का प्रावधान है और, अनुपालना न करने के लिए समय-समय पर भुगतान राशि रोक दी जाती है/वापस ले ली जाती है। यदि एजेंसी अनुस्मारक वार्ता के बाद भी उचित रूप से जवाब नहीं देती है, तो दिल्ली जल बोर्ड को उन्हें संविदा की सूची से ब्लैक लिस्ट/प्रतिबंधित किए जाने का भी प्रावधान है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा विभिन्न स्थलों पर चूककर्ता कंपनियों पर कार्रवाई की गई है।

(iii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिल्ली में स्थापित सीवेज उपाचर संयंत्रों (एसटीपी) के अनुपालना न करने की स्थिति में जल (प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18(1) (बी) के अंतर्गत दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को दिनांक 12.11.2024 को दिशानिर्देश जारी किए गए।

(iv) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) की सरकार निम्नलिखित सीवेज अवसंरचना की क्षमता बढ़ाने संबंधी परियोनाओं पर काम कर रही है:-

(क) कोण्डली चरण-II, रिठाला चरण-I और यमुना विहार चरण-II में मौजूदा 3 एसटीपी का पुनर्स्थापन,

(ख) मौजूदा एसटीपी का उन्नयन और बढ़ी हुई क्षमता,

(ग) ओखला और सोनिया विहार में दो नए एसटीपी का निर्माण,

(घ) विभिन्न इंटरसेप्टर सीवर परियोजना।

(v) नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत, यमुना नदी को संरक्षित करने के लिए 1,951 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से 1,268 एमएलडी सीवेज उपचार क्षमता का सृजन करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 9 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है।

(vi) केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) और उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की बैठक में इस मामलें का नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और राज्य एजेंसियों को आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाते है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 542

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

आंध्र प्रदेश में पुनर्वास परियोजनाएं

542. श्री बी. के. पार्थसारथीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बांध पुनर्वास एवं सुधार कार्यक्रम तथा सरकार की अन्य योजनाओं के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में कितने बांधों का विस्थापन प्रस्तावित है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए आंध्र प्रदेश को आवंटित/जारी की गई धनराशि का योजना/परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं पर अब तक क्या प्रगति हुई है तथा इनके पूरा होने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ग) : बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण- II और चरण- III योजना 10 वर्षों की अवधि में 6-6 वर्षों के दो चरणों में कार्यान्वित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक की 2 वर्षों की ओवरलैप अवधि होगी, जिसमें 19 राज्यों में 736 बांधों को शामिल किया जाएगा, जिसका कुल व्यय 10211.00 करोड़ रुपये है। इस योजना में आंध्र प्रदेश राज्य के बांध शामिल हैं। डीआरआईपी चरण-II योजना दिनांक 12 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी है। अब तक, विश्व बैंक द्वारा तैयारी से संबंधित निर्धारित मानदंडों का अनुपालन न होने के कारण; आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने इस योजना में भाग नहीं लिया है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 529

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

'जल संचय जन भागीदारी' पहल

529. श्री राजू बिष्टः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) समुदाय संचालित जल सततता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'जल संचय जन भागीदारी' पहल का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है और यह देश में समग्र जल संरक्षण प्रयासों में किस प्रकार योगदान देता है;

(ग) सरकार किस तरह से इस पहल को जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना और मनरेगा जैसे मौजूदा कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करने की योजना बना रही है;

(घ) इस पहल के तहत नियोजित वर्षा जल संचयन संरचनाओं की संख्या कितनी है और कलिम्पोंग, उत्तर दिनाजपुर और दार्जिलिंग जिलों में जल संकट पर उनके अपेक्षित प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश भर में संधारणीय जल प्रबंधन प्रचलनों को प्राप्त करने में जल शक्ति मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच सहयोग किस प्रकार मदद करता है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): सूरत में दिनांक 6 सितंबर 2024 को शुरू की गई "जल संचय जन भागीदारी" (जेएसजेबी) पहल, जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान का हिस्सा है। यह पहल जल संरक्षण में जन भागीदारी (सामुदायिक भागीदारी) के महत्व पर जोर देती है और इसमें सरकारी निकायों, उद्योगों, स्थानीय प्राधिकरणों, परोपकारियों, निवासी कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए) और व्यक्ति विशेष सहित सभी हितधारकों से संयुक्त कार्रवाई के लिए एक शपथ शामिल है, जिसका उद्देश्य भंडारण क्षमता बढ़ाने और भूजल पुनर्भरण बढ़ाने में मददगार अन्य गतिविधियों के साथ-साथ कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं / बोरवेल रिचार्ज शाफ्ट के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है।

जल संचय जन भागीदारी पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समग्र समाज और समग्र सरकार इस दृष्टिकोण का पालन करते हुए सामूहिक प्रयासों के माध्यम से जल की हर बूंद

को संरक्षित किया जाए। इसका उद्देश्य सामुदायिक स्वामित्व और जिम्मेदारी को बढ़ावा देकर इस पहल के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट जल चुनौतियों के अनुरूप एक लागत प्रभावी, स्थानीय समाधान विकसित करना है।

(ग): जेएसजेबी पहल को जेएसए: सीटीआर अभियान के एक हिस्से के रूप में शुरू किया गया है, जिसमें देश भर में कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), प्रतिपूरक वनीकरण निधि (कैम्पा), वित्त आयोग अनुदान आदि जैसी सरकारी योजनाओं और सीएसआर अंशदान, व्यक्तिगत दान आदि जैसे निजी वित्त पोषण, दोनों संसाधनों का लाभ उठाते हुए इस पहल को लागू करने के लिए एक संमिलित दृष्टिकोण अपनाया गया है। यह संमिलित वित्त पोषण (कन्वर्जेंट फंडिंग) तालमेल सुनिश्चित करती है और प्रभाव को अधिकता प्रदान करती है।

(घ): इस पहल का केंद्रीय लक्ष्य कम से कम 1 मिलियन कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करना है, जिसमें भूजल स्तर को बढ़ाने और कलिम्पोंग, उत्तर दिनाजपुर और दार्जिलिंग जिलों सहित पूरे देश में स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए बोरवेल रिचार्ज संरचनाओं के निर्माण पर विशेष ध्यान देना है। पुनर्भरण संरचनाएं भूजल की उपलब्धता को बढ़ाती हैं, विशेष रूप से सूखे की अवधि के दौरान, कृषि, पेयजल की दृष्टि से सहायक रहती हैं जिससे पानी की कमी का निवारण किया जा सके। इसके अलावा, इन संरचनाओं के कार्यान्वयन से स्थायी भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देकर, सूखे के खतरे को कम करके और विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों में जल संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करके दीर्घकालिक जलवायु लचीलेपन में योगदान प्राप्त होता है।

(ड़): चूंकि जल राज्य का विषय है, इसलिए स्थायी जल प्रबंधन के लिए जल शक्ति मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच सहयोग आवश्यक है। जल शक्ति मंत्रालय सर्वोत्तम प्रथाओं के दोहराने के साथ-साथ तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। गुजरात के जल संचय मॉडल से प्रेरित जेएसजेबी पहल, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समान उपायों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए इस साझेदारी के लिए एक दृष्टांत प्रस्तुत करती है, जिससे जल संरक्षण के कार्य में राष्ट्रीय प्रयासों को मजबूती प्राप्त होती है।

******

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 515

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

सिंचाई के लिए गड्ढों के निर्माण हेतु अनुदान

515. श्री राहुल कस्वाः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ड्रिप स्प्रिंकलर प्रणाली के तहत सिंचाई के लिए गड्ढों के निर्माण हेतु किसानों को सब्सिडी देने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले दो वर्षों के दौरान विशेष रूप से राजस्थान के चुरू, हनुमानगढ़ बीकानेर जिलों में कितने किसानों को गड्ढों के निर्माण के लिए सब्सिडी राशि का भुगतान किया गया है;

(ग) क्या कोई उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के संबंध में केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए धनराशि का कोई आनुपातिक हिस्सा निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दोनों सरकारों में से एक द्वारा अभी तक अपना हिस्सा नहीं दिए जाने के कारण किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ग): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीओएएंडएफडब्ल्यू) वर्ष 2015-16 से राजस्थान सहित पूरे देश में केन्द्र प्रायोजित योजना प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) का क्रियान्वयन कर रहा है। पीडीएमसी सूक्ष्म सिंचाई अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इस योजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के एक घटक के रूप में क्रियान्वित किया गया। पीडीएमसी योजना को वर्ष 2022-23 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है।

इस योजना के अंतर्गत, लघु एवं सीमांत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए 55% तथा अन्य किसानों को 45% की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है।

किसानों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने में सक्षम बनाने के लिए स्रोत निर्माण को पूरक बनाने हेतु, यह योजना "अन्य कार्यकलापों" के अंतर्गत किसानों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर सूक्ष्म स्तर के जल भंडारण, जल संरक्षण/प्रबंधन गतिविधियों आदि का समर्थन करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इन गतिविधियों के लिए खर्च की जा सकने वाली राशि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुल आवंटन का 20% और पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 40% तक है। योजना के तहत बनाए गए स्रोतों को सूक्ष्म सिंचाई से जोड़ा जाना है।

इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा वहन की जाती है। इन राज्यों के मामले में हिस्सेदारी का अनुपात 90:10 है।

राजस्थान सरकार ने चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर जिलों के किसानों सहित अन्य किसानों के लाभ के लिए इस योजना के अंतर्गत फार्म पॉन्ड्स का निर्माण कार्य शुरू किया है। पिछले दो वर्षों के दौरान इन जिलों में निर्मित फार्म पॉन्ड्स का विवरण निम्नानुसार है:

जिले का नाम	**फार्म पॉन्ड्स की संख्या**
चुरू	384
हनुमानगढ़	275
बीकानेर	309

(घ) और (ङ): किसानों को केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच निधि को साझा करने के माध्यम से योजना का लाभ मिल रहा है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 501

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को धनराशि का आवंटन

501. श्री राम शिरोमणि वर्माः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सुनिश्चित सिंचाई योजना के तहत खेतों तक पानी की वास्तविक पहुंच उपलब्ध कराने और खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों सहित उत्तर प्रदेश में उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): किसानों के लाभ के लिए कृषि योग्य भूमि क्षेत्र का विस्तार करने और खेतों तक जल की प्रत्यक्ष पहुँच में वृद्धि करने के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, भारत सरकार द्वारा चिहि्नत सिंचाई परियोजनाओं के लिए अपनी चालू स्कीमों के अंतर्गत तकनीकी सहायता के साथ-साथ आंशिक वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। इस संबंध में इस समय भारत सरकार द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहल निम्नलिखित हैं।

1. भारत सरकार द्वारा 93,068.56 करोड़ रुपये (37,454 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता, नाबार्ड को 20,434.56 करोड़ रुपये का ऋण और राज्य हिस्सेदारी के लिए राज्य सरकारों द्वारा 35,180 करोड़ रुपये के परिव्यय) के साथ वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए पीएमकेएसवाई के विस्तार को मंजूरी दी गई है।

2. महाराष्ट्र की 8 लघु सूक्ष्म सिंचाई और 83 सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अप्रैल, 2018 तक अनुमानित शेष लागत 13,651.61 करोड़ रुपये है, जिसे

वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता की मंजूरी दी गई है। उक्त पैकेज के लिए 3.77 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजन के साथ 3,831.41 करोड़ रुपये का केंद्रीय सहायता घटक है ।

3. जून, 2018 में, भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर और पंजाब को लाभान्वित करने वाली शाहपुरकंडी बांध (राष्ट्रीय) परियोजना को 2,715.70 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के लिए वित्तीय सहायता हेतु मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के लिए 485.38 करोड़ रुपये की अनुमोदित केंद्रीय सहायता देय है।

4. सितंबर, 2018 में, भारत सरकार द्वारा दिनांक 26.09.2018 को 1,976.75 करोड़ रुपये की संयुक्त अनुमोदित लागत के साथ "सरहिंद फीडर की रिलाइनिंग और राजस्थान फीडर की रिलाइनिंग" को मंजूरी दी गई। इस परियोजना के लिए 982 करोड़ रुपये की अनुमोदित केंद्रीय सहायता देयता है।

5. दिसंबर, 2021 में, भारत सरकार द्वारा क्रमशः हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में रेणुकाजी बांध और लखवाड़ बहुउद्देशीय (राष्ट्रीय) परियोजनाओं के लिये केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई है। इन दोनों परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्रमशः 6,946.99 करोड़ रुपये और 5,747.17 करोड़ रुपये है।

6. दिसंबर, 2021 में, भारत सरकार द्वारा 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में केन-बेतवा लिंक परियोजना को भी मंजूरी दी गई है।

(ख) और (ग): श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों सहित उत्तर प्रदेश राज्य में पीएमकेएसवाई के विभिन्न घटकों के तहत जारी केंद्रीय सहायता और लाभार्थियों की संख्या का विवरण निम्नलिखित है।

पीएमकेएसवाई के घटक	**वर्ष 2016-17 से वर्ष 2023-24 के दौरान उत्तर प्रदेश को जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये)**	**लाभार्थियों की अनुमानित संख्या**
पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम	1,577.82	43,22,751
पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-जीडब्ल्यू	26.69	15,252
पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी*	783.53	3,04,551
पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी	257.61	आंकड़े नहीं रखे जाते।

**** दिसंबर, 2021 से पीडीएमसी का कार्यान्वयन पीएमकेएसवाई के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के एक भाग के रूप में किया जा रहा है।***

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 487

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

दिल्ली में यमुना नदी में बढ़ता प्रदूषण

487. श्री जय प्रकाशः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दिल्ली में यमुना नदी के अत्याधिक प्रदूषित होने का संज्ञान लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जल शक्ति मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित केंद्रीय निगरानी समिति ने इस पहलू पर ध्यान दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) , (ख) और (ग): केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) दिल्ली में यमुना नदी सहित देश के प्रदूषित नदी क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए कार्य योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से बैठकें करती है। दिनांक 30.09.2024 को आयोजित अपनी 19वीं बैठक में, दिल्ली सरकार के लिए कई कार्य निर्धारित किए गए, जैसे कि नए एसटीपी के चल रहे निर्माण को समय पर पूरा करना, विकेंद्रीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (डीएसटीपी) से संबंधित मुद्दों का समाधान करना, इंटरसेप्टर सीवर परियोजना की पूर्ण उपयोगिता सुनिश्चित करना आदि।

(घ): सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदम इस प्रकार हैं:

i. डीपीसीसी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, डीजेबी के सभी चालू एसटीपी की हर महीने डीपीसीसी द्वारा निगरानी की जा रही है और विश्लेषण रिपोर्ट डीपीसीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। डीपीसीसी नियमित आधार पर निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए डीजेबी के साथ पत्र व्यवहार किया जाता है।

ii. दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया है कि प्रत्येक अनुबंध में उपचारित अपशिष्ट के गारंटिड मापदंडों को पूरा न करने की स्थिति में जुर्माने का प्रावधान है और गैर-अनुपालन के लिए समय-समय पर भुगतान रोक दिया जाता है/वसूली की जाती है। यदि एजेंसियां बार-बार संवाद के बाद भी ठीक से जवाब नहीं देती हैं, तो उन्हें डीजेबी टेंडरिंग से ब्लैकलिस्ट /प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। डीजेबी ने विभिन्न स्थलों पर चूक करने वाली फर्मों पर कार्रवाई की है।

iii. सीपीसीबी ने दिल्ली में स्थापित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) के गैर-अनुपालन की स्थिति के संबंध में जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18(1) (ख) के अंतर्गत दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को दिनांक 12.11.2024 को निर्देश जारी किए थे।

iv. दिल्ली सरकार निम्नलिखित सीवेज अवसंरचना संवृद्धि परियोजनाओं पर काम कर रही है:

क. कोंडली फेज II, रिठाला फेज I और यमुना विहार फेज II में 3 मौजूदा एसटीपी का पुनर्वास;

ख. मौजूदा एसटीपी का उन्नयन और क्षमता में वृद्धि;

ग. ओखला और सोनिया विहार में 2 नए एसटीपी का निर्माण;

घ. विभिन्न इंटरसेप्टर सीवर परियोजनाएँ।

v. नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत यमुना नदी को पुनर्जीवित करने के लिए दिल्ली में 1,268 एमएलडी सीवेज उपचार क्षमता निर्माण के लिए 9 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनकी अनुमानित लागत 1,951 करोड़ रुपए है। इनमें से आठ परियोजनाएँ पूर्ण और परिचालित हैं।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 485

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

फ्लड वॉच इंडिया ऐप 2.0

485. श्री पी. पी. चौधरीः

डॉ. विनोद कुमार बिंदः

श्रीमती स्मिता उदय वाघः

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गीः

श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेलः

श्रीमती अपराजिता सारंगीः

श्री सुरेश कुमार कश्यपः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) फ्लड वॉच इंडिया ऐप 2.0 के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं तथा देश में इसके कार्यकरण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इसके प्रारंभ से अब तक इसके अंतर्गत शामिल स्टेशनों की संख्या में कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रणाली में बाढ़ से प्रभावित वलसाड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश भी शामिल हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह ऐप बाढ़ का सटीक पूर्वानुमान करने के लिए किसी उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): फ्लड वॉच इंडिया ऐप का उद्देश्य केंद्रीय जल आयोग के निगरानी/बाढ़ पूर्वानुमान केंद्रों पर उपलब्ध लगभग वास्तविक समय में बाढ़ सूचना प्रदान करना और आगे आम लोगों और अन्य सरकारी पर्णधारकों को आपदा तैयारी के लिए समय से निर्णय लेने की दृष्टि से केंद्रीय जल आयोग के बाढ़ पूर्वानूमान केंद्रों में तैयार किए गए नदी पूर्वानूमान का प्रसार करना है। इसके उद्देश्य निम्न है:-

- केंद्रीय जल आयोग के निगरानी/बाढ़ पूर्वानूमान केंद्रों में मौजूदा बाढ़ परिस्थितियों की सूचना उपलब्ध करना।
- केंद्रीय जल आयोग के बाढ़ पूर्वानूमान केंद्रों के लिए तैयार किए गए अल्पावधि और 7 दिनों की परामर्शी पूर्वानूमान का प्रसार करना।
- अनेक रूपों (पठनीय और श्रव्य) और भाषाओं (हिंदी और अंग्रेजी) में सूचना उपलब्ध करना।
- अखिल भारतीय कवरेज के साथ 150 मुख्य जलाशयों के भंडारण स्थितियों की सूचना उपलब्ध कराना।

(ख): मौजूदा बाढ़ परिस्थितियों को दर्शाने वाले केंद्रों की संख्या आरंभिक रूप से 200 से बढ़ाकर 592 कर दी गई है। इसके अलावा, इसका नया वर्जन देश के 150 प्रमुख जलाशयों की भंडारण स्थितियों से संबंधित अतिरिक्त सूचना भी उपलब्ध कराते है, जिससे उनके अनुप्रवाह क्षेत्रों में संभावित बाढ़ स्थिति की बेहत्तर समझ बनाने में मदद होगी।

(ग): केंद्रीय जल आयोग का वापी में एक स्तरीय बाढ़ पूर्वानूमान केंद्र है और गुजरात के वलसाद जिला में मधुवन बांध के लिए एक इनफ्लो पूर्वानूमान केंद्र है और यह ऐप में केवल स्तर पूर्वानूमान केंद्रों को शामिल किया गया है। यह ऐप हिमाचल प्रदेश राज्य के 27 बाढ़ निगरानी केंद्रों की सूचना भी दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश के केंद्रों का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(घ): फ्लड वॉच ऐप एक विजवलाइजेशन/डिशसेमिनेशन टूल है जो मौजूदा बाढ़ सूचना और तैयार किए गए पूर्वानूमानों अर्थात् गेज टू गेज कोररिलेशन (छोटी दूरी) और मैथमेटिकल मॉडलिंग (7 दिनों की बाढ़ चेतावनी) प्रदान करता है। यह दोनों एनडरोयड और आईओएस उपयोगकर्ता के लिए बनाया गया है।

*****

अनुलग्नक

"फ्लड वॉच इंडिया ऐप 2.0" विषय पर दिनांक 28.11.2024 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 485 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

हिमाचल प्रदेश में बाढ़ निगरानी केंद्र

क्र.सं.	केंद्र	जिला	बेसिन	नदी
1	बरोट	मंडी	सिंधु	यूएचएल
2	ददाहु/रेणुका	सिरमौर	गंगा	गिरि
3	गंगूवाला	सिरमौर	गंगा	बाटा
4	गौरा	सोलन	गंगा	आशानी
5	घलूवाल	ऊना	सिंधु	स्वान
6	घोषाल	लाहल और स्पीति	सिंधु	चन्द्र
7	गुलिंग	लाहल और स्पीति	सिंधु	पिन
8	हंसा	लाहल और स्पीति	सिंधु	स्पीति
9	जेटन बैरेज	सिरमौर	गंगा	गिरि
10	खाब	किन्नौर	सिंधु	सतुलुज
11	खेरी	सिरमौर	गंगा	गिरि
12	मीनस (खड)	सिरमौर	गंगा	मीनस
13	मीनस (टन)	सिरमौर	गंगा	टन
14	मियार नाला	लाहल और स्पीति	सिंधु	मियार नाला
15	मूरंग	किन्नौर	सिंधु	सतुलुज
16	नाथपा	किन्नौर	सिंधु	सतुलुज
17	पंडोआ	शिमला	सिंधु	सतुलुज
18	पांवटा	सिरमौर	गंगा	यमुना
19	पोवारी (मूरंग में स्थानांतरित)	किन्नौर	सिंधु	सतुलुज
20	रामपुर_1	शिमला	सिंधु	सतुलुज
21	रोपा	किन्नौर	सिंधु	रोपा खडड
22	सांगला	किन्नौर	सिंधु	बासपा
23	शालखर	किन्नौर	सिंधु	स्पीति
24	तांडी	लाहल और स्पीति	सिंधु	भगा
25	टाइटांग	किन्नौर	सिंधु	सतुलुज
26	उदयपुर	लाहल और स्पीति	सिंधु	चंदर भगा
27	यशवंत नगर	सिरमौर	गंगा	गिरि

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 480

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

झारखंड और राजस्थान में जल संरक्षण और जल संचयन

480. श्री बिद्‌युत बरन महतोः

श्री लुम्बा रामः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार झारखंड और राजस्थान में जल संरक्षण और जल संचयन के लिए कोई विशेष योजना या अभियान चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ग) क्या सरकार को झारखंड और राजस्थान में जल संकट पैदा करने वाले घटते जल स्तर की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्‌वारा झारखंड और राजस्थान के सूखाग्रस्त और जल संकट वाले क्षेत्रों में निरंतर जल आपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): जल राज्य का विषय है और देश में जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन के संवर्धन के प्रयास संबंधी कार्य राज्य सरकार के अधिदेश के अंतर्गत आते हैं। केन्द्र सरकार द्‌वारा तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान की जाती है। वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल संरक्षण का कार्य केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। देश में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के लिए सरकार द्‌वारा उठाए गए प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं :

i. भारत सरकार द्‌वारा नामतः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाओं का निर्माण कार्य शामिल हैं।

ii. 15 वें वित्त आयोग के अनुदान के तहत विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है जिसका उपयोग अन्य प्रयोजनों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन से जुड़े कार्यों के लिए किया जा सकता है।

iii. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वार्षिक आधार पर वर्ष 2019 से जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। मौजूदा वर्ष में, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा देश के सभी जिलों (ग्रामीण और शहरी) में जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) 2024 का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जो जेएसए की श्रृंखला में 5वां अभियान है। जेएसए: सीटीआर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और निधियों यथा मनरेगा, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार घटक, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए), वित्त आयोग अनुदान, राज्य सरकार की योजनाएं, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि आदि का एक अभिसरण है। इस अभियान के अंतर्गत किए गए प्रमुख उपायों में छत पर वर्ष जल संचयन संरचनाओं सहित अन्य वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण कार्य शामिल है।

iv. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल शक्ति अभियान: कैच द रेन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और इसे और अधिक सुदृढ़ करने के लिए जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल आरंभ की गई है। इस पहल का उद्देश्य वर्षा जल संचयन / जलभृत पुनर्भरण / बोरवेल पुनर्भरण / पुनर्भरण शाफ्ट आदि के माध्यम से जल पुनर्भरण में वृद्धि करना है, जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी संसाधनों जैसे सीएसआर निधि, औद्योगिक इकाइयों, नागरिक निकायों, जल क्षेत्र से संबंधित लोगों आदि से प्राप्त संसाधन समर्थन शामिल हैं जो सामूहिक रूप से जल सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में कार्यरत हैं।

v. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 में स्टॉर्म वॉटर ड्रेन के माध्यम से जल निकायों (जिसमे सीवेज / निस्सरण नहीं हो रहा है) में वर्षा जल संचयन का प्रावधान है। शहरों का लक्ष्य 'जलभृत प्रबंधन योजना' निर्मित कर शहर की सीमाओं के भीतर वर्षा जल संचयन में सुधार के लिए एक रोडमैप विकसित करते हुए भूजल पुनर्भरण में संवर्धन की कार्यनीति तैयार करना है। आईईसी अभियान के माध्यम से वर्षा जल संचयन जैसी जल संरक्षण प्रथाओं के बारे में जागरूकता का सृजन किया जाता है।

vi. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण उपायों की आवश्यकता पर समुचित ध्यान देने के साथ साथ स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त उपायों को अपनाने हेतु राज्यों के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं, यथा दिल्ली के

एकीकृत भवन उपनियम (यूबीबीएल), 2016, मॉडल भवन उपनियम (एमबीबीएल), 2016 और शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014।

vii. केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है जो अनुमानित लागत सहित देश के विभिन्न भौगोलिक स्थितियों के लिए संरचनाओं को दर्शाने वाली हुए एक बृहद स्तरीय योजना है। इस मास्टर प्लान में 185 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) मानसूनी वर्षा के संचयन के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण का प्रावधान है।

viii. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय जल नीति (2012) तैयार की गई है, जिसमे अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण शामिल हैं । इसमे वर्षा जल के प्रत्यक्ष उपयोग के माध्यम से जल की उपलब्धता में वृद्धि करने की आवश्यकता पर भी बल दिया जाता है।

ix. भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) द्वारा देश में वर्षा आधारित और निम्नीकृत भूमि के विकास के लिए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक का कार्यान्वयन किया जाता है। इसमे अन्य गतिविधियों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन का कार्य भी शामिल है।

x. पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर वर्षा जल संचयन संरचनाएं संस्थापित करने के कार्य को पंचायत विकास योजना (पीडीपी) में शामिल किया गया है ताकि वे पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी) निधियों अथवा उनके पास उपलब्ध किसी अन्य उपलब्ध निधियों से निष्पादन के लिए अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इनका चयन कर सकें।

(ग): सीजीडब्ल्यूबी द्वारा झारखंड और राजस्थान राज्यों सहित देश भर में मार्च / अप्रैल / मई, अगस्त, नवम्बर और जनवरी माह के दौरान प्रत्येक वर्ष चार बार भूजल स्तरों की मानीटरिंग की जाती है।

झारखंड और राजस्थान राज्यों में भूजल स्तर में दीर्घकालिक उतार-चढ़ाव का आकलन करने के लिए, नवंबर 2023 के दौरान झारखंड और राजस्थान में सीजीडब्ल्यूबी द्वारा एकत्र किए गए जल स्तर के आंकड़ों की तुलना नवंबर (2013-2022) के दशकीय औसत से की गई है। झारखंड और राजस्थान के संबंध में औसत (मानसून पश्चात 2013 से 2022) के साथ दशकीय जल

स्तर में उतार-चढ़ाव और मानसून पश्चात 2023 का विवरण **अनुलग्नक** में संलग्न है। झारखंड के संबंध में जल स्तर आंकड़ों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि मॉनीटर किए गए लगभग 45.65% कूपों में भूजल स्तर में सामान्यतः 0.0-2.0 मीटर के मध्य वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त विश्लेषण किए गए 54.35% कुओं में भी भूजल स्तर में सामान्यतः 0.0-2.0 मीटर के मध्य गिरावट देखी गई है।

राजस्थान के संबंध में जल स्तर आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि मॉनीटरिंग किए गए लगभग 33.60% कूपो में भूजल स्तर में सामान्यतः 0.0-2.0 मीटर के मध्य वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त, 66.40% विश्लेषण किए गए कूपो के भूजल स्तर में 0.0-2.0 मीटर के मध्य गिरावट देखी गई है ।

(घ): जल राज्य का विषय है। जल संसाधनों के संरक्षण सहित जल संसाधनों से संबंधित पहलुओं का अध्ययन, आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं के संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार द्वारा तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तथापि, झारखण्ड एवं राजस्थान के सूखा प्रवण एवं जल संकट क्षेत्रों में जल की उपलब्धता के लिये सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं-

i. केंद्रीय भूमिजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा झारखंड और राजस्थान राज्यों सहित लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के कुल मैपिंग योग्य क्षेत्र में राष्ट्रीय जलभृत मैपिंग (नेक्यूम) परियोजना पूरी कर ली गई है। जलभृत मैप और प्रबंधन योजनाएं तैयार कर ली गई हैं और इसे कार्यान्वयन हेतु संबंधित राज्य एजेंसियों के साथ साझा किया गया है। इन प्रबंधन योजनाओं में पुनर्भरण संरचनाओं के माध्यम से विभिन्न जल संरक्षण उपाय शामिल हैं।

ii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर योजना-2020 तैयार की गई है जो अनुमानित लागत सहित देश की विभिन्न भू-भाग स्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को शामिल करते हुए एक वृहद स्तरीय योजना है। इस मास्टर प्लान में झारखंड में 5.9 लाख संरचनाओं एवं राजस्थान में 7.7 लाख संरचनाओं सहित 185 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) मानसून वर्षा जल का संचयन करने के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

iii. झारखंड और राजस्थान राज्यों सहित सूखा-प्रवण और जल की कमी वाले क्षेत्रों/अपर्याप्त वर्षा या पराश्रित भूजल स्रोतों वाले क्षेत्रों में नल के जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, दूरस्थ स्थानों और क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं से थोक जल अंतरण की योजना और कार्यान्वयन के लिए जेजेएम के तहत प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, स्रोत पुनर्भरण के लिए प्रावधान

किए गए हैं, जैसे कि समर्पित बोरवेल पुनर्भरण संरचनाएं, वर्षा जल पुनर्भरण, मौजूदा जल निकायों का पुनरुद्धार, आदि, के साथ अन्य योजनाओं जैसे कि मनरेगा, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी),15 वें वित्त आयोग आरएलबी/पीआरआई को अनुदान, राज्य योजनाएं, सीएसआर फंड, आदि।

विशेष रूप से शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में जलभृत्तों के पुनर्भरण को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों से मौजूदा नहर नेटवर्कों को सुदृढ़ करने/विस्तारित करने और/या नहरों का निर्माण करने का अनुरोध किया गया है ताकि बांधों/जलाशयों से तालाबों/झीलों और अन्य जल निकायों में बाढ़ के अधिशेष जल को अंतरित किया जा सके और मानसून के मौसम के दौरान भूजल का पुनर्भरण भी किया जा सके। इसके अतिरिक्त, जल की कमी वाले क्षेत्रों में अवस्थित गांवों के लिए, बहुमूल्य स्वच्छ जल के संरक्षण हेतु, राज्यों को दोहरी पाइप जलापूर्ति प्रणाली अर्थात एक पाइप में स्वच्छ जल की आपूर्ति और दूसरे पाइप में गैर-पीने योग्य/बागवानी/शौचालय फ्लशिंग उपयोग के लिए उपचारित ग्रे/अपशिष्ट जल की आपूर्ति संबंधी नई जल आपूर्ति योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इन क्षेत्रों में घरों के विभिन्न नलों में फोसेट एरेटर्स संस्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे उल्लेखनीय मात्रा में जल की बचत की जा सकती है।

जल राज्य का विषय है। जल संसाधन के संवर्धन, संरक्षण एवं इसके कुशल प्रबंधन के लिए कदम मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाते हैं।

*****

अनुलग्नक

"झारखंड और राजस्थान में जल संरक्षण और जल संचयन" के संबंध में दिनांक 28.11.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 480 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

औसत (मानसून पश्चात 2013 से 2022) एवं मानसून पश्चात 2023 का दशकीय जल स्तर उतार-चढ़ाव का राज्यवार विवरण																		
क्र.सं.	राज्य	विश्लेषण किए गए कूपों की संख्या	विभिन्न गहराई सीमा में कूपों की संख्या												कूपों की कुल संख्या		कूपों का कुल %	
			वृद्धि						गिरावट									
			0 to 2	%	2 to 4	%	> 4	%	0 to 2	%	2 to 4	%	> 4	%	वृद्धि	गिरावट	वृद्धि	गिरावट
1	झारखंड	230	90	39.1	12	5.2	3	1.3	101	43.9	14	6.1	10	4.3	105	125	45.65	54.35
2	राजस्थान	753	146	19.4	69	9.2	38	5.0	223	29.6	121	16.1	156	20.7	253	500	33.60	66.40

******

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 476

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

वर्षा जल संचयन

476. श्रीमती रचना बनर्जी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में वर्षा जल संचयन की प्रथा को बढ़ाने के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) जल संकट पर प्रभाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में बढ़ते जल संकट के प्रबंधन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): जल राज्य का विषय है और देशभर में वर्षा जल संचयन की पद्धति को बढावा के कार्य संबंधी प्रयास राज्य सरकार के अधिदेश के अंतर्गत आते हैं। केन्द्र सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल का संरक्षण करने का कार्य केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। देश में, पानी की कमी को दूर करने हेतु वर्षा जल संचयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं:-

i. भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) नामक एक स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाओं का निर्माण शामिल हैं।

ii. 15 वें वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदानों के तहत विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है जिसमे अन्य बातों के साथ साथ वर्षा जल संचयन का प्रावधान भी शामिल है।

iii. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वार्षिक आधार पर वर्ष 2019 से जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। मौजूदा वर्ष में, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा

देश के सभी जिलों (ग्रामीण और शहरी) में जेएसए की पाँचवीं श्रृंखला के अंतर्गत जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) 2024 का कार्यान्वयन किया जा रहा है। जेएसए: सीटीआर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और निधियों जैसे मनरेगा, अटल शहरी परिवर्तन और नवीकरण मिशन (अमृत), प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार घटक, प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए), वित्त आयोग अनुदान, राज्य सरकार की योजनाएं, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि आदि का एक अभिसरण है। इस अभियान के अंतर्गत किए गए प्रमुख उपायों में से एक छतों पर वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण संरचनाओं सहित वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण और मरम्मत का कार्य करना शामिल है। जल शक्ति अभियान: कैच द रेन अभियान और गति और मजबूती प्रदान करने के लिए, 6 सितंबर 2024 को सूरत में "जल संचय जन भागीदारी" (जेएसजेबी) पहल की शुरूआत की गई थी। इस अभियान के अंतर्गत अन्य गतिविधियों के साथ-साथ भंडारण क्षमता बढ़ाने और भूजल पुनर्भरण वृद्धि को सहायता प्रदान करने हेतु कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं/बोरवेल रिचार्ज के निर्माण के लिए सरकारी निकायों, उद्योगों, स्थानीय प्राधिकरणों, समाजसेवियों, रेजीडेंट वेलफेयर ऐसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) और व्यक्ति-विशेष सहित सभी हितधारकों द्वारा सम्मिलित कार्रवाई को शमिल किया गया है।

iv. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 में स्टॉर्म जल निकासी के माध्यम से ऐसे जल निकायों (जो सीवेज/प्रवाह प्राप्त नहीं कर रहे हैं) में वर्षा जल संचयन का प्रावधान करना हैं। शहर की सीमाओं के भीतर वर्षा जल संचयन में सुधार के लिए रोडमैप विकसित करते हुए शहरों द्वारा भूजल पुनर्भरण संवर्धन की कार्यनीति तैयार करने के लिए जलभृत प्रबंधन योजनाओं को तैयार किया गया है। आईईसी अभियान के माध्यम से वर्षा जल संचयन जैसी जल संरक्षण पद्धतियों के बारे में जागरूकता सृजित की जाती है।

v. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्यों हेतु अपनाए जाने के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल, उपाय एवं दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं, यथा दिल्ली के एकीकृत भवन उप-नियम (यूबीबीएल), 2016, मॉडल भवन उपनियम (एमबीबीएल), 2016 और शहरी एवं क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014 जिनमें वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण उपायों की आवश्यकता पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

vi. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर योजना-2020 तैयार की गई है जो एक वृहद स्तरीय योजना है जिसमें अनुमानित लागत सहित देश की विभिन्न भौगोलिक स्थितियों के लिए संरचनाओं को

दर्शाया गया है। इस मास्टर प्लान में 185 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) मानसूनी वर्षा जल के संचयन के लिए देश में लगभग 142 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण का प्रावधान है।

vii. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय जल नीति (2012) में अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण के कार्यों पर जोर दिया गया है और साथ ही वर्षा के प्रत्यक्ष उपयोग के माध्यम से जल की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।

viii. भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) द्वारा देश में वर्षा पोषित और बंजर भूमि के विकास के लिए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संरक्षण का कार्य शामिल है।

ix. ग्राम पंचायतों को उनकी आवश्यकता के अनुसार, वित्त आयोग (एफसी) निधियों अथवा उनके पास उपलब्ध अन्य निधियों के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं को स्थापित करने की गतिविधि को पंचायत विकास योजना (पीडीपी) में शामिल किए जाने का विकल्प प्रदान किया गया है।

(ख): जल संकट से संबंधित जल शक्ति अभियान जेएसए: सीटीआर की मौजूदा प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन हेतु जेएसए: सीटीआर पोर्टल (jsactr.mowr.gov.in) विकसित किया गया है जिसके माध्यम से अभियान का मूल्यांकन और इसकी प्रभावशीलता की निगरानी की जाती है। जहां तक जेएसजेबी पहल का संबंध है, कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं से संबंधित डेटा अपलोड करने के लिए जेएसए: सीटीआर पोर्टल के तहत एक अलग डैशबोर्ड विकसित किया गया है। इसके अलावा, इस अभियान के दौरान, जल संरक्षण की दिशा में जिला/राज्य प्राधिकरणों के प्रयासों की निगरानी करने और जिला/राज्य प्राधिकरणों को सहायता प्रदान करने हेतु जल शक्ति अभियान से जुडे जिला/राज्य अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए केंद्रीय नोडल अधिकारियों (सीएनओ) और तकनीकी अधिकारियों (टीओ) के केंद्रीय दलों को फोकस जिलों में क्षेत्रीय दौरे पर भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त, जल संकट के प्रभाव को रोकने के उपाय करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों और हितधारकों को नियमित आधार पर इसके प्रति जागरूक बनाया जाता है।

(ग): सरकार द्वारा देश में बढ़ती जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वर्षा जल संचयन पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करना, जल भंडारण क्षमता का निर्माण और जल के पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग जैसे विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जल नीति (2012), में अन्य बातों के साथ-साथ, सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक रूप से नियोजित तरीके से वर्षा जल

संचयन, जल संसाधनों के संरक्षण और कुशल उपयोग, नदियों, नदी निकायों के संरक्षण की बात कही गई है। जल शक्ति मंत्रालय और इसके सहयोगी मंत्रालय पानी की कमी से संबंधित मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रमों/योजनाओं मे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (मनरेगा), जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए:सीटीआर) प्रधान मंत्री कृषि सिचांई योजना (पीएमकेएसवाई), अटल भूजल योजना (एबीवाई), कमांड क्षेत्र विकास और सहभागी सिंचाई प्रबंधन, सतही लघु सिंचाई योजनाएं और जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरूद्धार इत्यादि कार्य शामिल हैं।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 469

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

भूजल का संदूषण

469. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधिः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में भूजल में पाए जाने वाले आर्सेनिक और फ्लोराइड संदूषण का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कोई पहल की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संदूषण से प्रभावित आबादी को पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा देश भर में आर्सेनिक और फ्लोराइड सहित विभिन्न संदूषकों के लिए नियमित आधार पर भूमि जल गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की जाती है और विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के दौरान क्षेत्रीय स्तर पर भूजल गुणवत्ता संबंधी आंकडे भी तैयार किए जाते हैं। इन अध्ययनों से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अलग-अलग पाकेटों में मानव उपभोग के लिए भूजल में अनुमत्य सीमा (बीआईएस के अनुसार) से अधिक आर्सेनिक और फ्लोराइड होने का पता चला है। 25 राज्यों के 230 जिलों के कुछ हिस्सों में आर्सेनिक और 27 राज्यों के 469 जिलों के कुछ हिस्सों में फ्लोराइड संदूषण पाया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त समानयतः यह पाया गया है कि सीजीडब्ल्यूबी द्वारा रिपोर्ट किए गए भूजल संदूषण अधिकांशतः भूजनित (सॉइल और रॉक मैट्रिक्स) प्रकृति के हैं।

(ख) और (ग): जल राज्य का विषय है और भूजल गुणवत्ता में सुधार करने और संदूषण की समस्या को कम करने के लिए पहल करने सहित भूजल प्रबंधन का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों का है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार द्वारा इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। इस दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं: -

i. सीजीडब्ल्यूबी के पास उपलब्ध भूजल गुणवत्ता संबंधी आंकड़े विभिन्न हितधारकों के उपयोग किए जाने के लिए रिपोर्टों के साथ-साथ वेबसाइट (http://www.cgwb.gov.in) के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराए गए हैं। इन आंकड़ों को आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ भी साझा किया जाता है।

ii. केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम राज्यों के कुछ हिस्सों के भूजल में यूरेनियम, सीसा, आर्सेनिक, फ्लोराइड और पारा संदूषण के अध्ययन के लिए वर्ष 2022 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

iii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कूपों के निर्माण के लिए सीमेंट सीलिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक विशिष्ट डिजाइन को विकसित किया गया है ताकि संदूषण मुक्त जलभृतों से निष्कर्षण किया जा सके और राज्यों को लाभकारी उपयोग के लिए आर्सेनिक सुरक्षित कूपों के साथ-साथ संबंधित तकनीकी सूचना भी उपलब्ध कराई गई है। इसी प्रकार, स्वस्थाने फ्लोराइड शमन तकनीक भी विकसित की गई है।

iv. इसके अतिरिक्त, भूजल पुनर्भरण/वर्षा जल संचयन के माध्यम से भूजल संसाधनों का संवर्धन करने के लिए किए जाने वाले ठोस प्रयासों के माध्यम से भूजल की गुणवत्ता में एक सीमा तक सुधार किया जा सकता है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इस दिशा में कई महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं जैसे जन भागीदारी के साथ वर्षा जल संचयन और संरक्षण पर केंद्रित जल शक्ति अभियान, कृत्रिम पुनर्भरण के लिए देश के विभिन्न भौगोलिक स्थितियों में विभिन्न संरचनाओं का पता लगाने वाली एक वृहद स्तरीय मास्टर प्लान को तैयार करना, भूजल निष्कर्षण का विनियमन, भागीदारी भूजल प्रबंधन आदि विषयों के साथ अटल भूजल योजना का कार्यान्वयन।

(घ): भारत सरकार द्वारा जल गुणवत्ता प्रभावित रिहाइशों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर को विश्वसनीय, किफायती और समुचित मात्रा में नल के पेय जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल गुणवत्ता पहलुओं के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं -

i. जेजेएम के तहत, नल कनेक्शन के माध्यम से घरों में पेय जल की आपूर्ति की योजना तैयार करते समय, गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। चूंकि सुरक्षित जल स्रोत पर आधारित पाइप लाइन द्वारा जल आपूर्ति स्कीम की आयोजना, कार्यान्वयन और इसके संस्थापन में समय लगता है, अतः पूर्णत अंतरिम उपाय के रूप में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए, विशेष रूप से आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित रिहाइशों में, सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) संस्थापित करने की सलाह दी गई है।

ii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि आबंटित करते समय रासायनिक संदूषकों द्वारा प्रभावित रिहाइशों में रहने वाली जनसंख्या को 10% वेटेज दिया जाता है।

iii. "पेयजल गुणवत्ता मॉनिटरिंग और निगरानी फ्रेमवर्क" तैयार किया गया था और अक्टूबर 2021 में इसे राज्यों को उपलब्ध कराया गया था।

iv. उपर्युक्त फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए, देश में 2000 से अधिक जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) के माध्यम से जल के नमूनों का परीक्षण करने के लिए प्रत्येक गांव से पांच व्यक्तियों, मुख्यतः महिलाओं की पहचान की गई है और उन्हें प्रशिक्षित किया गया है।

v. राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को जल की गुणवत्ता के लिए जल के नमूनों का परीक्षण करने और पेयजल स्रोतों के नमूना संग्रह, रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग और निगरानी हेतु सक्षम बनाने के लिए, एक ऑनलाइन जेजेएम - जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है।

*****

अनुलग्नक

"भूजल के संदूषण" के संबंध में दिनांक 28.11.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 469 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

ऐसे राज्य जहां के पॉकेटों में आर्सेनिक संदूषण पाया गया है : आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दमन और दीव, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी **(कुल 25 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)।**

ऐसे राज्य जहां के पॉकेटों में फ्लोराइड संदूषण पाया गया है : आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, दमन और दीव **(कुल 27 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)।**

*****